

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड

(पहले नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड)

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए सत्यापन याचिका

और

वित्त वर्ष 2012-13 से


वित्त वर्ष 14-15 की वार्षिक राजस्व मांग

(खंड-1)

एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइंस

किंग्सवे कैंप, दिल्ली 110009

फरवरी 2012



श्रेणीवार		
क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1	याचिका और पावर आफ अटार्नी को सत्यापित करने वाला शपथपत्र	1-4
2	प्रार्थना	5-18
3	वार्षिक समीक्षा (वित्त वर्ष 2010-11) वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित	19-24
4	निर्देशों का अनुपालन	25-34
5	हू अप वित्त वर्ष 2010-11	35-72
6	वित्त वर्ष 2011-12 के लिए एआरआर	73-80
7	वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2014-15 के लिए एआरआर	81-161
8	टैरिफ आवश्यकता	162-164
9	टैरिफ युक्तिकरण	165-169
10	हू अप प्रपत्र वित्त वर्ष 2010-11	170-195
11	प्रपत्र वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2014-15	196-249



48AA 270034

दिल्ली DELHI

BEFORE THE HON'BLE DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
AT NEW DELHI

FILE NO.: _____

CASE NO.: _____


IN THE MATTER OF :

Filing of petition for (i) ARR for the MYT period from FY 2012-13 to 2014-15 ; (ii) seeking determination of Tariff for FY 2012-13 ;(ii) True Up for FY 2010-11 filed under the Hon'ble Commission's MYT Regulations 2007 as extended and terms and conditions for determination of wheeling tariff and retail supply tariff regulations 2011

AND

IN THE MATTER OF :

Hon'ble Commission's Terms and Conditions for determination of wheeling tariff and retail supply tariff regulations 2011 read with the Hon'ble



Commission's MYT Regulations 2007 as extended

AND

IN THE MATTER OF :

Tata Power Delhi Distribution Limited [Formerly , known as North Delhi Power Limited] having its Registered Office at NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009

AFFIDAVIT ON BEHALF OF TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED


1. I **Hemant Goyal** son of Sh. K K Goyal am working as Additional General Manager (Finance) with Tata Power Delhi Distribution Limited , the petitioner in the above matter and am duly authorized by the said petitioner to make this affidavit on its behalf .
2. I say that a Petition [in English language] was filed by the Petitioner with the Hon'ble Commission on 07.02.2012 in terms of the Electricity Act 2003 read with the Hon'ble Commission's Terms and Conditions for determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff Regulations 2011 and MYT Regulations 2007 as extended to seek approval of the Hon'ble Commission for Petitioner's/ Applicant's :
 - (i) ARR for the MYT Control period 2013-15
 - (ii) Tariff Petition for FY 2012-13
 - (iii) True Up Petition for FY 2010-11
3. I say that the present Petition/Application [in Hindi language] is being filed by the Petitioner in compliance with Hon'ble Commission letter no. F.No. 3(331)/Tariff/DERC /2011-12/3263/6313 15.02.2012 whereby the Hon'ble Commission sought the filing of the said petition in Hindi version .
4. I say that the statements made and data presented in the enclosed petition /application are to the best of my knowledge per records of the petitioner / applicant and information , estimations received and believed to be true . Further that no material information has been concealed in this aforesaid petition / application .

DEPONENT


VERIFICATION

I the Deponent above named do hereby verify that the contents of my above affidavit are true to my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom .


Verified at New Delhi on this 26 day of March, 2012.



ATTESTED
NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)



26 MAR 2012



दिल्ली DELHI

H 980657

Special Power of Attorney

To


Delhi Electricity Regulatory Commission


Viniyamak Bahwan, Shivalik

Near Malviya Nagar, New Delhi 110 017


I Sunil Wadhwa son of Late Shri Jagmohan Wadhwa, R/o 1/19, Sarvapriya Vihar, New Delhi, , CEO & Executive Director (and constituted attorney) of North Delhi Power Limited do hereby authorize Mr. Hemant Goyal, DGM (Finance) of North Delhi Power Limited to file applications, petitions, returns, statements, submissions, forms before Delhi Electricity Regulatory Commission (Commission) and to furnish any other document as may be required by the Commission from the Company and to perform all acts necessary and incidental thereto and to appear, represent the Company before Commission in all matters including issue of License, Tariff Fixation and Aggregate Revenue Requirement.

The above delegation of power is in accordance with the powers delegated by Board of Directors of NDPL vide Power of Attorney dated 16.11.2004.





Specimen signatures of Power of Attorney Holder




Sunil Wadhwa

Chief Executive Officer

(Constituted Attorney)

Place : New Delhi

Dated : 27th Nov, 2009



ATTESTED

NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

27 NOV 2009

दिल्ली राज्य विद्युत विनियामक आयोग से वित्त वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक राजस्व मांग के लिए सत्यापन याचिका और वित्त वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए वार्षिक राजस्व मांग (पारेषण शुल्क और खुदरा आपूर्ति शुल्क के संदर्भ में) रेगुलेशन 2011 (आगे एमवाईटी रेगुलेशन) विद्युत कानून 2003 और दिल्ली विद्युत सुधार कानून, 2000 और डीईआरसी (व्यापारिक संहिता के संदर्भ में), 2001


याचिकाकर्ता यह सत्यापित करता है कि:

1. नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (जो कि एनडीपीएल के नाम से लोकप्रिय है) कंपनी कानून 1956 के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्यालय एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइंस, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली 110009 है। कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार में 29-11-2012 को अपना नाम बदलकर "टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड" (टीपीडीडीएल) कर लिया है।
2. टीपीडीडीएल ने पूर्व में डीवीबी के वितरण अधिकार हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी। जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2002 से हुई और अब तक कंपनी विद्युत पारेषण और खुदरा आपूर्ति करती आ रही है। यह आपूर्ति दिल्ली बिजली सुधार कानून 2001 (स्थानांतरण योजना नियम) द्वारा परिभाषित एच सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में है।
3. टीपीडीडीएल ने एमवाईटी याचिका संख्या 50/2007 के अंतर्गत (जो कि वित्त वर्ष 2003 से 07) और वार्षिक राजस्व मांग वित्त वर्ष 2010-11 के लिए सत्यापन याचिका और वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 की वार्षिक राजस्व मांग, माननीय आयोग द्वारा 29 सितंबर 2007 को आदेशित और दिनांक 23 फरवरी 2008 में उल्लेखित वहुवर्षीय शुल्क रेगुलेशन के अनुसार है। जिसको (एमवाईटी टैरिफ आदेश) 28 फरवरी 2008 पढ़ा जाए।
4. माननीय आयोग द्वारा एमवाईटी शुल्क आदेश में उल्लेखित कुछ प्राप्तियों के खिलाफ टीपीडीडीएल ने माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीई) में अपील संख्या 52/2008 दायर की। उपर्युक्त याचिका को माननीय एटीई ने 31-5-2011 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ एटीई द्वारा सुनाए गए कुछ निर्णयों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
5. टीपीडीडीएल ने एमवाईटी रेगुलेशन और एमवाईटी शुल्क आदेश की प्राप्तियों के संदर्भ में माननीय आयोग में याचिका संख्या 64/2008 से वर्ष 2007-08 के लिए नियंत्रण के पहले वर्ष में 1 दिसंबर 2008 को दायर की और वित्त वर्ष 2007-08 तथा वित्त वर्ष 09-10 के लिए पारेषण



एवं खुदरा आपूर्ति शुल्क के साथ वित्त वर्ष 08-09, 09-10 के लिए पूरक एआरआर तथा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए शुल्क पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की। माननीय आयोग के सभी आदेश जिसमें एमवाईटी शुल्क आदेश, सत्यापन आदेश, समीक्षा आदेश और अपील आदेश शामिल हैं को "टैरिफ आर्डर" कहते हैं।

6. माननीय आयोग द्वारा 28-5-2009 को वित्त वर्ष 2007-08 के लिए डू अप आर्डर की प्राप्ति के खिलाफ टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के समक्ष अपील संख्या 153/2009 दायर की। जो कि आयोग द्वारा 30-7-2010 को खारिज कर दी गई।
7. एमवाईटी रेगुलेशन के संदर्भ में टीपीडीडीएल ने याचिका संख्या (21/2009) 1 दिसंबर 2009 को दायर की। जिसमें वित्त वर्ष 2008-09 के लिए व्यय का सत्यापन और वित्त वर्ष 2010-11 के लिए संसोधित एआरआर एवं शुल्क समायोजन की मांग की थी।
8. वित्त वर्ष 2009-10 में बिजली खरीद में हुई लागत बढ़ोतरी के लिए टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के समक्ष 31 मई 2010 को वर्तमान डू अप आर्डर, मौजूदा खुदरा बिजली दर पर पुनर्विचार तथा विद्युत खरीद में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार का आग्रह किया था।
9. उपर्युक्त याचिका पर माननीय आयोग ने संज्ञान लिया, अपनी सूचना, संख्या 11 (571)/डीईआरसी /2010/सी नंबर 2501/945 दिनांक 9 जून 2010 और दिनांक 31-05-2010 और 2-06-2010 को दायर याचिकाओं में एमवाईटी रेगुलेशन 2007 और एमवाईटी आदेश दिनांक 23-2-2008 के मुताबिक परिवर्तन और बिजली खरीद कीमत बताने को कहा। ज्ञात हो कि दिनांक 31-05-2010 की याचिका में ऊर्जा खरीद मूल्य और बिजली बिक्री के सत्यापन की बात कही। इस तरह माननीय आयोग ने टीपीडीडीएल को ऊर्जा खरीद और बिक्री में आए अंतर को एमवाईटी रेगुलेशन/बिजली कानून 2003 के अनुसार पुनः याचिका दायर करने का आदेश दिया। माननीय आयोग के आदेशानुसार टीपीडीडीएल ने दिनांक 29-06-2010 (याचिका संख्या 20/2010) दायर की। जिसमें वित्त वर्ष 09-10 के खर्च का ब्यौरा था, जो 31-05-2010 की याचिका में उल्लेखित था। साथ ही 2-06-2010 को वित्त वर्ष 2009-10 के लिए आडिट खातों की जानकारी दी।
10. माननीय आयोग ने 24-02-2011 के अपने पत्र, पत्र संख्या एफ3(312)/टैरिफ/डीईआरसी/2011-12/4481, याचिकाकर्ता को बताया कि एमवाईटी रेगुलेशन 2007 के मुताबिक वित्त 2011-12 के



लिए पूर्व कथित दरें ही लागू रहेंगी। इस तरह याचिकाकर्ता को वित्त वर्ष 11-12 के लिए एआरआर तथा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए एआरआर जो एमवाईटी रेगुलेशन 2007 के अनुसार हो, दायर करने को कहा। माननीय आयोग के आदेशानुसार याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2009-10 के लिए दू अप याचिका तथा वित्त 2010-11 और 11-12 के लिए दिनांक 21-02-2011 को एआरआर दाखिल की।

11. वित्त वर्ष 2008-09, 09-10 के लिए दू अप याचिका और वित्त वर्ष 11-12 के लिए एआरआर माननीय आयोग के समक्ष दिनांक 26-08-2011 को प्रस्तुत किए गए और आयोग ने वित्त वर्ष 2011-12 शुल्क आदेश जारी किया। माननीय आयोग ने अपने टैरिफ आदेश में माननीय एटीई की अपील संख्या 52/2008 और 153/2009 के उल्लेख को नजरअंदाज किया। माननीय आयोग द्वारा माननीय एटीई के आदेश को नजरअंदाज करने के सिलसिले में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अपील/स्पष्टीकरण/पुनर्विचार याचिका दायर की।

1. शुल्क आदेश दिनांक 26.08.2011 के खिलाफ डीईआरसी में दिनांक 26-09-2011 को पुनर्विचार याचिका।
2. शुल्क आदेश दिनांक 26-8-2011 के खिलाफ माननीय एटीई में अपील संख्या 14/2012 दाखिल की गई।
3. एटीई के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील संख्या 7910/2011 अपील 52/2008 की कार्यवाही के संदर्भ में पास कर दी गई।

12. इन सबके अलावा टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के समक्ष 26.07.2010 को एक याचिका दायर की जिसके जरिए याचिका संख्या 28/2008 में आयोग के 22.09.2009 के आदेश के जरिए दिए गए कैरेइंग कॉस्ट में सुधार की मांग की गई।

इन सबके अलावा टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के समक्ष 23-11-2011 को एक और याचिका दायर की, जिसमें बिजली आपूर्ति कंपनियों, उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों के साथ राजस्व में अंतर के संबंध में किए जा रहे भिन्न व्यवहार के संबंध में पूरी जानकारी थी।

माननीय आयोग ने दिनांक 10-05-2011 के अपने आदेश में लागू एमवाईटी रेगुलेशन की उपयुक्तता का विस्तार कर दिया था जो वित्त वर्ष 2007-08 से 10-11 और दूसरे वर्ष जो कि वित्त वर्ष 2011-12 था, में लागू था। माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 के लिए नए एमवाईटी रेगुलेशंस को भी



मंजूरी दी। यहां यह स्पष्ट करना है कि माननीय आयोग ने अपील संख्या 153/2009 तथा 52/2008 के माननीय एटीई के आदेशों को वैधता प्रदान नहीं की। याचिकाकर्ता की यह याचिका नए एमवाईटी रेगुलेशन, माननीय एटीई के पूर्व फैसलों तथा नेशनल टैरिफ पालिसी एवं फोरम आफ रेगुलेटर्स द्वारा जारी उपबंधों के अनुसार है और इस याचिका में माननीय आयोग के पत्र क्रमांक एफ (3)/290/टैरिफ/बीईआरसी/2011-12/सीएफ 3180 के तहत नई एमवाईटी रेगुलेशंस को चुनौती देने के अधिकार के तहत थी।

टीपीडीडीएल द्वारा दाखिल इन याचिकाओं / अपील पर फैसला होने तक याचिकाकर्ता यह याचिका दाखिल कर रहा है और माननीय आयोग से निम्नलिखित राहत की मांग करता है। टीपीडीडीएल की याचिकाएं माननीय आयोग और माननीय एटीई के समक्ष लंबित हैं।

- (i) माननीय आयोग द्वारा अपील संख्या 153/2009 पर दिनांक 30-07-2010 के आदेश तथा 31-05-2011 को अपील संख्या 52/2008 पर माननीय एटीई के आदेश और पुनर्विचार आदेश जो कि माननीय आयोग ने याचिका संख्या 06/2009 में दी थी। याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए बढ़ी दरों और राजस्व घाटे को मान्यता प्रदान करने की बात कही।
- (ii) माननीय आयोग द्वारा दिनांक 26-08-2011 के शुल्क आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2009-10 और वित्त वर्ष 2011-12 के लिए राजस्व घाटे की पूर्ति की मांग की। जिसका उल्लेख आयोग के आदेश में पैरा 6.15 में है।
- (iii) वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 के लिए एआरआर को मंजूरी देने की मांग की तथा वित्त वर्ष 12-13 तक के लिए राजस्व घाटे की पूर्ति की मांग की।

निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/एटीई/आयोग में लंबित सभी याचिकाओं को वित्त वर्ष 2010-11 के दू अप याचिका तथा वित्त वर्ष 13 से 15 के लिए एआरआर से पहले निपटा दिया जाता है तो माननीय आयोग इसके प्रभाव (वृद्धि / कमी) को संज्ञान में ले सकता है और संशोधित आवश्यकता तथा अंतर को स्वीकार करने में इसका उपयोग कर सकता है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट / एटीई और आयोग के आदेश इसके जारी किए जाने के बाद आते हैं तो यह निवेदन है कि उस समय से इसके प्रभाव की अनुमति दे दी जाए।

इस क्रम में टीपीडीडीएल एमवाईटी आदेश और दू अप वित्त वर्ष 2007-08 से 09-10 (याचिकाकर्ता की माननीय एटीई, डीईआरसी में लंबित याचिकाओं और अपीलों के लिए) माननीय एटीई के आदेश को



मानने के लिए बाध्य हुआ। और कहा गया कि यह कदम जनहित में है और इससे लागत और सेवा में हो रही दिक्कतों और देरी को कम किया जा सकता है।

13. इस याचिका में निम्नांकित दस्तावेज शामिल थे :


- (i) याचिका और पावर आफ अटार्नी को सत्यापित करने वाला शपथपत्र
- (ii) वित्त वर्ष 2010-11 के लिए आडिट खातों पर आधारित राजस्व घाटा का प्रपत्र, दिनांक 30-07-2010 को अपील संख्या 153/2009 तथा 31-05-2011 के अपील संख्या 52/2008 के संदर्भ में माननीय एटीई के आदेश एवं माननीय आयोग द्वारा याचिका संख्या 06/2009 पर दिनांक 11-05-2010 को दिया आदेश संलग्न।
- (iii) वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 14-15 के लिए वार्षिक राजस्व की मांग और व्याख्या पत्र।
- (iv) सचिव दिल्ली इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नाम रुपये 100,000 का आईसीआईसीआई बैंक से दिनांक 27-01-2012 को जारी डिमांड ड्राफ्ट नंबर 207928।

यह भी उल्लेख किया गया कि मौजूदा याचिका निम्नलिखित संदर्भों/कारणों को ध्यान में रखकर दायर की गई।

- (i) माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 26-08-2011 को दिए आदेश के पैरा 6.7 में रुपये 1112.64 करोड़ तथा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए रुपये 397.39 करोड़ (आदेश का पैरा 6.15) का राजस्व घाटा पाया गया। जिसमें वित्त वर्ष 11-12 के लिए रख-रखाव शुल्क शामिल नहीं है। माननीय आयोग ने उपर्युक्त आदेश में यह भी माना कि इस राजस्व घाटे को आने वाले एमवाईटी काल में पूरा किया जाएगा।

शुल्क आदेश का पैरा संख्या 6.15 निम्नलिखित है।

“ 6.15 आयोग ने पाया कि याचिकाकर्ता के लिए वर्तमान दरों पर वित्त वर्ष 2009-10 के लिए राजस्व घाटा रुपये 1112.64 करोड़ तथा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए यह घाटा 800.21 करोड़ है। आयोग द्वारा अपने आदेश में शुल्क बढ़ाने की मंजूरी से याचिकाकर्ता 402.82 करोड़ की अतिरिक्त आय जुटा पाएगा और वित्त वर्ष 2011-12 के लिए उसका घाटा 397.39 करोड़ ही रह जाएगा। आयोग वित्त वर्ष 09-10 तथा 11-12 में बचे राजस्व घाटे की पूर्ति अगले एमवाईटी काल में पूरी करेगा। ”




- (ii) माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए कल्पित घाटे रुपये 397.39 करोड़ के संदर्भ में यह सूच्य है कि वास्तव में यह घाटा लगभग 1500 करोड़ रुपये है, जो कि रुपये 4.90 प्रति यूनिट बिजली खरीदने से हुआ है तथा अप्रैल से सितंबर 2011 में रुपये 4.10 प्रति यूनिट तथा दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड तथा अन्य उत्पादकों को सीईआरसी द्वारा दिए गए बकाया भुगतान से है। अगर यह मान लिया जाए कि फुएल सरचार्ज में समायोजन से जनवरी 2012 के बाद परिवर्तनीय कीमत में होने वाली किसी भी वृद्धि की भरपाई हो जाएगी तो भी 1.70 रुपए प्रति यूनिट का अनुमानित घाटा खुदरा आपूर्ति शुल्क पर है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान रुपये 4.44 प्रति यूनिट के बजाय रुपये 6.12 की औसत दर पर वसूलने से तथा रुपये 5.52 प्रति यूनिट की दर के बजाय रुपये 6.61 भुगतान प्रति यूनिट करने से वर्तमान में यह घाटा रुपये 1.09 प्रति यूनिट है, जिसकी पहले के राजस्व घाटे के साथ तुरंत भरपाई की जरूरत है।

दिनांक 31-12-2011 तक हुए इस राजस्व घाटे के लिए टीपीडीडीएल ने विभिन्न कर्जदाताओं से रुपये 2500 करोड़ का कर्ज लिया। इस कर्ज राशि का उपयोग मुख्यतः बिजली खरीद की कीमत चुकाने में किया गया जिसे सामान्यतौर पर बिल की गई राशि में पूरी तरह कवर किया जाना चाहिए था और उपभोक्ता से वसूला जाना था। इसके अलावा रुपये 1475 करोड़ का छोटी और मध्यम अवधि का कर्ज भी लिया गया। बाकी 1025 करोड़ रुपए टर्म लोन की प्रकृति के हैं इसमें से रुपये 900 करोड़ का उपयोग वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बकायों के पुनर्भुगतान के लिए किया जाना है। माननीय आयोग के अपने आदेश के मुताबिक तात्कालिक अवधि में राजस्व के इस घाटे की वसूली नहीं होगी (आदेश का संबंधित अंश ऊपर प्रस्तुत किया गया है) इसलिए ऐसे कर्ज जिनका पुनर्भुगतान किया जाना है के लिए तत्काल अर्थप्रबंध आवश्यक है।

समूचे ऊर्जा सेक्टर में वित्तीय अस्थिरता के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को उन सेक्टरों को कर्ज देने में सावधानी बरतने को कहा है जो कर्ज अदायगी अथवा ब्याज चुकाने में अक्षम हैं। कर्जदाताओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आगे वित्त उपलब्ध कराना/वर्तमान कर्ज को छोड़कर या नए कर्ज देने में उन्हें समस्या आएगी। अतः याचिकाकर्ता अपने कर्ज अदायगी और लगातार बढ़ रहे राजस्व घाटे के लिए पूर्ति की मांग एक निश्चित समय में चाहता है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा जारी हाल की एक विज्ञप्ति के अनुसार कर्जदाताओं को ऐसे क्षेत्रों के लिए दिए जा रहे कर्जों पर रोक लगाने की जरूरत है। अतः घाटे की पूर्ति के लिए शुल्क समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। उपरोक्त कथित प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है



ऊर्जा क्षेत्र में कर्ज देने वालों के लिए सुधार महत्वपूर्ण : क्रिसिल

सुधार नहीं हुए तो मार्च 2013 तक कर्ज बोझ 560 अरब रुपए तक पहुंच सकता है

ऊर्जा क्षेत्र को कर्ज मुहैया कराने वाले कर्जदाताओं पर भी विपरीत असर पड़ा है। कर्जदाताओं में भारतीय बैंक, पावर फायनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) शामिल हैं। इनका अबतक का प्रदर्शन अच्छा रहा किंतु अगर जल्द ही नीति की पुनर्समीक्षा न की गई तो इनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लगभग रुपये 560 अरब जिसमें मार्च 2011 तक ऊर्जा क्षेत्र को दिया जाने वाला अग्रिम 48 खरब रुपये होगा। अगर अगले 18 महीनों में नीति की समीक्षा नहीं हुई तो यह कर्जदाता और सेक्टर दोनों के लिए प्रतिकूल होगा। सेक्टर के लिए नुकसान की मुख्यतः दो वजहें स्पष्ट हैं: ऊर्जा वितरण में लगातार बढ़ रहा घाटा और कर्ज स्तर तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन की कमी। क्रिसिल का अनुमान है कि ऊर्जा वितरण क्षेत्र में घाटा लगभग रुपये 350 से 400 अरब तक पहुंच सकता है, जो कि 2008-09 के स्तर से दोगुना है। यह घाटा और बढ़ सकता है अगर इनमें से किसी की भी कमी और हो जाए। इस घाटे की भरपाई के लिए लगातार कर्ज से राज्य विद्युत इकाइयों और वितरण इकाइयों का अनुमानित घाटा मार्च 2011 तक 30 खरब हो सकता है। ईंधन की अनुपलब्धता और लागत मूल्य के चलते भारत अपने कुल आवश्यकता 56 हजार मेगावाट का एक-तिहाई ही बिजली उत्पादन कर पा रहा है।

इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। क्रिसिल की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुश्री रुपा कुइवा के अनुसार नीति की समीक्षा में दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, वितरण के दौरान हुए घाटे जो कि 25 प्रतिशत से ज्यादा है, को कम करने के लिए व्यवस्था की कुशलता बढ़ानी होगी। क्रिसिल का मानना है कि वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की मौजूदगी काफी हद तक इसे पूरा कर सकती है। दूसरा, दरें बढ़ाने के लिए राजनीतिक सहमति आवश्यक है। क्रिसिल का अनुमान है कि दरों में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी आवश्यक है ताकि राज्य इकाइयां घाटे से उबर सकें, इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कंपनियों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी और फंड सही समय पर उपलब्ध कराए जाएं।


सुधार की दिशा में शुरुआती कदम उठाए जा चुके हैं, इसमें शुंगलू समिति का गठन और राज्य बिजली मंत्रियों द्वारा 12 सूत्रीय प्रस्ताव शामिल है। कर्जदाता घाटों को देखते हुए कर्ज का पुनर्गठन शुरू कर चुके हैं। अतः शुल्क समीक्षा ही एकमात्र उपाय है। क्रिसिल के निदेशक पवन



अग्रवाल के अनुसार अगले 18 महीनों में इस क्षेत्र में सुधार बहुत जरूरी हैं। अन्यथा कर्जदाता (पीएफसी और आरएसी) पर दबाव बढ़ेगा।

याचिकाकर्ता, माननीय आयोग के संज्ञान में यह लाना बेहद जरूरी समझता है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में वर्तमान कर्ज और घाटे को पूरा करने के लिए फंड का प्रबंध और लगातार बढ़ रही ब्याज दरें मुश्किल पैदा करेंगी। ब्याज दरों का बढ़ना अर्थव्यवस्था में विकास, कर्ज लेने वाली कंपनियों की आर्थिक हालत, वित्त मंत्रालय और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से लगता है कि निकट भविष्य में ब्याज दरें कम नहीं होंगी। लगातार बढ़ रही ब्याज दर याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर है। अतः माननीय आयोग को याचिकाकर्ता को एमवाईटी रेगुलेशन 12.3 और 12.4 के तहत कर छूट प्रदान करनी चाहिए। इसके अंतर्गत याचिकाकर्ता सिर्फ आधार दर का भुगतान करे। ऐसा आदेश माननीय आयोग को जारी करना चाहिए ताकि घाटे से उबरने में मदद मिल सके। ब्याज दरों का निर्धारण बेस रेट और विस्तारित रेट के आधार पर होता है। जिसमें कंपनी की माली हालत, जोखिम, सेक्टर, प्रायोजक आदि शामिल हैं। अतः माननीय आयोग से यह प्रार्थना है कि सिर्फ बेस रेट पर ब्याज चुकाने की व्यवस्था हो क्योंकि ये सारी चीजें याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर हैं। नीचे पिछले दो-तीन वर्षों में लगातार बढ़ रही ब्याज दरों की प्रवृत्ति दी गई है।

- ए) कार्यशील पूंजी पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर में 2.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, यह दर सितंबर 2010 में 10.75 प्रतिशत थी जो बढ़कर अक्टूबर 2011 में 13.25 प्रतिशत हो गई।
- बी) कार्यशील पूंजी पर स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर में भी 2.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सितंबर 2010 में 11 प्रतिशत थी जो अक्टूबर 2011 में बढ़कर 13.50 प्रतिशत हो गई।
- सी) आईडीएफसी द्वारा 2009-10 में 9.20 की दर पर कर्ज दिया जाता था, जो कि जून 2011 में 2.40 बढ़कर 11.60 प्रतिशत हो गया।
- डी) धनलक्ष्मी बैंक द्वारा 2009-10 में 9.25 प्रतिशत की दर पर ब्याज लिया जाता था जिसमें 4.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और नवंबर 2011 में यह 13.75 प्रतिशत हो गया।




ई) राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए वित्त वर्ष 09-10 और 10-11 में लिए गए अल्प अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 9 प्रतिशत से 11 प्रतिशत थी और यही कर्ज विव 11-12 में 11.10 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत की रेंज में उपलब्ध था (LINE MISSING) जिसमें पिछले 18 महीनों में लगभग 3.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

इस तथ्य के मद्देनजर कि माननीय आयोग ने पहले ही लगभग 1500 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की पुष्टि की है (विव 2010 तक 1112.64 करोड़ रुपए और विव 2011-12 के लिए 397.39 करोड़ रुपए और) और इसका इरादा इसकी वसूली अगले एमवाईटी काल (एमवाईटी नियमन के मसौदे के मुताबिक वित्त वर्ष 12-13 से विव 2015-16) तक करने की है। इसका मतलब होगा 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष और बकाया राजस्व अंतर के कैरेइंग कॉस्ट की दर से पूर्ति। यहां यह उल्लेखनीय है कि विव 2010-11 के राजस्व अंतर की भी वसूली करनी हुई तो रीकवरी की राशि अपेक्षाकृत रूप से काफी ज्यादा होगी।

कर्जदाताओं द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव और कर्ज की शर्तों के चलते इस वित्तीय संकट की स्थिति में माननीय आयोग से यह प्रार्थना है कि वह दरें बढ़ाने की बहुप्रतीक्षित मांग को तत्काल मान्यता प्रदान करे:

ए) नियंत्रण योग्य मूल्य जिसमें मुख्यतः ऊर्जा खरीद की लागत शामिल है, माननीय आयोग उसके लिए मासिक अथवा त्रैमासिक खरीद मूल्य समायोजन सिद्धांत (पीपीपीए) को मंजूरी दे। इसको लागू करने से ग्राहकों पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और मासिक अथवा त्रैमासिक ऊर्जा खरीद की कीमत में भी बचत होगी। अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण ने भी 11 नवंबर 2011 के अपने आदेश क्रमांक 1/2011 में शुल्क समीक्षा और ऊर्जा खरीद पर पुनर्विचार की बात को माना (ऊर्जा मंत्रालय के पत्र को संज्ञान में लेते हुए)।

याचिकाकर्ता ने इसके पहले की याचिकाओं में माननीय आयोग के समक्ष इस तरह की व्यवस्था की बात कही थी और माननीय आयोग ने दिनांक 26-08-2011 के अपने आदेश में सिर्फ त्रैमासिक ईंधन खरीद समीक्षा सिद्धांत (एफपीए) को मंजूरी दी। ज्ञात हो कि एफपीए सिर्फ लंबी अवधि के सौदों पर ही लागू किया जा सकता है। यह छोटे सौदों अथवा मौके पर खरीद के लिए फायदेमंद नहीं है। अतः इसके लिए एफपीए में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। छोटी खरीद और मौके की खरीद के दौरान दाम में आया अंतर इतना बड़ा होता है कि उपभोक्ता पर इसका पूरा भार नहीं डाला जा सकता, साथ ही यह कंपनी के लिए भी बोझ हो जाता है और अंततः ग्राहक को ही इसका भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः यह जनहित में नहीं है।




डीईआरसी के रेगुलेशन 5.24 (खुदरा आपूर्ति शुल्क एवं चक्रण के लिए नियम एवं शर्तें) 2011 के अनुसार, "आयोग द्वारा मान्य संस्थाओं जैसे अंतरराज्यीय अंतःराज्यीय व्यापार कंपनियां द्विपक्षीय खरीद, थोक आपूर्तिकर्ता, राज्य उत्पादक, स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक, केंद्रीय उत्पादन केंद्र, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन केंद्र, विपणन कंपनी के ऊर्जा उत्पादन से ऊर्जा खरीद के दौरान अधिकतम छूट और कर्ज मुहैया कराया जाए।"

अतः आयोग से गुजारिश है कि वह पीपीसीए (पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट) को संज्ञान में ले ताकि उपभोक्ता सालांत में पूरे घाटे को एक साथ भरपाई करने का बोझ न आए और उसे समय-समय पर बिजली की वास्तविक कीमत की जानकारी मिलती रहे। यहां यह कहने का कोई लाभ नहीं कि इस व्यवस्था की मदद से टीपीडीडीएल अपना नकदी प्रवाह प्रबंधन सुचारु कर सकता है और लंबी अवधि में कर्ज को भी कम कर सकता है। इससे भविष्य में दरें बढ़ाने की भी दिशा साफ हो जाएगी। अतः टीपीडीडीएल माननीय आयोग से यह प्रार्थना करता है कि संपूर्ण ऊर्जा खरीद कीमत की त्रैमासिक समीक्षा की जाए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में यह व्यवस्था सुचारु रूप से काम कर रही है। राज्यों की टैरिफ मांग की पूर्ति के लिए यह फार्मूला महत्वपूर्ण है।

बी) 1500 करोड़ रुपये के भारी राजस्व घाटे की भरपाई के लिए व्यवस्था तय की जाए ताकि कर्जदार कर्ज का पुनर्भुगतान सुनिश्चित कर सके।

सी) राजस्व घाटे की भरपाई की इस प्रक्रिया में माननीय आयोग से यह प्रार्थनीय है कि वह एक उपशुल्क की व्यवस्था बनाए जब तक कि पुराना घाटा पूरा न हो जाए। इस उपशुल्क को एक नाम जैसे आरए सरचार्ज दिया जा सकता है और वितरण कंपनियों को निर्देश दिए जाएं कि उनके बिल पर इसका स्पष्ट उल्लेख हो।

ऊर्जा मंत्रालय के पत्र को संज्ञान में लेते हुए माननीय एटीई ने 11-11-2011 को आदेश संख्या 1/2011 में इस बात को माना है। इस फैसले में बिजली वितरण सेक्टर के सभी पक्षों पर सूक्ष्मता से ध्यान दिया गया है। दिनांक 21-01-2011 को ऊर्जा सचिव ने 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है और माना है कि ऊर्जा वितरण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा कर्ज बिजली क्षेत्र की सेहत के लिए घातक है। यह सब अन्य बातों के अलावा 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट दिनांक 29.12.2009 पर निर्भर करके किया गया है।



ऊर्जा सचिव के इस जवाब में उल्लेखित बातें सभी राज्य बिजली विनियामक आयोगों जो कि विद्युत एक्ट 2003 और राष्ट्रीय शुल्क नीति के तहत स्थापित हैं, पर लागू होती हैं। माननीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि सभी राज्य इकाइयां शुल्क निर्धारण के दौरान अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं और समय-समय पर इस बात की समीक्षा कर सकती हैं कि उनके द्वारा उठाए गए कदम से ऊर्जा क्षेत्र के कर्ज प्रबंधन में मदद मिले।

उक्त फैसले के प्रकाश में हम ये कह सकते हैं कि यह बिजली क्षेत्र के लिए राहत लाएगा। फैसले से पूर्व सभी राज्य विद्युत नियामकों को जिसमें डीईआरसी शामिल है, नोटिस भेजा गया था और उनसे राय मांगी गई थी।

इसके बाद माननीय न्यायाधिकरण ने कई बाध्याकारी निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ याद दिलाया है कि 2003 के बिजली कानून ने न्यायाधिकरण को आवश्यक अधिकार दिए हैं जिससे वह एसईआरसी के वैधानिक कामकाज सुनिश्चित कर सके जैसा 2003 के विद्युत कानून के तहत है।

माननीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश की कुछ बातें निम्नलिखित हैं ताकि माननीय आयोग को फैसला लेने में सहूलियत हो:

- ए) सभी राज्य आयोग यह सुनिश्चित करें कि एपीआर, एआरआर पूर्व बकायों का सत्यापन तथा शुल्क निर्धारण सालाना हो।
- बी) सभी राज्य आयोग यह सुनिश्चित करें कि अगले वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल तक दरों का निर्धारण कर लिया जाए ताकि एआरआर और टैरिफ को सभी को सूचित किया जा सके।
- सी) अगर कंपनी एआरआर, एपीआर समय पर नहीं दाखिल करती या निश्चित तिथि से एक महीने पहले इसकी सूचना नहीं दे पाती तो आयोग टैरिफ नीति के सेक्शन 64 क्लॉज 8.1(7) के अनुसार स्वविवेक से इसका निर्धारण कर सकता है।
- डी) टैरिफ पालिसी और नीति निर्धारण करते समय एआरआर और टैरिफ का संज्ञान लेना चाहिए। इस बात का ध्यान दें कि पैसे का इस्तेमाल घाटे की पूर्ति के लिए हो न कि परिसंपत्ति के निर्माण में।



ई) एआरआर और टैरिफ का लेखा परीक्षण सालाना अवश्य हो। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2009-10 के लिए लेखा परीक्षण वित्त वर्ष 2011-12 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए।

एफ) विद्युत वितरण कंपनी का मुख्य खर्च बिजली खरीद मूल्य और ईंधन के मद में होता है। सभी राज्य आयोग ये सुनिश्चित करें कि ईंधन एवं ऊर्जा खरीद मूल्य सेक्शन 62 (4) के तहत हों। ईंधन और ऊर्जा खरीद कीमत की समीक्षा मासिक आधार पर केंद्रीय आयोग के निर्देशों के अनुसार हो और बिजली उत्पादक कंपनियों के लिए किसी भी सूरत यह समय सीमा तीन महीने से अधिक न हो। जिन राज्य आयोगों के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है वे अगले छह माह के भीतर ऐसी व्यवस्था लागू करें।


पैरा 66: उपर्युक्त सभी निर्देशों का पालन आवश्यक है और ऊर्जा सचिव और फोरम आफ रेगुलेटर्स को इसकी सूचना हर वित्त वर्ष में 1 जून तक भेजी जानी जरूरी है, जो इसकी स्थिति रिपोर्ट एपीटीईएल को देगा और सभी संबंधित वेबसाइटों पर इसका प्रकाशन किया जाएगा।

14. यह बात भी उल्लेखनीय है कि इसी तरह की मिलती-जुलती रिपोर्टें 13वें वित्त आयोग और भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, 2010-11 में भी प्रकाशित की गईं। जिनका उद्धरण निम्न है:

..... इस बढ़ते घाटे का सारांश इस प्रकार है:

(iii) समय-समय पर शुल्क समीक्षा के अभाव में घाटा इस कदर बढ़ गया है कि इसे रोकने की कोई सूरत नजर नहीं आती। कुछ राज्यों ने तो आठ-नौ वर्षों से लगातार बढ़ते घाटे के बावजूद बिजली दरों का पुनर्निर्धारण नहीं किया।

(3) शुल्क दर को संशोधित करके ज्यादा आर्थिक स्तर पर लाना : ऊपर लिखित दोनों चरण तब तक क्रियान्वित नहीं किए जा सकते जब तक कि राज्य दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और ठोस आर्थिक निर्णय नहीं लेते। राज्यों को बिजली दरों की समीक्षा करनी होगी और सब्सिडी में कटौती पर विचार करना होगा। भारत में वर्तमान में दुनिया में सबसे कम औसत बिजली दर है। जो खुदरा स्तर पर लगभग 8 सेंट किलोवाट/घंटा है। जबकि कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में यह 12 से 15 सेंट किलोवाट/घंटा है और यूरोप तथा कुछ प्रगतिशील देशों में यह दर 20 सेंट किलोवाट/घंटा तक है। वर्तमान बिजली दरों की पुनर्समीक्षा अत्यंत जरूरी हो गई है। गरीब के लिए बिजली उपलब्ध कराने के बजाय



उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रयोग से सबके लिए बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्राहकों को सस्ती दर पर अविश्वसनीय बिजली देने से बेहतर है कि उनको सब्सिडीरहित भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराया जाए। भारत में इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण वे राज्य हैं जहां इस तरह की मूल व्यवस्था है। समझदारी से निर्धारित बिजली दर से राज्य के विकास में भी मदद मिलेगी। (भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण)

प्रार्थना


उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए टीपीडीडीएल माननीय आयोग से विनम्र आग्रह करता है कि:

- ए) याचिका को स्वीकार करे : टीपीडीडीएल माननीय आयोग से आग्रह करता है कि वित्त वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व घाटे का लेखा स्वीकार करे, उसे मान्यता प्रदान करे और घाटे की त्वरित भरपाई के लिए प्रावधान बनाए। आयोग द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी, स्पष्टीकरण या व्याख्या मांगने पर याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, और/या
- बी) वित्त वर्ष 2009-10 के लिए बड़े घाटे की पूर्ति हेतु तथा 26 अगस्त 2011 के टैरिफ आदेश के पैरा 6.15 में वर्णित वित्त वर्ष 2011-12 के घाटे और पारेषण शुल्क की तत्काल पूर्ति की व्यवस्था की जाए, ताकि याचिकाकर्ता अपना संचालन जारी रख सके, और /या
- सी) वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 के लिए उपलब्ध कराई एआरआर को मंजूरी और दायर याचिका में खुदरा शुल्क के पुनर्निर्धारण को मंजूर किया जाए।
- डी) अगर ऊपर वर्णित अपील या याचिका के जरिए टीपीडीडीएल द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर माननीय एटीई एवं माननीय आयोग द्वारा शुल्क आदेश जारी किए जाने से पहले निर्णय हो जाता है तो इसके प्रभाव को ड्रॉइंग अप का काम किए जाने के दौरान और राजस्व में भारी अंतर की वसूली सुनिश्चित करने के दौरान विचार में लिया जा सकता है। ई) वित्त वर्ष 2009-10 के राजस्व घाटे और वित्त वर्ष 11-12 के लिए अनुमानित राजस्व घाटे को ध्यान में रखते हुए 26.08.2011 के शुल्क आदेश के अनुसार उसकी पूर्ति की समुचित समयबद्ध व्यवस्था की जाए और इसी के अनुसार रीकवरी होने दी जाए और इसके लिए एक अलग सरचार्ज तय किया जाए और यह सब तब तक वसूला जाएगा जब तक पहले के सभी आटे पूरी तरह वसूल न हो जाएं।



एफ) कोई भी अन्य आदेश जो वह ठीक समझे।

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड



याचिकाकर्ता

नई दिल्ली



वार्षिक समीक्षा (वित्त वर्ष 2010-11)

वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित



संचालनात्मक समीक्षा

i) नेटवर्क के विस्तारण और रखरखाव के लिए

तालिका संख्या : 1 विव 09-10 के मुकाबले विव 10-11 में नेटवर्क के ऑगमेंटेशन और मेन्टेनेंस की तुलना

क्रमसंख्या	विवरण	विव 09- 10	विव 10-11
1	पावर ट्रांसफॉर्मर की संख्या	144	149
2	ईएचवी क्षमता (एमवीए)	3,066	3,189
3	वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या	25,387	26,684
4	डीटी (एमवीए)	3,779	4,159

ii) तकनीकी उन्नयन

वितरण क्षमता में विस्तार के लिए 1297 नए डीटी लगाए गए, जिससे क्षमता में 380 एमवीए की बढ़ोतरी हुई।

वित्त वर्ष 10-11 के दौरान पीक आवर्स में 1286 मेगावाट का लक्ष्य हासिल किया। जो कि पिछले वर्ष 1212 मेगावाट था। क्षमता में 6.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की।

वित्त वर्ष 10-11 के दौरान ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाएं 1.54 प्रतिशत से घटकर 1.09 प्रतिशत हुई।

iii) मासिक आधार पर विश्वसनीयता तालिका

वित्त वर्ष 09-10 के मुकाबले वित्त वर्ष 10-11 की मासिक विश्वसनीयता इंडीसेज की गणना (माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत तरीके से) नीचे की गई है

तालिका 2: विव 10 बनाम विव 11 में महीने के हिसाब से रीलायबिलिटी इंडीसेज


माह	विव 09-10			विव 10-11		
	SAIFI	SAIDI	MAIFI	SAIFI	SAIDI	MAIFI
	नग	घंटे	नग	नग	घंटे	नग
अप्रैल	0.354	0.543	0.001	0.392	0.468	0.007
मई	0.758	1.390	0.001	0.548	0.765	0.009



माह	विव 09-10			विव 10-11		
	SAIFI	SAIDI	MAIFI	SAIFI	SAIDI	MAIFI
	नग	घंटे	नग	नग	घंटे	नग
जून	0.700	1.215	0.002	0.585	0.749	0.016
जुलाई	0.848	1.148	0.000	0.633	0.922	0.004
अगस्त	0.738	1.027	0.000	0.520	0.737	0.011
सितंबर	0.500	0.632	0.000	0.350	0.577	0.002
अक्टूबर	0.288	0.350	0.000	0.322	0.447	0.002
नवंबर	0.337	0.511	0.000	0.230	0.319	0.003
दिसंबर	0.257	0.410	0.000	0.202	0.291	0.004
जनवरी	0.319	0.571	0.005	0.191	0.278	0.003
फरवरी	0.329	0.487	0.003	0.286	0.475	0.003
मार्च	0.263	0.345	0.001	0.228	0.292	0.002
कुल	5.690	8.628	0.014	4.488	6.317	0.066

ग्राहक सुविधा

1. ग्राहक की सुविधा के लिए टीपीडीडीएल ने मिनी बिलों को बनाने के लिए कुछ किसी भी समय भुगतान मशीन (एनी टाइम पेमेंट मशीन) की शुरुआत की है। वित्त वर्ष 2010-11 में सभी 34 मशीनों पर इस सुविधा को उपलब्ध कराया गया।
2. टीपीडीडीएल ने एसएमएस सुविधा की शुरुआत की, जिसमें कोई ग्राहक एक एसएमएस भेज कर जिसमें टाइप करना है "एसएमएस टीपीडीडीएल पीएनएमडी(सीए नंबर)" और इसे 56070 पर भेजकर ग्राहक द्वारा किए गए आखिरी पांच भुगतान का ब्यौरा मोबाइल पर लिया जा सकता है।
3. एसएमएस सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी शुरू की गई है जिन्होंने भुगतान के लिए ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम) का चयन किया है। जिसमें, उपभोक्ता को दो बार एसएमएस भेजा जाता है-1.बिल बनने के बाद देय राशि और तिथि 2.भुगतान की पुष्टि।




4. आनलाइन भुगतान का विकल्प इसके लिए सक्षम ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिसमें ग्राहक दिए गए आनलाइन भुगतान विकल्पों से भुगतान कर सकता है। www.ndpl.com पर ये विकल्प हैं-ईसीएस/आईटीजेड कैश/ओएक्सआई कैश/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग।
5. ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने और अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ नए भुगतान संग्रह उपायों की शुरुआत की गई है। ये हैं- (1) जीवन सीएससी (जीएनसीटीडी) (2) एमआईएनसी बिल बॉक्स (3) इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉप बाकसेज। इस तरह भुगतान करने के लिए केंद्रों की संख्या 5800 से अधिक हो गई है।
6. ग्राहकों की आंतरिक वायरिंग की जांच के लिए नेबरहुड इलेक्ट्रीशियन स्कीम के तहत से 150 से अधिक इलेक्ट्रीशियनों को प्रशिक्षित किया गया है।
7. प्रदर्शन प्राचल

तालिका संख्या : 3 प्रदर्शन प्राचल


क्रम संख्या	सेवा क्षेत्र	निर्धारित सीमा / माप	प्रदर्शन का संपूर्ण स्तर	कुल मामले प्राप्त / रिपोर्ट किए गए (ए)	शिकायतों पर कार्रवाई (बी)		प्रदर्शन का स्तर हासिल (सी)
					निश्चित समय सीमा के अंदर	निश्चित समय सीमा के बाद	
1	फ्यूज उड़ने की सामान्य कॉल	शहरी क्षेत्रों के लिए तीन घंटे के अंदर	शहरों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त कम से कम 99% कॉल को निर्धारित समय सीमा के अंदर ठीक कर दिया जाना चाहिए।	68749	68732	17	99.98%
		ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आठ घंटे के अंदर		13842	13842	0	100.00 %
2	लाइन खराब होने की	जहां कहीं संभव हो वैकल्पिक स्रोत से अस्थायी आपूर्ति चार घंटे के अंदर	शहरों नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में कम से कम 95% of मामले	20771	20702	69	99.67%



क्रम संख्या	सेवा क्षेत्र	निर्धारित समय सीमा / माप	प्रदर्शन का संपूर्ण स्तर	कुल मामले प्राप्त / रिपोर्ट किए गए (ए)	शिकायतों पर कार्रवाई (बी)		प्रदर्शन का स्तर हासिल (सी)
					निश्चित समय सीमा के अंदर	निश्चित समय सीमा के बाद	
	शिकायत	बहाल कर दी जानी चाहिए। खराबी दूर करके सामान्य विद्युत आपूर्ति बारह घंटे के अंदर शुरू हो जानी चाहिए।	समय सीमा के अंदर ठीक हो जाने चाहिए।				
3	वितरण ट्रांसफॉर्मर की खराबी	जहां कहीं संभव हो मोबाइल ट्रांसफॉर्मर या दूसरे बैकअप सोर्स से आठ घंटे के अंदर अस्थायी तौर पर आपूर्ति बहाल करना। खराब ट्रांसफॉर्मर को बदलना अड़तालीस घंटे के अंदर	शहरों नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 95% डीटीआर निर्धारित समय के अंदर बदल दिए जाएं।	163	123	40	75.46% *
4	निर्धारित आउटेज की अवधि						
	एक बार में अधिकतम अवधि	एक दिन में अधिकतम अवधि 12 घंटे से ज्यादा नहीं होगी।	कम से कम 95% मामले समय सीमा के अंदर निपटा दिए गए हैं।	12100	12046	54	99.55%




क्रम संख्या	सेवा क्षेत्र	निर्धारित समय सीमा / माप	प्रदर्शन का संपूर्ण स्तर	कुल मामले प्राप्त / रिपोर्ट किए गए (ए)	शिकायतों पर कार्रवाई (बी)		प्रदर्शन का स्तर हासिल (सी)
					निश्चित समय सीमा के अंदर	निश्चित समय सीमा के बाद	
	आपूर्ति की बहाली शाम 6:00 बजे तक	आपूर्ति शाम 6 बजे तक बहाल कर दी जाए		12100	12046	54	99.55%
5	स्ट्रीट लाइट की खराबी						
	लाइन की कराबियां ठीक करना	72 घंटे	कम से कम 90% मामले निर्धारित समय सीमा के अंदर ठीक हो जाने चाहिए	27202	26969	233	99.14%
	फ्यूज /खराब यूनिट को बदलना	72 घंटे					
6	कांटीनुइटी इंडीसेज						
	SAIFI	आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना है जो लाइसेंसियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य पर आधारित होगा		4.488			
	SAIDI			6.317			
	MAIFI			0.066			
7	फ्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव	-	सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आईईजीसी की रेंज के अंदर	0	0	0	100.00 %




क्रम संख्या	सेवा क्षेत्र	निर्धारित समय सीमा / माप	प्रदर्शन का संपूर्ण स्तर	कुल मामले प्राप्त / रिपोर्ट किए गए (ए)	शिकायतों पर कार्रवाई (बी)		प्रदर्शन का स्तर हासिल (सी)
					निश्चित समय सीमा के अंदर	निश्चित समय सीमा के बाद	
			बनाए रखना				
8	वोल्टेज असंतुलन	वोल्टेज असंतुलन की गणना माननीय आयोग द्वारा निर्धारित की जानी है	आपूर्ति शुरू होने के स्थान पर अधिकतम 3%	0	0	0	100.00 %
9	बिलिंग में प्रतिशत गलतियां	% = संशोधन की आवश्यकता वाले बिल / बिलों की कुल संख्या	0.2% से ज्यादा नहीं	3578	2936	2	99.97%
10	खराब मीटर का प्रतिशत	% = कुल खराब मीटर / काम करने वाले मीटरों की कुल संख्या	3% से ज्यादा नहीं	28477	28112	105	97.66%

* वितरण ट्रांसफॉर्मर के मामले में सप्लाई बहाल करने के कुछ मामलों में देरी हुई क्योंकि उपकरण बेहद चोरी वाले क्षेत्र में था नतीजतन इसपर ओवरलोडिंग हुई और आखिरकार परिसंपत्त नाकाम हो गई।



निर्देशों का अनुपालन



7.1-वितरण लाइसेंसधारक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह जोन/जिलावार मासिक एटीएंडसी नुकसान आंकड़ा जिसमें ऊर्जा आगमन का ब्यौरा और बिजली बिल तथा वास्तविक राजस्व हो 15 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट पर डाल दे (माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 के अनुसार समय सीमा 3 सप्ताह कर दी गई है) महीने की समाप्ति के।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के समक्ष पहले ही नवंबर 2011 तक का जिलावार मासिक एटीएंडसी नुकसान पेश कर दिया है, जिसमें ऊर्जा आगमन का ब्यौरा और बिजली बिल तथा वास्तविक राजस्व दर्शाया गया है। इसके साथ ही इसे अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

7.2-वितरण लाइसेंसधारक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उन जोनों और जिलों में जिनमें वर्तमान में नुकसान एक वर्ष में 40 प्रतिशत से अधिक है, एटीएंडसी नुकसान को अगस्त 2012 तक कम से कम 10 प्रतिशत तक कम करे। दिए गए आदेश में संपूर्ण एटीएंडसी नुकसान में कमी के लक्ष्य के अलावा वितरण लाइसेंसधारक को इन लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करना होगा। ऐसा करने में विफल होने पर जुर्माना हो सकता है।


अनुपालन

टीपीडीडीएल ने 40 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले क्षेत्रों में समर्पित दलों के साथ विशेष पहल शुरू की है। जैसे-अत्यधिक छापेमारी, चोरी से सुरक्षा के उपाय के लिए योजना बनाना आदि। इसके बावजूद पुलिस के समर्थन के अभाव और इन इलाकों में भारी प्रतिरोध का सामना करने की वजह से यह लक्ष्य अप्राप्य लगता है।

7.3-डू अप के लिए आवश्यक सभी आंकड़ों (केवीएच पर आधारित ग्राहक बिल में केडब्ल्यूएच और केवीएच को शामिल किया जाए) को बनाए रखा जाए तथा आयोग द्वारा दी गई समयावधि के डू अप के आदेश से पहले डाटा बेस से मिटाया न जाए।

अनुपालन

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डू अप के लिए आवश्यक सभी आंकड़ों (केवीएच पर आधारित ग्राहक बिल में केडब्ल्यूएच और केवीएच को शामिल किया जाए) को बनाए रखा जाए तथा आयोग द्वारा दी गई समयावधि के डू अप के आदेश से पहले डाटा बेस से मिटाया न जाए।



7.4-आयोग वितरण लाइसेंसधारक को निर्देशित करता है कि वह फार्म 2.1(ए) को त्रैमासिक आधार पर संवैधानिक आडिटर से आडिट कराए। आडिटर द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को आयोग के समक्ष 15 दिन के भीतर पेश किया जाए। (माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 के अनुसार समय सीमा 30 दिन कर दी गई है) त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के।

अनुपालन

फार्म 2.1(ए) का त्रैमासिक संवैधानिक आडिट चल रहा है, जबकि आंकड़ों के भारी मात्रा में होने के कारण इसमें अधिक समय लग रहा है और जैसे ही यह पूरा होता है, फार्म 2.1 (ए) के संवैधानिक आडिटर द्वारा जारी किए गए आडिट प्रमाण पत्र को तत्काल माननीय आयोग के सामने पेश किया जाएगा।

7.5-आयोग वितरण लाइसेंसधारक को निर्देशित करता है कि वह आडिट लेखा में पावर स्टेशन के अनुसार बिजली खरीद मात्रा तथा मूल्य और विभिन्न मदों को पूरे ब्यौरे के तहत प्रदर्शित करे।


अनुपालन

पावर स्टेशन के अनुसार बिजली खरीद मात्रा और मूल्य का ब्यौरे सहित आडिट प्रमाण पत्र माननीय आयोग के समक्ष अलग से पेश होगा।

7.6-वितरण लाइसेंसधारक आयोग द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देश का पालन करते हुए अल्प अवधि के लिए बिजली खरीद का इंतजाम करेगा। वितरण लाइसेंसधारक को आगे भी निर्देशित किया जाता है कि वह अल्पावधि के बिजली खरीद सौदे की कीमत को सीमित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिसमें अल्पावधि करार 5 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच हो। आगे निर्धारित दर (5 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच) से ऊंची दर पर खरीदे जाने वाले अल्पावधि सौदे के मामले में, इस सौदे का प्रभाव कुल अल्पावधि खरीद सौदों पर मौजूदा वित्त वर्ष में 10 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच से अधिक नहीं होना चाहिए। आयोग उपर्युक्त विषय के मुताबिक अल्पावधि बिजली खरीद सौदे को मंजूरी देगा, किसी भी बड़े अपवाद/घटना को तर्कसंगत ढंग से 24 घंटे के भीतर आयोग के ध्यान में लाया जा सकेगा।

अनुपालन

आयोग द्वारा अल्पावधि बिजली खरीद के इंतजाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन टीपीडीडीएल करता है। आगे सिर्फ दो दिन के लिए आपातकालीन हालात से निपटने और लोड शेडिंग कम करने के लिए, जो कि देश के सभी एनटीपीसी स्टेशनों पर उत्पादन घटने के कारण (कोयले की भारी



कमी के कारण) और कम आवृत्ति पर बिजली उत्पादन की स्थिति में ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने से पैदा हुई। टीपीडीडीएल ने कुछ घंटों के लिए 5 रु. प्रति केडब्ल्यूएच के दर से अधिक दर पर बिजली खरीदी और इसके बारे में माननीय आयोग को 21 अक्टूबर 2011 को सूचना दे दी गई।

7.7-वितरण लाइसेंसधारक केंद्रीय और राज्य के विद्युत उत्पादन और पारेषण सुविधाओं के बिल और देय भुगतान समय पर करने के लिए जिम्मेदार होगा। वितरण लाइसेंसधारक द्वारा विलंबित भुगतान की स्थिति में आयोग एआरआर में किसी भी उपशुल्क को शामिल करने की अनुमति नहीं देगा।

अनुपालन

डीटीएल/जेनको के कुछ बकाया बिलों जिनके लिए डीईआरसी/एटीई के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की गई है के अलावा टीपीडीडीएल सभी उत्पादन केंद्रों और पारेषण सुविधाओं का भुगतान समय पर कर रहा है।

7.8-आयोग वितरण लाइसेंस धारक को पहले ही निर्देशित कर चुका है कि वह सितंबर 2011 के अंत तक सभी डिविजनों की जीआईएस मैपिंग पूरी करे और इसका आंकड़ा दिल्ली स्टेट स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (डीएसएसडीआईपी) के समक्ष पेश करे। वितरण लाइसेंसधारक उपर्युक्त को 15 अक्टूबर 2011 तक डिविजन के अनुसार अपनी वेबसाइट पर जारी करे, वितरण लाइसेंसधारक परिसंपत्ति रजिस्टर बनाए और इसे आयोग को 31 दिसंबर 2011 तक पेश करे। जब तक कि यह कार्य पूरा न किया जाए, इस संबंध में किसी भी चूक का परिणाम किसी भी तरह के पूंजी निवेश प्रस्ताव की नामंजूरी के रूप में हो सकता है।

अनुपालन

टीपीडीडीएल माननीय आयोग को अपने पत्र संख्या एनडीपीएल/सीसीएम/3 दिनांक 31 अक्टूबर 2011 के माध्यम से यह सूचना दे चुका है कि सभी 12 जिलों में वितरण के लिए अचल परिसंपत्ति के आंकड़े डीएसएसडीआईपी पर डाल दिए गए हैं और जिलेवार जीआईएस मानचित्र अपने वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आगे संपत्ति रजिस्टर माननीय आयोग को पेश कर दिया गया है, इसके लिए पत्र दिनांक 22-12-2011 को देखें।

7.9- वितरण लाइसेंसधारक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह दो महीने के भीतर अपने कार्यालय, ग्रिड उपकेंद्रों, उपभोक्ता सेवा केंद्रों आदि में बिजली खपत को मापे।



अनुपालन

टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग को अपने कार्यालय, ग्रिड उपकेंद्रों, उपभोक्ता सहायता केंद्रों आदि में हो रही बिजली खपत के मापन की जानकारी पहले ही दे दी है इसके लिए पत्र संख्या एनडीपीएल/सीसीएम/3 दिनांक 3 नवंबर 2011 देखिए।

7.10-आयोग वितरण लाइसेंसधारक को सुरक्षा आडिट कराने के लिए तथा वितरण उपकेंद्रों की उपयुक्त बाइबंदी सुनिश्चित करने के लिए, कोड आफ प्रैक्टिस फार अर्थिंग के मुताबिक बाड़ की ग्राउंडिंग तथा बाड़ के उपयुक्त सुरक्षा इंतजाम को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्देशित करता है।

अनुपालन

टीपीडीडीएल के पास क्षेत्र में समर्पित सुरक्षा समूह है और उपकेंद्रों की सुरक्षा आडिट कराई गई है। जिससे इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि वितरण उपकेंद्रों पर लगाई गई बाड़ की उपयुक्त घेराबंदी की जा सके, जिससे अनधिकृत प्रवेश/पहुंच रोकी जा सके और यह घुसपैठियों को चोट पहुंचाएगी। इस बात को मानना चाहिए कि यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि अवांछनीय तत्व हमेशा ताला तोड़ने और उसे चोरी करने की कोशिश जारी रखते हैं और यदि ऐसी सूचना मिलती है या ऐसा पाया जाता है तो उसकी मरम्मत सुनिश्चित करनी चाहिए।

7.11-मीटर की सीलिंग/डीसीलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए वितरण लाइसेंसधारक को इस टैरिफ आदेश के जारी होने के एक महीने के अंदर एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उसे यथावत आयोग के पास मंजूरी पेश करना चाहिए।

अनुपालन

टीपीडीडीएल के पास पहले से ही क्षेत्र में सील प्रबंधन मौजूद है, जिसकी सूचना माननीय आयोग को दी जा चुकी है। इसके लिए पत्र संख्या एनडीपीएल/सीसीएम/3 दिनांक 2 नवंबर 2011 देखिए।

7.12-टैरिफ आदेश जारी होने के एक महीने के भीतर वितरण लाइसेंसधारक को मीटर के परीक्षण के लिए एक प्रक्रिया पेश करनी होगी।

अनुपालन

मीटर परीक्षण में जिस प्रक्रिया का पालन टीपीडीडीएल करता है उसकी जानकारी माननीय आयोग को दी जा चुकी है। इसके लिए इसके लिए पत्र संख्या एनडीपीएल/सीसीएम/3 दिनांक 31 अक्टूबर 2011 देखिए।



7.13 टैरिफ आदेश के जारी होने के दो महीने के भीतर वितरण लाइसेंसधारक को ग्राहकों को द्विभाषीय बिल उपलब्ध कराना होगा।

अनुपालन

टीपीडीडीएल के पत्र संख्या एनडीपीएल/सीसीएम/3 दिनांक 2 नवंबर 2011 के अनुसार माननीय आयोग को टीपीडीडीएल ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी है कि वह सभी ग्राहकों को जून 2010 से द्विभाषीय बिल जारी कर रहा है। और यह माननीय आयोग द्वारा दिए गए पत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2010 की संसोधित एकसमान बिजली बिल प्रारूप के अनुरूप है।

7.14-एटीएंडसी हानि के अनुसार आयोग याचिकाकर्ता को यह निर्देश देता है: (ए) आयोग के एक सप्ताह के भीतर मासिक रूप से फार्म 2.1 (ए) और बिलिंग डाटाबेस पेश किया जाए। (माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 के अनुसार समय सीमा 3 सप्ताह कर दी गई है) चल रहे महीने के अनुसार ।


अनुपालन

टीपीडीडीएल ने पहले ही दिसंबर 2011 तक की फार्म 2.1(ए) माननीय आयोग को पेश कर दी है। इसके साथ ही माननीय आयोग को इस बात की जानकारी दी गई है कि डाटाबेस के काफी विस्तृत होने की वजह से इसको पेश कर पाना व्यावहारिक नहीं है।

(बी) मासिक आधार पर श्रेणीवार राजस्व संग्रह का समर्थन करने के लिए दस्तावेज पेश किया जाए, एक सप्ताह के भीतर (माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 के अनुसार समय सीमा 3 सप्ताह कर दी गई है) चल रहे महीने के अनुसार ।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के समक्ष दिसंबर 2011 तक की मासिक आधार पर श्रेणीवार राजस्व संग्रह का लेखाजोखा पेश किया है। इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए विभिन्न केंद्रों पर संग्रह रोजाना होता है , इसलिए समर्थन में दस्तावेज पेश कर पाना अव्यावहारिक है।



(सी) त्रैमासिक और वार्षिक बैलेंस शीट में फार्म 2.1(ए) संलग्न करें।

अनुपालन

माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 में इस बात की छूट दी गई है कि त्रैमासिक सूचना के आधार पर जारी आडिट प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाता है, और ऊपर दी गई जानकारी को वार्षिक नियामक खाता का हिस्सा बनाया जा सकता है।

(डी) त्रैमासिक तथा वार्षिक बैलेंस शीट में ग्राहकों के श्रेणीवार /मदवार ब्यौरे संलग्न करें, जिसमें उपभोक्ताओं की संख्या, कनेक्ट लोड, बिक्री, पावर फैक्टर, निश्चित शुल्क से संग्रहित राजस्व, मांग आधारित शुल्क से राजस्व हो।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने दिसंबर 2011 तक का फार्म 2.1 (ए) माननीय आयोग के समक्ष पहले ही पेश कर दिया है। जिसमें उपर्युक्त सभी विवरण मौजूद हैं।

(ई) त्रैमासिक और वार्षिक बैलेंस शीट स्रोतवार बिजली खरीद और बिक्री का ब्यौरा संलग्न करें, जिसमें मात्रा एमयू में और रुपये करोड़ में हो।


अनुपालन

बिजली केंद्रवार बिजली खरीद की मात्रा और कीमत को पूरे ब्यौरेवार आडिट प्रमाण पत्र अलग से माननीय आयोग के समक्ष पेश किया गया है।

(एफ) मासिक आधार पर ग्राहकों की वृद्धि और उनका ब्यौरा मासिक रिपोर्ट में आयोग को पेश करें, महीने के पहले सप्ताह में (माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 के अनुसार समय सीमा 3 सप्ताह कर दी गई है) चल रहे महीने के अनुसार।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने दिसंबर 2011 तक की मासिक श्रेणीवार ग्राहक वृद्धि का ब्यौरा पहले ही माननीय आयोग को पेश कर दिया है।



(जी) काटे गए/फिर जोड़े गए कनेक्शनों की संख्या और उनके ब्यौरे की मासिक रिपोर्ट माननीय आयोग को पेश करें, चले रहे महीने के पहले सप्ताह में (माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 के अनुसार समय सीमा 3 सप्ताह कर दी गई है) चल रहे महीने के अनुसार।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने दिसंबर 2011 तक के मासिक श्रेणीवार ग्राहकों के काटे गए/पुनः जोड़े गए कनेक्शनों का ब्यौरा माननीय आयोग को पहले ही पेश कर दिया है।

(एच) बिल शुद्धिकरण/जेई एंटीज की मासिक रिपोर्ट माननीय आयोग के समक्ष पेश करें, महीने के पहले सप्ताह में (माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 के अनुसार समय सीमा 3 सप्ताह कर दी गई है) चल रहे महीने के अनुसार।

अनुपालन


टीपीडीडीएल ने दिसंबर 2011 तक के बिल संसोधन की मासिक रिपोर्ट पहले ही माननीय आयोग को पेश कर दी है।

(आई) ग्राहक श्रेणी में आए हुए बदलाव की मासिक रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश करें, महीने के पहले सप्ताह में (माननीय आयोग के पत्र संख्या एफ3(102)/टैरिफ/डीईआरसी/2009-10/सीएफ नंबर 2648/4060 दिनांक 18 नवंबर 2011 के अनुसार समय सीमा 3 सप्ताह कर दी गई है) चल रहे महीने के अनुसार।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने दिसंबर 2011 तक आए हुए ग्राहक श्रेणी बदलाव की मासिक रिपोर्ट पहले ही माननीय आयोग को पेश कर दी है।

7.15- वितरण लाइसेंसधारक अपने रिठाला कंबाइंड साइकिल प्लांट में ओपन साइकिल जनरेशन को ओपन साइकिल और कंबाइंड साइकिल के परीक्षण संचालन के लिए एसएलडीसी द्वारा निर्देशित जरूरी सीमा तक सीमित करेगा। जो प्रमाणित करेगा कि परीक्षण संचालन की जरूरतों के मुताबिक संचालन हुआ। एसएलडीसी से मंजूर ओपन साइकिल संचालन के स्तर के ऊपर, दिए गए अवधि में ओपन



साइकिल की परिवर्ती लागत और यूआई दरों में अंतर की वजह से किसी भी तरह के निवेश में बढ़ोतरी को आयोग मंजूरी नहीं देगा।

अनुपालन

टीपीडीडीएल के विभिन्न पत्रों दिनांक 5 अगस्त 2011, 11 अगस्त 2011 और 9 दिसंबर 2011 के माध्यम से माननीय आयोग को पहले ही यह सूचना दी जा चुकी है कि माननीय आयोग और सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन 2009-14 के अनुसार जेनरेशन टैरिफ रेगुलेशन, कंबाइंड साइकिल प्लांट के वाणिज्यिक संचालन का ओपेन साइकिल मोड में यूनिट के हिसाब से घोषणा की गई है।

हम यहां दोहराते हैं कि डीईआरसी एमवाईटी जेनरेशन टैरिफ रेगुलेशन, 2007 में सीओडी की परिभाषा बताती है कि सीओडी की घोषणा यूनिट के हिसाब से हो। उपर्युक्त रेगुलेशन का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

(एन) सीओडी - डेट आफ कामर्शियल आपरेशन

(i) इकाई के संबंध में सीओडी का अर्थ लाभकर्ता को नोटिस के बाद सफल परीक्षण संचालन के पश्चात मैक्सिमम कंटीन्यूज रेटिंग (एमसीआर) या इंस्टाल्ड कैपासिटी (आईसी) के प्रदर्शन के बाद उत्पादक द्वारा तिथि की घोषणा है।

(ii) उत्पादन केंद्र के संबंध में सीओडी का मतलब उत्पादन केंद्र के अंतिम इकाई या ब्लॉक के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि, जो उपर्युक्त धारा 1 के मुताबिक हो से है।


(h) कंबाइंड साइकिल ताप बिजली उत्पादन केंद्र के संबंध में "ब्लॉक" का मतलब है, कंबिन्सन टरबाइन-जेनरेटर, जो वेस्ट हीट रिकवरी बायलर से जुड़ा हो, स्टीम टरबाइन-जेनरेटर और पूरक से संलग्न हो।

(aa) ताप विद्युत उत्पादन केंद्र के संबंध में इकाई का अर्थ है, स्टीम जेनरेटर, टरबाइन जेनरेटर और पूरक, अथवा कंबाइंड साइकिल ताप विद्युत उत्पादन केंद्र के संबंध में इकाई का अर्थ है टरबाइन और पूरक।


उपरोक्त के हिसाब से, कंबाइंड साइकिल प्लांट के संबंध में इकाई की परिभाषा है-टरबाइन जेनरेटर और पूरक। जेनरेशन टैरिफ रेगुलेशन कहीं से भी कंबाइंड साइकिल प्लांट में ओपेन साइकिल मोड इकाईवार सीओडी का निषेध नहीं करता है। टीपीडीडीएल ने रिठाला परियोजना का ओपेन साइकिल मोड में यूनिट 1 और 2 का सीओडी दिनांक 04-02-2011 को घोषित किया जो 05-02-2011 से प्रभावी हुआ और



रिठाला परियोजना ओपन साइकिल मोड में संचालित हुई दिनांक 05-02-2011 से 03-09-2011 तक। इसका मतलब उस तिथि से है जिस दिन रिठाला परियोजना कंबाईंड साइकिल मोड में सीओडी को हासिल किया। इस तरह रिठाला सीसीपीपी 05-02-2011 से 03-09-2011 तक परीक्षण संचालन के अंतर्गत नहीं था, और इस तरह किसी भी प्रकार से दिए गए अवधि में ओपन साइकिल की परिवर्ती लागत और यूआई दरों में अंतर की वजह से किसी भी तरह के निवेश में बढ़ोतरी का सवाल ही नहीं उठता।



हूँ अप
वित्त वर्ष 2010-11



ए. विद्युत (ऊर्जा) का क्रय मूल्य

टीपीडीडीएल में वित्त वर्ष 10-11 में ग्राहकों के लिए इस्तेमाल में आई 7315.90 मेगा यूनिट विद्युत के लिए वास्तविक ऊर्जा खरीद कीमत 3112.90 करोड़ रुपये हुई।

वित्त वर्ष 2010-11 की ऊर्जा खरीद कीमत के संदर्भ में, याचिकाकर्ता माननीय आयोग के ध्यान में लाना चाहता है कि वित्त वर्ष 2009-10 के टैरिफ को निर्धारित करते समय माननीय आयोग ने विद्युत खरीद कीमत को 2.63 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की थी। जैसा कि संज्ञान में है कि वित्त वर्ष 2010-11 में कोई टैरिफ आदेश नहीं दिया गया। इसलिए यही टैरिफ 2010-11 में भी जारी रहा। जिसमें विद्युत खरीद कीमत 2.63 रुपये प्रति यूनिट रही। जबकि वित्त वर्ष 2010-11 में इसकी वास्तविक कीमत रही 4.25 रुपये प्रति यूनिट रही (देखें तालिका संख्या 5)।

वित्त वर्ष 2009-10 के लिए रुपये 2.63 प्रति यूनिट पर विद्युत खरीद कीमत की गणना की गई है जिसे सारणी नंबर 4 में दर्शाया गया है। जिसके आधार पर वित्त वर्ष 2009-10 के टैरिफ का निर्धारण किया गया था तथा वही टैरिफ वित्त वर्ष 2009-10 में भी जारी रहा। इसके बावजूद कि वास्तविक विद्युत खरीद कीमत 4.25 रुपये प्रति यूनिट के ऊपर चली गई। किंतु इसके समान टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।

तालिका 4: शुल्क दर में बंटी बिजली खरीदने की वास्तविक कीमत की तुलना विव 2010-11 की वास्तविक कीमत के मुकाबले

विवरण	शुल्क में ली गई औसत दर (रुपए/यूनिट)	टीपीडीडीएल की वास्तविक लागत विव 10-11			अंतर रुपए/यूनिट = कॉलम 4 - कॉलम 1	इंपैक्ट राशि (करोड़ रुपए) = कॉलम 3 * कॉलम 5
		एमयूएस	राशि (करोड़ रुपए)	औसत दर (रु/यूनिट)		
	1	2	3	4	5	6
सीएसजीएस से बिजली खरीद *	2.43	5273.95	1593.63	3.02	0.59	310.29
अंतरराज्यीय द्विपक्षीय खरीद	4.60	1443.13	813.82	5.64	1.04	150.46
पीजीसीआईएल हानि		-304.06				



विवरण	शुल्क में ली गई औसत दर (रुपए/यूनिट)	टीपीडीडीएल की वास्तविक लागत			अंतर रुपए/यूनिट = कॉलम 4 - कॉलम 1	इंपैक्ट राशि (करोड़ रुपए) = कॉलम 3 * कॉलम 5
		वि. 10-11 एमयूएस	राशि (करोड़ रुपए)	औसत दर (रु/यूनिट)		
दिल्ली से बिजली की खरीद जेनकोज #	2.64	1971.41	724.4	3.67	1.04	204.73
राज्य के अंदर बिजली खरीद	3.00	109.52	48.68	4.44	1.44	15.82
दिल्ली की सीमा पर बिजली की उपलब्धता	2.70	8493.95	3180.53	3.74	0.80	681.29
डीटीएल हानि		-116.04				
डिस्कॉम को उपलब्ध बिजली	2.74	8377.91	3180.53	3.80	0.81	681.29
घटाएं : सरप्लस पावर बेचा गया/ बैंकड बिक्री	4.88	-1062	-314.77	2.96	-1.92	203.42
टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बिजली	2.41	7315.91	2865.76	3.92	1.21	884.71
संप्रेशण शुल्क						
पीजीसीआईएल चार्जेज टीसीएल और यूएलडीसी चार्जेज			136.58			30.33
टीएल /एसएलडीसी शुल्क			110.54			60.84




विवरण	शुल्क में ली गई औसत दर (रुपए/यूनिट)	टीपीडीडीएल की वास्तविक लागत			अंतर रुपए/यूनिट = कॉलम 4 - कॉलम 1	इंपैक्ट राशि (करोड़ रुपए) = कॉलम 3 * कॉलम 5
		एमयूएस	राशि (करोड़ रुपए)	औसत दर (रु/यूनिट)		
टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बिजली	2.63	7315.91	3112.88	4.25	1.33	975.88

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए विद्युत खरीद कीमत में भारी बढ़ोतरी के विभिन्न कारण नीचे दिए गए हैं।

- (ए) माननीय आयोग द्वारा अनुमानित मांग में बढ़ोतरी
- (बी) कोयले की कीमत में भारी बढ़ोतरी के कारण संयंत्र द्वारा विनियमित कीमत में बढ़ोतरी। इसकी वजह से विद्युत खरीद कीमत में बढ़ोतरी।
- (बी) माननीय आयोग ने जो कारक तय किया था उसके विपरीत मौजूदा संयंत्रों से कम आपूर्ति का होना, खासतौर पर कोयला संयंत्रों से, जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय स्रोतों, व्यापारिक स्रोतों और ऊर्जा एक्सचेंजों से बहुत अधिक कीमत पर अधिक बिजली खरीदी गई।
- (सी) माननीय आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क से नए उत्पादन केंद्रों का शुल्क अधिक होना।
- (डी) लाइसेंस वाले इलाके से बाहर बिक्री की वसूली कम होना।

वित्त वर्ष 2010-11 में टीपीडीडीएल द्वारा उपयोग की गई 7315.9 मेगा यूनिट (रुपये 4.25 प्रति यूनिट दर पर) की वास्तविक विद्युत खरीद कीमत हुई 3112.90 करोड़ रुपये। जिसको ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया। रुपये 2.63 प्रति यूनिट की तुलना में उपभोक्ताओं से वसूला गया शुल्क तय किए गए शुल्क में अंतर रुपये 975.88 करोड़ (7315 मेगा यूनिट रुपये 1.33 प्रति यूनिट की दर पर) जिसका सीधा असर प्रति यूनिट विद्युत खरीद कीमत के औसत पर हुआ।

वास्तविक व्यय के आधार पर प्रांसगिक फार्म जैसे फार्म एफ1, एफ1ए, एफ1सी, एफ1डी और एफ1ई संलग्न किए गए हैं।




वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत खरीद का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

1. दिल्ली स्थित बिजली उत्पादन केंद्र (दादरी सहित) से ऊर्जा की उपलब्धता

वित्त वर्ष 2010-11 में दिल्ली स्थित विद्युत उत्पादन केंद्रों और दादरी सीएसजीएस एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल वास्तविक ऊर्जा के साथ कुल कीमत को नीचे दी गई सारणी में बताया गया है।

तालिका 5: दिल्ली जेनको से बिजली की उपलब्धता की औसत दर की तुलना शुल्क के घटक के रूप में विव 10-11 के वास्तविक से

उत्पादन केंद्र	औसत दर (रु/यूनिट) शुल्क में माना गया	टीपीडीडीएल को वास्तविक लागत विव 10-11			अंतर = कॉलम 4 - कॉलम 1	इंपैक्ट (करोड़ रुपए) = कॉलम 3 * कॉलम 5
		एमयू	रु करोड़	औसत दर		
	1	2	3	4	5	6
बीटीपीएस	2.70	895.37	342.9	3.83	1.13	101.19
राजघाट	3.09	194.46	67.59	3.48	0.39	7.52
आईपी स्टेशन	3.28	0	0.19		-	
जीटी	2.54	380.52	149.02	3.92	1.38	52.52
पीपीसीएल	2.12	468.52	141.1	3.01	0.89	41.56
टीपीडीडीएलजी सोलर	-	0.43	0.95	22.09	22.09	0.95
टीपीडीडीएलजी- रिठाला		32.11	22.65	7.05	7.05	22.65
कुल	2.64	1971.41	724.4	3.67	1.15	226.40



II केंद्रीय सेक्टर उत्पादन केंद्र द्वारा ऊर्जा उपलब्धता

वित्त वर्ष 2010-11 में मौजूदा सीएसजीएस द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल वास्तविक ऊर्जा के साथ कुल कीमत को नीचे दी गई सारणी में बताया गया है।

तालिका 6: शुल्क दर में शामिल सीएसजीएस से बिजली की औसत उपलब्धता की तुलना विव 10-11 के वास्तविक से

उत्पादन केंद्र	औसत दर (रु/यूनिट) शुल्क में माना गया	टीपीडीडीएल को वास्तविक लागत विवि 10-11			अंतर = कॉलम 4 - कॉलम 1	प्रभाव राशि (करोड़ रुपए) = कॉलम 3 * कॉलम 5
		एमयू	करोड़ रुपए	औसत दर		
		1	2	3	4	5
एनटीपीसी						
सिंगरौली	1.35	338.98	64.88	1.91	0.57	19.19
रिहन्द-I	1.93	204.45	41.54	2.03	0.10	2.14
रिहन्द-II	1.89	291.35	66.15	2.27	0.39	11.22
ऊंचाहार-I	2.24	44.26	12.2	2.76	0.52	2.28
ऊंचाहार-II	2.11	90.97	25.66	2.82	0.71	6.44
ऊंचाहार-III	2.36	53.84	17.45	3.24	0.88	4.75
अंटा	2.56	47.08	16.03	3.40	0.84	3.97
ऑरिया	2.89	83.69	25.99	3.11	0.22	1.82
दादरी	2.53	1260.52	385.66	3.06	0.53	66.88
दादरी जीपीपी	3.07	109.6	34.19	3.12	0.05	0.51

उत्पादन केंद्र	औसत दर (रु/यूनिट) शुल्क में माना गया	टीपीडीडीएल को वास्तविक लागत विवि 10-11			अंतर = कॉलम 4 - कॉलम 1	प्रभाव राशि (करोड़ रुपए) = कॉलम 3 * कॉलम 5
		एमयू	करोड़ रुपए	औसत दर		
	1	2	3	4	5	6
फरक्का	2.33	37.96	13.79	3.63	1.30	4.93
कहलगांव-I	2.24	79.33	28.36	3.57	1.33	10.57
एनटीपीसी कुल		2642.03	731.9	2.77		134.70
एनएचपीसी						
बैरासिउल एचईपी	0.92	22.43	2.26	1.01	0.09	0.20
सलाल - I एचईपी	0.76	109.94	8.56	0.78	0.01	0.16
टनकपुर एचईपी	1.34	13.63	2.17	1.59	0.25	0.34
चमेरा I एचईपी	1.51	55.48	8.27	1.49	-0.02	-0.12
चमेरा II एचईपी	3.05	58.02	18.69	3.22	0.17	0.98
ऊरी एचईपी	1.53	97.52	16.29	1.67	0.14	1.38
धौलीगंगा एचईपी	2.00	46.64	11.93	2.56	0.55	2.58
दुलहस्ती एचईपी	3.05	83	41.32	4.98	1.93	15.98
एनएचपीसी कुल		486.66	109.49	2.25		21.49
अन्य						
नाथपा झाकरी एचईपी	2.59	201.66	55.18	2.74	0.14	2.87
टिहरी-I एचईपी	4.77	95.5	45.96	4.81	0.05	0.45




उत्पादन केंद्र	औसत दर (रु/यूनिट) शुल्क में माना गया	टीपीडीडीएल को वास्तविक लागत विवि 10-11			अंतर = कॉलम 4 - कॉलम 1	प्रभाव राशि (करोड़ रुपए) = कॉलम 3 * कॉलम 5
		एमयू	करोड़ रुपए	औसत दर		
	1	2	3	4	5	6
टाला एचईपी	1.86	30.59	5.63	1.84	-0.02	-0.05
अन्य कुल		327.75	106.77	3.26		3.26
परमाणु						
एनएपीएस	2.07	51.17	10.45	2.04	-0.03	-0.16
आरएपीएस 3 व 4	4.16	5.03	1.49	2.96	-1.20	-0.60
परमाणु कुल		56.2	11.94	2.12		-0.77
कुल - मौजूद स्टेशन	2.31	3512.64	960.1	2.73	0.45	158.69

ऊपर दी गई तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत खरीद कीमत में 3512 मेगा यूनिट के लिए प्रति इकाई में रुपये 0.45 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी से टीपीडीडीएल को बिजली खरीद की अनुमानित कीमत से रुपये 158.69 करोड़ अधिक खर्च करने पड़े जिसकी वसूली नहीं हो सकी क्योंकि वित्त वर्ष 2010-11 शुल्क आदेश जारी नहीं किया गया।

III नए उत्पादन केंद्रों से ऊर्जा की उपलब्धता

वित्त वर्ष 2010-11 में नए उत्पादन केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल वास्तविक ऊर्जा के साथ कुल कीमत को नीचे दी गई सारणी में बताया गया है।




तालिका 7: नए उत्पादन केंद्रों से उपलब्ध बिजली की 09-10 के आदेश की औसत दर की तुलना विव 10-11 के वास्तविक से

नए उत्पादन केंद्र	औसत दर (रु/यूनिट) शुल्कदर में माना गया	टीपीडीडीएल को वास्तविक लागत विव 10-11			अंतर = कॉलम 4 - कॉलम 1	प्रभाव राशि (करोड़ रुपए) = कॉल 3 * कॉल 5
		एमयू	करोड़ रुपए	औसत दर		
	1	2	3	4	5	6
दादरी चरण II	2.80	1226.95	457.43	3.73	0.93	113.99
कहलगांव II	2.80	229.35	81.1	3.54	0.74	16.91
एनटीपीसी झज्जर		15.2	6.79	4.47	4.47	6.79
सेवा	2.90	14.27	6.93	4.86	1.96	2.79
कोलडम	2.90	0	0		-2.90	0.00
आरएपीएस 5 व 6	2.90	95.23	28.29	2.97	0.07	0.67
तलचर		0	0.01		0.00	0.00
मेजिया	3.00	103.35	29.97	2.90	-0.10	-1.04
डीवीसी	3.00	76.96	23.01	2.99	-0.01	-0.08
कुल	2.86	1761.31	633.53	3.60	0.80	140.04

ग्राहकों से लिए जाने वाले बिजली शुल्क का निर्धारण करते समय माननीय आयोग ने नए उत्पादन केंद्रों की प्रति यूनिट की अनुमानित कीमत 2.86 पैसे प्रति यूनिट तय की। जबकि वास्तविक कीमत रुपये 3.60 प्रति यूनिट होती है और टीपीडीडीएल ने अनुमानित बिजल खरीद कीमत से 140 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए। जिसको वर्ष 2010-11 में ग्राहकों को शुल्क के तौर पर वसूला जाना था।

जिन कारणों से अलग टीपीडीडीएल ने अनुमानित बिजली खरीद से अधिक खर्च किए जिस पर कि वित्त वर्ष 2010-11 में ग्राहकों से शुल्क वसूला जाना था। वे निम्न प्रकार हैं:



- a) वास्तविक 5.64 रुपये प्रति यूनिट कीमत के विपरीत अन्तरराज्यीय द्विपक्षीय विद्युत खरीद कीमत की अनुमानित दर रुपये 4.60 प्रति यूनिट तय की गई, इसका प्रभाव रुपये 150 करोड़ अतिरिक्त भार के रूप में हुआ।
- b) अधिक बिजली की वास्तविक बिक्री 4.88 रुपये प्रति यूनिट की अनुमानित कीमत के मुकाबले 2.96 रुपए प्रति यूनिट हुई - प्रभाव 204 करोड़ रुपये।
- c) पारेषण घाटा का अनुमान लगभग 100 करोड़ रुपये कम लगाया गया था।
- d) पारेषण शुल्क का अनुमान लगभग 91 करोड़ रुपये कम लगाया था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विव 10-11 में बिजली खरीदने की नई लागत 4.25 रुपए प्रति यूनिट थी। जबकि माननीय आयोग ने विव 09-10 के लिए टैरिफ आदेश में इसे 2.63 प्रति यूनिट तय किया था जो वित्त वर्ष 2010-11 के लिए भी जारी रहा।

एटीएंडसी के उद्देश्य से विव 10-11 में पावर पर्चेज यूनिट

यह बात ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली एसएलडीसी द्वारा यूआई और अंतःराज्यीय बिल को जारी करने में लगभग 2 से 3 महीने की देरी होती है। इस तरह से, वित्त वर्ष 2009-10 के एकाउंट को अंतिम रूप देते वक्त यूआई और अंतःराज्यीय बिल पूरे वर्ष के लिए जारी नहीं हुए। जिस महीने के यूआई और अंतःराज्यीय मेगा यूनिट्स बिल जारी नहीं किए गए उनके लिए टीपीडीडीएल ने कुछ प्रावधान बना रखे हैं। इन प्रावधानों के इस्तेमाल को संवैधानिक आडिटर से मान्यता मिली हुई है और वर्ष 2009-10 के लिए बिजली खरीद लागत के लिए आडिट प्रमाण पत्र में वर्ष 2009-10 के लिए खपत को अनुमोदित किया गया है। जो कि माननीय आयोग के समक्ष 2009-10 के बिजली खरीद बिल के साथ प्रस्तुत किया गया है। वह कुल 6955.97 मेगा यूनिट था।

दिल्ली एसएलडीसी द्वारा जारी किए गए यूआई बिल के अनुसार वर्ष 2009-10 वास्तविक खपत 6963.04 मेगा यूनिट हुआ। इस तरह से 2009-10 के लिए अंतरिम मेगा यूनिट और वास्तविक एमयू में 7.063474 का अंतर रहा। जो कि समान रूप से वित्त वर्ष 2010-11 के लिए एकाउंट में स्वीकार किया गया है।

जबकि वित्त वर्ष 2009-10 के एटीएंडसी नुकसान स्तर की गणना करते समय इस बात को स्पष्ट किया गया है कि, एसएलडीसी रिपोर्ट के अनुसार खपत की गई यूनिट को माननीय आयोग ने स्वीकार किया है। इसके लिए प्रासंगिक तथ्य नीचे दर्शाए गए हैं।



“ 4.51 आयोग ने राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान हुए ऊर्जा इनपुट की रिपोर्ट दी जाए। एसएलडीसी ने आयोग के समक्ष पेश अपने दिनांक 22 जुलाई 2011 के पत्र में बताया है कि एनडीपीएल को कुल ऊर्जा इनपुट वित्तीय वर्ष 2009-10 में 6963.04 मेगा यूनिट रहा, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाए गए 6955.97 मेगा यूनिट से अधिक है। एसएलडीसी ने अपने पत्र दिनांक 28 जुलाई 2011 में इस बात को स्पष्ट किया है कि इस ऊर्जा में वित्त वर्ष 2007-08 और 08-09 के दौरान समायोजित 46.09 मेगा यूनिट बिजली शामिल है।


4.52 आयोग ने याचिकाकर्ता को एसएलडीसी के आंकड़ों में भिन्नता के कारणों की व्याख्या करने का निर्देश दिया, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता का कहना है कि वित्त वर्ष 2009-10 के आडिट किए गए खातों को अंतिम रूप देने के वक्त, जैसा कि मार्च महीने का यूआई अकाउंट नहीं जारी किया गया होता है, वित्त वर्ष 2009-10 मार्च के लिए यूआई अकाउंट की तैयारी धारणाओं पर आधारित की जिसके आधार पर वित्त वर्ष 2009-10 के आडिटेड खातों को बनाया गया। याचिकाकर्ता ने 2009-10 के लिए बिजली खरीद मूल्य को आडिट खातों में वास्तविक यूआई अकाउंट में जो कीमत दर्शाई वहीं कीमत अगले वित्त वर्ष जो कि 2010-11 के लिए मान्य की जाए।

4.53 आयोग ने बिजली खरीद लागत पर याचिकाकर्ता के दस्तावेजों पर सहमति व्यक्त की परन्तु एटीएंडसी नुकसान की गणना के लिए एसएलडीसी की वास्तविक ऊर्जा इनपुट की प्रति को सही माना। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए आडिटेड बैलेंस शीट पर किसी भी अतिरिक्त बिजली खरीद मूल्य को आयोग ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए सत्यापित लेखा का हिस्सा मानते हुए याचिकाकर्ता से इसके प्रभाव पर रिपोर्ट मांगी। जो कि याचिकाकर्ता अभी जमा नहीं कर पाया है।”

जैसा कि ऊपर कहा गया है माननीय आयोग ने एसएलडीसी रिपोर्ट के आधार पर एटीएंडसी के नुकसान का आकलन करने का निर्णय किया है अतः वित्त वर्ष 10-11 के लिए उक्त रिपोर्ट के अनुसार यूनिटों का इनपुट निम्न है:

तालिका 8: एसएलडीसी / पीएससी रिपोर्ट के मुताबिक टीपीडीडीएल की परिधि में खपत हुई यूनिट

विवरण	विव 10-11 (एमयूएस)	टिप्पणी
एसएलडीसी रिपोर्ट (यूआई)	7,218.44	एसएलडीसी द्वारा जारी यूआई रिपोर्ट पर आधारित
रिठाला प्लांट से टीपीडीडीएल का अपना उत्पादन	86.80	पावर सिस्टम कंट्रोल की रिपोर्ट



विवरण	विव 10-11 (एमयूएस)	टिप्पणी
सोलर प्लांट से टीपीडीडीएल का अपना उत्पादन	0.44	पावर सिस्टम कंट्रोल की रिपोर्ट
साल के दौरान यूनिट इनपुट	7,305.68	

तालिका 9: लेखा में अनुमानित यूनिट के साथ उपरोक्त का मेल मिलाप इस प्रकार है :


विवरण	एमयूएस
लेखा पुस्तकों में दर्ज यूनिट	7,315.90
विव 09-10 के यूनिट जो विव 10-11 में दर्ज हैं पर माननीय आयोग ने विव 09-10 में माने	(7.06)
यूआई / इंस्टास्टेट बिल में यूनिट का अनुमानित अंतर जिसके लिए मार्च में बिल नहीं प्राप्त हुए	(3.16)
विव 10-11 के लिए मानी गई यूनिट	7,305.68

बी. ओ एंड एम खर्च

माननीय आयोग द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2011 को दिए आदेश में संचालन और प्रबंधन व्यय (ओ एंड एम खर्च) वित्त वर्ष 2010-11 के लिए इस प्रकार है:

तालिका 10: 26.08.11 के डू अप ऑर्डर में डीईआरसी द्वारा स्वीकृत ओएंडएम लागत

विवरण	करोड़ रुपए	टिप्पणी
कर्मचारी व्यय	156.88	26.08.11 के आदेश में तालिका 54 देखें
छठे वेतन के मदद में वृद्धि	36.90	26.08.11 के आदेश में तालिका 60 देखें
एसवीआरएस का कर्मचारी व्यय *	8.10	अंकेक्षित लेखा के मुताबिक
वेतन लागत का पूंजीकरण	(19.06)	26.08.11 के आदेश की तालिका 64 देखें
कर्मचारियों पर शुद्ध लागत	182.82	
आरएंडएम व्यय	89.80	एमवाईटी ऑर्डर की तालिका 87 देखें
एएंडजी व्यय	35.63	26.08.11 के आदेश में तालिका 53



विवरण	करोड़ रुपए	टिप्पणी
कुल ओएंडएम व्यय	308.25	
कार्यकुशलता सुधार #	4%	
शुद्ध ओएंडएम व्यय	296.25	
उपभोक्ताओं में वृद्धि का प्रभाव	33.57	नीचे तालिका 11 देखें
कुल	329.82	

* माननीय आयोग ने अपने एमवाईटी आदेश में कहा है कि एसवीआरएस की कर्मचारी लागत का डूअप किया जाना है और यह वास्तविक पर आधारित होगा।

माननीय आयोग ने अपील संख्या 52/2008 में माना है कि उसने एसवीआरएस व्यय में कार्यकुशलता घटक को गलती से लागू कर दिया है इसलिए उसपर कार्यकुशलता घटक नहीं लागू किया गया है = $(308.25 - 8.10) * 0.04$ है।

माननीय आयोग ने अपने एमवाईटी आदेश में कर्मचारी वेतन में साधारण बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक/थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है और उपभोक्ता आधार बढ़ने पर हुई वृद्धि को शामिल नहीं किया। माननीय एटीई ने अपील संख्या 36/2008 में कर्मचारी व्यय को उपभोक्ता बेस के आधार पर बढ़ाने तथा गैर एफआरएसआर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की बात कही जो कि छठे वेतन आयोग की संस्तुति से मेल खाती थी। उक्त आदेश के अंश इस प्रकार हैं।

74) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयोग ने अपने आदेश में उपभोक्ता आधार बढ़ने पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की बात नजरअंदाज की है और आयोग ने याचिकाकर्ता के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी नहीं माना है। आयोग ने कर्मचारियों के व्यय का सत्यापित लेखा जांचने की बात कही है। आयोग का मानना है कि खर्च के आधार पर वृद्धि सही है।

" 118

कर्मचारी व्यय: आयोग एसवीआरएस का चुनाव कर रिटायर हो रहे कर्मचारियों पर आ रहे खर्च को उपभोक्ता आधार में हुई बढ़ोतरी से हुई आय से पूरा करने का आदेश देता है। जहां तक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव है तो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की बात है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हो, जो खर्च में पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।"



इसलिए उपरोक्त के आधार पर माननीय आयोग से यह आग्रह है कि माननीय एटीई के आदेश को लागू करे और उपभोक्ता आधार में वृद्धि के लिए वेतन बढ़ोतरी की अनुमति दे।

उपभोक्ता आधार के कारण वृद्धि

माननीय आयोग ने कर्मचारी व्यय में साधारण वृद्धि को मंजूरी दी है अतः कर्मचारी व्यय उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए। अनुमान है कि उपभोक्ताओं में 50 प्रतिशत विकास दर के समतुल्य कर्मचारियों की आवश्यकता है जो नए उपभोक्ताओं का खयाल रख सकें। इस संबंध में गणना निम्न है।

तालिका 11 : उपभोक्ता बढ़ने का प्रभाव

विवरण	31.03.07	31.03.11
उपभोक्ता (लाख)	8.77	12.14
वृद्धि		38.43%
कर्मचारियों में वृद्धि जिसकी अनुमति दी जानी है (50%)		19.22%
उपभोक्ताओं में वृद्धि पर विचार के बगैर कर्मचारी व्यय जिसकी अनुमति है (वीएसएस पेंशन छोड़कर)		174.72
उपभोक्ताओं में वृद्धि की तुलना में आनुपातिक वृद्धि तालिका 11: उपभोक्ता बढ़ने का प्रभाव		33.57

संचालन और प्रबंधन खर्च के मद में माननीय एटीई/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं पर निर्णय आने तक याचिकाकर्ता वित्त वर्ष 10-11 के लिए इस आधार पर कार्य करेगा। फैसले के आधार पर ही संशोधित दावा पेश किया जाएगा।

सी. मूल्यहास, आरओसीई

डब्ल्यूएसीसी की गणना करते हुए माननीय आयोग ने 26 अगस्त 2011 के अपने आदेश में मूल्यहास को संशोधित कर रुपये 110.28 करोड़ और आरओसीई को वित्त वर्ष 2010-11 के संबंध में 242.06 करोड़ कर दिया है बशर्ते पुनर्भुगतान के लिए औसत कर्ज में सुधार किया जाए।



नियमत: नियंत्रण अवधि के अंत में मूल्यहास और आरओसीई को हू अप किया जाएगा इसलिए, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व मांग की गणना के लिए आंकड़ों को आदेश में स्वीकृत माना है।

डी. वित्त वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व बिल और वास्तविक राजस्व


i) बिल किया गया राजस्व :

जैसा कि ज्ञात है वित्त वर्ष 2010-11 के लिए कोई शुल्क आदेश जारी नहीं किया गया था, अतः वित्त वर्ष 2009-10 में दिए गए शुल्क आदेश को ही वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू किया गया। माननीय आयोग ने दिनांक 28 मई 2009 को दिए शुल्क आदेश में औसत बिलिंग दर रुपया 4.74 प्रति((ईटैक्स के बाद शुद्ध) यूनिट घोषित की जो कि पिछली दर रुपया 4.44 प्रति यूनिट((ईटैक्स के बाद शुद्ध)) से अधिक थी।

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए विस्तृत श्रेणी वार बिक्री का विवरण फॉर्म आर1, आर2, आर3 और आर3ए में दिया गया है। इस बिक्री का सारांश निम्न है :

तालिका 12: विव 10-11 के साथ वास्तविक बिक्री

श्रेणी	वास्तविक विव 10-11	
	(एमयूएस)	करोड़ रुपए (ईटैक्स के बाद शुद्ध)
घरेलू	2,752	930
गैर घरेलू	1,125	692
दिल्ली जल बोर्ड	182	104
औद्योगिक	1,962	981
कृषि	17	3
मशरूम	0	0
रेलवे	52	22
डीएमआरसी	157	52



श्रेणी	वास्तविक विव 10-11	
	(एमयूएस)	करोड़ रुपए (ईटैक्स के बाद शुद्ध)
स्ट्रीट लाइटिंग	89	37
अन्य	64	21
कुल	6,400	2,842
औसत रिटेल टैरिफ (ई टैक्स शुद्ध) (रुपए/किलो वाट घंटा)		4.44
बिलिंग कार्यकुशलता (%)		

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 10-11 के दौरान वास्तविक बढ़ोतरी 10 प्रतिशत देखी गई। (वित्त वर्ष 2009-10 में 5800 एमयू, जो कि बढ़कर वित्त वर्ष 10-11 में 6400 एमयू हो गया।)


ii) वित्त वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक राजस्व

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक राजस्व रुपये 2946.47 करोड़ रहा (जिसमें एलपीएसएसी, डीवीबी बकाया और विद्युत कर शामिल)।

वसूले गए राजस्व के अंकेक्षित लेखा का रीकंसीलेशन निम्नलिखित है:

तालिका 13: अंकेक्षित वित्तीय बयान के साथ वसली का रीकंसीलेशन

विवरण	करोड़ रुपए	टिप्पणी
शुरुआती ऋणी जो 01.04.10 को थे	224.34	अंकेक्षित बी/एस का अनु-10 अनुलग्नक 1 ; खंड II
जोड़े :		
बिक्री	2,959.19	अंकेक्षित बी/एस का पीएंडएल अनुलग्नक 1 ; खंड II
एलपीएससी	17.44	अंकेक्षित बी/एस की अनुसूची 14, अनुलग्नक 1; खंड II
दिल्ली विद्युत बोर्ड का बकाया		



विवरण	करोड़ रुपए	टिप्पणी
सरकारी	-	
गैर सरकारी	0.15	अंकेक्षित बी/एस की अनुसूची 14 अनुलग्नक 1 ; खंड II (कमीशन x 5)
सबसिडी के बिल और प्राप्ति में अंतर	2.00	गणना नीचे दी गई है
	3,203.12	
घटाएं :		
संदिग्ध ऋण	(7.42)	अंकेक्षित बी/एस का अनु-10 अनुलग्नक 1 ; खंड II
बंदी के समय ऋणी 31.03.11 को जो थे	264.07	अंकेक्षित बी/एस का अनु-10 अनुलग्नक 1 ; खंड II
कुल संग्रह	2,946.46	

सब्सिडी की गणना :

यह उल्लेख करने योग्य है कि माननीय आयोग ने साल के लिए एटीएंडटी हानि के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसिडी बिल की वास्तविक राशि को संग्रह माना है और वित्त वर्ष 10 के लिए माननीय आयोग द्वारा जारी 28 मई 2009 के शुल्क आदेश में इसी सिद्धांत का विस्तार किया गया है और आधार बनाया गया है। शुल्क आदेश का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है :

“आयोग ने यह देखा कि याचिकाकर्ता ने बाकी दो वितरण कंपनियों की तरह अपने घाटे में सब्सिडी की मांग नहीं की है ना ही एटीएंडसी घाटे पर छूट मांगी है। याचिकाकर्ता ने 13 अप्रैल 2009 को आयोग के अधिकारियों से बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया कि वित्त वर्ष 2007-08 में कुल राजस्व गणना में इन घाटों पर सब्सिडी की मांग नहीं की गई। आयोग यह मानता है कि वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान जिस आधार पर बिलिंग की गई आगे भी वही फार्मूला मान्य हो।”

उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर , वित्त 2010-11 के दौरान बिल की गई सबसिडी को वसूले गए राजस्व की गणना के लिए माना गया है। विव 10-11 के दौरान बिल और वसूली गई सब्सिडी का अंतर इस प्रकार है:




विवरण	करोड़ रुपए	टिप्पणी
विव 10-11 में दी गई सबसिडी	52.78	अंकेक्षित प्रमाणपत्र अनुलग्नक 2 ; खंड II
साल के दौरान एकत्रित राशि	50.78	
सबसिडी में अंतर जो एकत्र किया जाना है	2.00	

माननीय आयोग द्वारा दू अप ऑर्डर में अपनाए गए तरीके के अनुपालन में एटीएंडसी की गणना के लिए सबसिडी का आकलन बिलिंग आधार पर किया गया है इसलिए अगर यह राशि सरकार से प्राप्त नहीं होती है तो बकाया राशि को एआरआर में रहने दिया जाए।

तालिका 14: विव 10-11 के लिए एटीएंडसी हानि के स्तर की गणना

क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	विव 11	टिप्पणी
ए	टीपीडीडीएल पेरीफेरी में टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए लगी यूनिट	एमयू	7,305.68	तालिका संख्या 8 देखें
बी	बिल की गई यूनिट	एमयू	6,400.17	फॉर्म आर3ए (R3a) देखें
सी	बिल की गई राशि	करोड़ रुपए	2,970.28	फॉर्म आर3ए (R3a) देखें
डी	वितरण हानि	%	12.39%	(1-बी/ए)
ई	एकत्रित राशि	करोड़ रुपए	2,946.46	तालिका संख्या 13 देखें।
एफ	कलेक्शन एफिसियेंसी	%	99.20%	एफ = ई/सी
जी	रीयलाइज की गई यूनिट	एमयू	6,348.87	जी = (बी x एफ)
ई	एटीएंडसी हानि का स्तर	%	13.10%	ई = 1 - (जी/ए)



III) एटीएंडसी घाटे और राजस्व हिस्सेदारी की गणना

एटीएंडसी घाटे को कम करने के लक्ष्य से ज्यादा की उपलब्धि से प्राप्त राजस्व में याचिकाकर्ता के लिए इनसेंटिव और उपभोक्ताओं के हिस्से की गणना इस प्रकार है:

तालिका 15: याचिकाकर्ता और उपभोक्ता के हिस्से के प्रोत्साहन के लिए गणना

विवरण	यूओएम	लक्ष्य स्तर	वास्तविक
		X	Y
ए. एटीएंडसी हानि	%	17.00%	13.10%
बी. अत्यधिक उपलब्धि / (कम उपलब्धि)	%	3.90%	
सी. एनर्जी इनपुट	एमयू	7,305.68	
डी. यूनिट्स रीयलाइज्ड	एमयू	6063.62	6,348.87
ई. औसत बिलिंग दर	रु/यूनिट	4.6409	4.6409
एफ. वसूली गई राशि	करोड़ रुपए	2,814.11	2,946.46
जी. लक्ष्य स्तर से ज्यादा उपलब्धि के कारण कुल लाभ (वाई-एक्स)	करोड़ रुपए	132.35	
टीपीडीडीएल और कंटीजेंसी रिजर्व के बीच मुनाफे में साझेदारी			
एच. न्यूनतम एटीएंडसी हानि स्तर कम करने में ज्यादा उपलब्धि का लाभ (17%) और 15%	करोड़ रुपए	67.81	
आई. न्यूनतम एटीएंडसी हानि स्तर कम करने में ज्यादा उपलब्धि 15% का लाभ यानी 15% और 13.10%	करोड़ रुपए	64.54	
जे. लाभ जो याचिकाकर्ता को रखना है (15% तक 50% और इससे ऊपर 100%)	करोड़ रुपए	98.44	
के. राजस्व अंतर पाटने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लाभ (जी-जे)	करोड़ रुपए	33.91	

IV) शुल्क निर्धारण के लिए राजस्व उपलब्धता


तालिका 16: विव 2010-11 के एआरआर के लिए उपलब्ध राजस्व की राशि

विवरण	राशि (करोड़ रुपए)	टिप्पणी
वसूला गया राजस्व (डीवीबी के बकाया, एलपीएससी और ई टैक्स समेत) लक्ष्य एटीएंडसी हानि के स्तर पर	2,814.11	तालिका संख्या 15 देखें
घटाएं : चूकता इलेक्ट्रीसिटी टैक्स	126.51	(ई टैक्स पर कमीशन) /0.97
राजस्व (ईटैक्स के बाद शुद्ध)	2,687.60	
जोड़ें : उपलब्धि ज्यादा होने के मद में उपभोक्ता का हिस्सा	33.91	तालिका संख्या 15 देखें
शुल्क दर निर्धारण के लिए उपलब्ध शुद्ध राजस्व डीवीबी का बकाया समायोजित करने से पहले	2721.51	
घटाएं : डीवीबी का बकाया (80%)	0.12	
शुल्क दर निर्धारण के लिए उपलब्ध शुद्ध राजस्व डीवीबी के बकाया जो डीपीसीएल को देना है का 80% समायोजित करने के बाद	2721.39	
घटाएं : एलपीएससी जिसे अन्य आय का भाग माना गया है।	17.44	
घटाएं : अन्य आय माने गए डीवीबी एरियर पर कमीशन	0.03	
खर्च के लिए उपलब्ध राजस्व	2,703.92	

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक वास्तविक राजस्व के अनुपात में उपलब्ध बजट रुपये 2703.92 करोड़ रहा (जिसमें एटीएंडसी घाटे को कम करने के दौरान प्राप्त रुपया 33.91 करोड़ शामिल है)।

डी गैर शुल्क आय (एनटीआई)

माननीय आयोग द्वारा 28-05-2009 और 26 अगस्त 2011 के अपने आदेश में ये बात कही कि गैर शुल्क आय की गणना हर वित्त वर्ष के अंत में की जाए, अतः वित्त वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व मांग की गणना के दौरान वास्तविक एनटीई को शुल्क निर्धारण में ध्यान रखा गया। वित्त वर्ष 2010-11 में वास्तविक आय का ब्यौरा इस प्रकार है:



तालिका 17: विव 10-11 के अंकेक्षित लेखा से एनटीआई का तालमेल :

विवरण	करोड़ रुपए	करोड़ रुपए	टिप्पणी
अन्य परिचालन आय		127.92	अंकेक्षित तुलन पत्र की अनुसूची 14 अनुलग्नक 1 - खंड II
अन्य आय		6.90	अंकेक्षित तुलनपत्र की अनुसूची 15 अनुलग्नक 1 - खंड II में
कुल आय		134.82	
घटाएं: आय जो बढ़ाई नहीं गई			
कैपिटल ग्रांट से ट्रांसफर	0.38		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
पूँजीगत कार्य के लिए उपभोक्ता योगदान से ट्रांसफर	12.01		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
संदिग्ध ऋण / एडवांस के लिए प्रावधान	16.18		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
ब्याज /अल्प अवधि की पूँजीगत आय	1.58		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
सर्विस लाइन चार्ज जो भविष्य के वर्षों में टाले जाने हैं	3.77		तालिका 19 देखें
अन्य कारोबारों से आय	0.82		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
1% और ज्यादा की छूट	2.41		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव पर प्रोत्साहन	1.61		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव के चार्ज का मटेरियल कंपोनेंट	3.36		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
स्ट्रीट लाइट मेनटेनेंस चार्ज पर सर्विस टैक्स जो एमसीडी /पीडब्ल्यूडी ने नहीं दिए	0.75		नीचे दिया गया स्पष्टीकरण देखें
एलपीएससी की फाइनेंसिंग लागत	10.64		तालिका 21 देखें
उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज	(9.10)	44.41	तालिका 18 देखें

विवरण	करोड़ रुपए	करोड़ रुपए	टिप्पणी
कुल गैर शुल्क आय		90.41	

विवरण	करोड़ रुपए
एफ 11 से आय	17.42
एफ 11 ए से आय	71.81
एफ11 बी से आय	1.18
कुल	90.41

शुल्कदर निर्धारण के लिए जिस आय को आय नहीं माना जाना है उसके लिए स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

अनुदान/उपभोक्ता योगदान :


माननीय आयोग कैपेक्स के अर्थ प्रबंध के लिए ग्राँस ग्रांट (अनुदान) उपभोक्ता योगदान का उपयोग कर रहा है ऐसे में, खातों में इसे अमोर्टाइज करने का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि ये गैर शुल्क आय हैं। उपरोक्त कार्रवाई आयोग द्वारा अपने शुल्क आदेश में माने और लागू किए गए सिद्धांतों के अनुपालन में है।

संदिग्ध कर्जों/अग्रिम की वापसी

माननीय आयोग संदिग्ध कर्जों और अग्रिम के मद में किसी भी खर्च की इजाजत नहीं देता है लेखा पुस्तकों में ऐसी प्रविष्टियों को वापस करने को गैर शुल्क आय नहीं माना जा सकता है।

निवेश, सावधि और काल जमा तथा बैंक जमा पर ब्याज

छोटी अवधि के लिए अतिरिक्त पूंजी का प्रतिभूतियों और सावधि जमा में निवेश किया गया है। ये निवेश उस सरप्लस के हैं जो माननीय आयोग द्वारा संपूर्ण नियामक आरओई को वापस लाने की अनुमति न मिलने से तैयार हुए हैं और जिसे कारोबार में बनाए रखा गया है। इन निवेशित धनराशियों में कैपेक्स कर्ज भी हैं जिनका भुगतान की तारीख से पूरी राशि के उपयोग तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सरप्लस शेयरधारकों / कैपेक्स कर्ज निवेश का पैसा है, इसपर मिलने वाला कोई भी ब्याज /



लाभांश शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से गैर शुल्क आय नहीं है और इसलिए इसे फार्म एफ11 में गैर शुल्क आय के रूप में नहीं दिखाया गया है।

माननीय एटीई ने अपील संख्या 153/2009 के लिए दिए अपने फैसले में कहा कि कंपनी अपने उपभोक्ता शेयर और प्रतिभूति जमा पर ब्याज को अपनी आय में तब शामिल करे जब धन संपूर्ण खर्च से अधिक हो। माननीय आयोग द्वारा दिए उक्त आदेश का अंश निम्न है:

“ वितरण कंपनी को यह अधिकार है कि वह ब्याज से हो रही आय को एआरआर से घटाने के बाद ही अपनी आय का हिस्सा मानेगा और राज्य आयोग उसके इस अधिकार पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इसलिए इस संदर्भ में राज्य आयोग की प्राप्ति गलत हैं। विलंबित भुगतान पर मिले सरचार्ज और प्रतिभूति पर मिले ब्याज को गैर शुल्क आय माना जाए। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज और खुदरा आपूर्ति शुल्क पर उपभोक्ता से लिया गया इंसेटिव और एटीएंडी घाटे को एआरआर से घटाकर बची धनराशि आय में जोड़ी जा सकती है।


आयोग कुल ब्याज आय में से उपभोक्ता उधार घटाकर कंपनी की आय की गणना करेगा। हर संदर्भ में इसकी व्याख्या अलग होगी।”

माननीय आयोग एआरआर और शुल्क निर्धारण में निवेश और सुरक्षित पूंजी पर मिले ब्याज को कंपनी की आय गणना के दौरान ध्यान में रखे।

ज्ञात हो कि टीपीडीडीएल ने उपभोक्ता आय की अतिरिक्त पूंजी को राजस्व घाटे में जोड़कर ही राजस्व अंतर की भरपाई की मांग की है। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्राहकों द्वारा हुई अतिरिक्त आय को राजस्व गणना के दौरान पहले ही जोड़ा जा चुका है और इसके बाद बचे राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए याचिकाकर्ता सरकार से दावा कर रहा है।

माननीय आयोग के समक्ष टीपीडीडीएल यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि कंपनी ने एलपीएससी का भुगतान कर दिया है और एआरआर गणना में माननीय एटीई के अपील संख्या 153/2009 और माननीय आयोग के 26-08-2011 के आदेश के अनुसार ही दावा पेश किया है।

पूर्व में माननीय आयोग ने टीपीडीडीएल को आदेशित किया था कि वह ग्राहक को छः प्रतिशत वार्षिक आधार पर प्रतिभूति जमा पर ब्याज दे, माननीय आयोग को ज्ञात हो कि कार्य पूंजी और प्रतिभूति पर जो ब्याज दिया गया है उसका अंतर 3.50 प्रतिशत प्रति वर्ष है (9.50 प्रतिशत अगर पारेषण की कीमत -6 प्रतिशत हो)।



उक्त संदर्भ में माननीय आयोग शेयर धारकों को प्राप्त ब्याज और पारेषण के ब्याज के अंतर को ध्यान दे तो मालूम होगा कि ग्राहक को दिया गया ब्याज अन्य आय का हिस्सा है।

तालिका संख्या : 18 सिक्यूरिटी जमा पर भिन्न ब्याज

विवरण	करोड़ रुपए	टिप्पणी
01.04.10 को शुरुआती सुरक्षा जमा	239.72	अंकेक्षित बैलेंस शीट देखें अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न
31.03.11 को क्लोजिंग सुरक्षा जमा	280.54	अंकेक्षित बैलेंस शीट देखें अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न
औसत सुरक्षा जमा	260.13	
कार्यशील पूंजी पर माननीय आयोग ने जितने ब्याज की अनुमति दी है और खर्च पूरा करने के लिए मानी गई ब्याजदर के बीच अंतर @ 3.50% प्रति वर्ष (9.50% - 6%)	9.10	


वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीपीडीडीएल ने शेयरधारकों के फंड पर एक करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त किया और अतिरिक्त अग्रिम कर जमा पर ब्याज के रूप में 55 लाख रुपये प्राप्त किए। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग वसूले गए आयकर को लाभ हानि के खाते में सिर्फ वास्तविक देय टैक्स तक ही दिखाने की इजाजत दे रहा है जबकि कई बार टैक्स वास्तविक देनदारी से ज्यादा दिया जाता है जिसका समायोजन आयकर विभाग की गई मांग के अलावा लाभ हानि के खाते के हिसाब से ब्याज के साथ कर देता है। इसलिए माननीय आयोग को यह सूचित किया जाता है कि एआरआर गणना में समायोजित यह राशि आयोग द्वारा स्वीकृत राशि में से नहीं है।

सर्विस और लाइन शुल्क की गणना

माननीय आयोग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार किसी एक वर्ष के लिए निर्धारित सर्विस लाइन शुल्क को तीन साल की अवधि के दौरान शुल्क निर्धारण के लिए आय के रूप में माना जाएगा अतः शुल्क निर्धारण के लिए धनराशि इस प्रकार ली जाएगी:

तालिका 19: विव 10-11 के लिए सर्विस लाइन चार्ज की गणना

विवरण	करोड़ रुपए
खातों में दर्ज राशि	35.56



विवरण	करोड़ रुपए
आयोग के निर्देश के मुताबिक गैर शुल्क आय मानी गई राशि (हर साल का एक तिहाई)	
विव 2008-09 का एक तिहाई (कुल राशि 27.36 करोड़ रुपए)	9.12
विव 2009-10 का एक तिहाई (कुल राशि 32.43 करोड़ रुपए)	10.81
विव 2010-11 का एक तिहाई (कुल राशि 35.56 करोड़ रुपए)	11.85
गैर शुल्क आय के रूप में पास सर्विस लाइन	31.78
भविष्य के वर्षों में टाला जाने वाला सर्विस लाइन चार्ज	3.77

लाइसेंस व्यापार के अतिरिक्त अन्य आय

विस्तार, उपलब्ध संसाधन के अधिकतम प्रयोग और रणनीति के तहत ग्राहक को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए टीपीडीडीएल ने अपने आय बढ़ोतरी के लिए और भी कई उपाय किए हैं।


टीपीडीडीएल ने प्रबंधन परिवर्तन, व्यापार प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों से आय अर्जित की।

तालिका 20: विव 10-11 के दौरान आय

विवरण	करोड़ रुपए
सेनपिड में प्रशिक्षण से राजस्व	0.26
कंसलटेंसी कारोबार से राजस्व	1.13
परिसंपत्तियों के उपयोग से राजस्व	0.61
कुल	2.00

टीपीडीडीएल के गैरशुल्क आय का ब्यौरा इस प्रकार है:

लाइसेंसी संपत्तियों पर हुई आय 80:20 के आधार पर



प्रशिक्षण / परामर्श से प्राप्त शुद्ध आय (खर्च समायोजित करने के बाद) को 50: 50 आधार पर पास किया गया है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि टीपीडीडीएल किसी अन्य स्रोत से धन उगाही के लिए बाध्य नहीं है। बावजूद इसके टीपीडीडीएल ने अपने खर्च और आय बढ़ोतरी के लिए अन्य स्रोतों से आय की। माननीय आयोग इस तथ्य को स्वीकार करेगा कि ऐसी आय का 80 प्रतिशत अगर एआरआर के लिए पेश किया जाए और सिर्फ 16 प्रतिशत (टैक्स के बाद) टीपीडीडीएल के पास रहेगा तो यह वाजिब और उपयुक्त इनसेंटिव की स्थिति नहीं है। इसलिए, टीपीडीडीएल ने प्रशिक्षण, कंसलटेंसी से 50:50 आधार पर आय का प्रस्ताव किया है और उसपर विचार किया है। माननीय आयोग से प्रार्थना है कि वह टीपीडीडीएल द्वारा सुझाई गई राजस्व साझेदारी की व्यवस्था पर विचार करे।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीपीडीडीएल ने परामर्श पर 20 लाख रुपये खर्च किए हैं और यह परामर्श के काम में लगी मानव शक्ति के अलावा है। प्रशिक्षण और अन्य स्रोतों से आय के लिए किए गए खर्चों का अतिरिक्त ब्यौरा जल्द ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

विद्युत क्रय के पूर्व भुगतान पर छूट

माननीय एटीई ने अपील संख्या 153/2009 के संदर्भ में अपने आदेश में कहा है कि रीबेट इनकम को बिजली खरीद लागत से कम नहीं किया जा सकता है। माननीय एटीई ने आगे कहा कि गैर शुल्क आय को संज्ञान में लेते हुए छूट की सीमा एक प्रतिशत तक की जा सकती है। इस आदेश का हिस्सा इस प्रकार है:

“35. इसलिए, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि रीबेट इनकम को बिजली खरीदने की कीमत में से कम करना संबंधित शुल्क आदेश के मुताबिक एमवाईटी रेगुलेशन के उलट है। सिर्फ एक प्रतिशत तक की छूट को ही एआरआर के लिए उपलब्ध गैर शुल्क आय माना जा सकता है। इस तरह इस मुद्दे का स्थितियों के अनुसार जवाब दे दिया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीपीडीडीएल ने 23.45 करोड़ रुपये बिजली खरीद में छूट के रूप में अर्जित किए जैसा कि माननीय एटीई ने आदेश किया था, एआरआर के लिए गैर शुल्क आय में छूट सीमा एक प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। इसको आधार मानते हुए माननीय आयोग से याचिकाकर्ता यह प्रार्थना करता है कि शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में 23.45 करोड़ की आय में से 21.04 करोड़ रुपये के रीबेट इनकम को गैर शुल्क आय माना जाए।

माननीय एटीई के फैसले पर एक वरिष्ठ न्यायिक प्राधिकरण की मुहर लगने तक माननीय एटीई के फैसले को प्रभाव में समझा जाए और इसके अनुसार ही कार्यवाही की जाए।



स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव का प्रभार

टीपीडीडीएल ने एमसीडी/पीडब्ल्यूडी से स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के मद में 15.58 करोड़ की आय की। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीपीडीडीएल ने एमसीडी/पीडब्ल्यूडी से हुई आय पर 1.61 करोड़ रुपये का सेवा कर भी अदा किया, जो कि एमसीडी/पीडब्ल्यूडी से नहीं मिला। अतः उस बकाया राशि को भी एनटीआई में रखरखाव प्रभार के मद में जोड़ दिया है।

माननीय आयोग को ज्ञात हो कि 26-08-2011 को दिए उनके आदेश में एआरआर पर सेवा कर वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं था और आदेश के पैरा संख्या 3.301 पृष्ठ संख्या 145 के अनुसार आयोग ने इसे वाणिज्यिक विवाद घोषित किया:

" 3.301 आयोग यह मानता है कि एमसीडी/पीडब्ल्यूडी द्वारा स्ट्रीट लाइट रखरखाव के मद में याचिकाकर्ता को सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया, यह याचिकाकर्ता और एमसीडी/पीडब्ल्यू के बीच का वाणिज्यिक विवाद है। और यह बोझ ग्राहक पर नहीं लादा जा सकता। आयोग याचिकाकर्ता के इस मांग को नकारता है और 1.61 करोड़ रुपये के गैर शुल्क आय पर छूट नहीं देता।"

यहां यह बताते चलें कि देश के कानून के अनुसार एमसीडी द्वारा नहीं चुकाई गई सेवा कर राशि किसी भी सूरत में वाणिज्यिक विवाद करार नहीं दी जा सकती और यह एमसीडी की तरफ से एक गलती है। आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि आयोग द्वारा तय की गई राशि ही याचिकाकर्ता ने एमसीडी से वसूली है न कि याचिकाकर्ता और एमसीडी के बीच कोई आपसी करार हुआ है।

सेवा कर की राशि एमसीडी/पीडब्ल्यूडी अथवा ग्राहक से ही वसूली जा सकती है। एमसीडी/पीडब्ल्यूडी सेवा कर चुकाने से मना कर रहे हैं क्योंकि माननीय आयोग द्वारा 22-09-2009 को दिए आदेश में इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है और पुनर्विचार याचिका संख्या 15/2009 जो कि दिनांक 6-04-2010 को दी गई, उसमें माननीय आयोग ने एआरआर के जरिए इस राशि के भरपाई की व्यवस्था नहीं की। अतः इससे शेयरधारकों का विश्वास भी प्रभावित हुआ है। अतः माननीय आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता यह प्रार्थना करता है कि माननीय आयोग सेवा कर वसूली की व्यवस्था स्पष्ट करे और इसे वाणिज्यिक विवाद करार न दे।



स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव पर प्रोत्साहन

माननीय आयोग द्वारा 5-03-2004 को दिए अपने आदेश में स्ट्रीट लाइट रखरखाव एवं प्रोत्साहन पर कराधान के लिए एक नई पद्धति निर्धारित की। माननीय आयोग के आदेशानुसार इंसेटिव/डिसइंसेटिव को एआरआर के जरिए नहीं वसूला जा सकता। आदेश का प्रासंगिक हिस्सा निम्न है:

“ आयोग एक प्रणाली विकसित करना चाहता है जिससे अच्छा प्रदर्शन पुरस्कृत किया जाए। इसी तरह खराब प्रदर्शन को हतोत्साहित किए जाने की व्यवस्था हो। आयोग यह आदेशित करता है कि रखरखाव के संदर्भ में 90 प्रतिशत शुल्क प्रदर्शन के लिए भुगतान किया जा सकता है। 90 प्रतिशत से अधिक प्रदर्शन करने पर वितरण कंपनियों को इंसेटिव दिया जाए। वितरण कंपनियों के लिए निम्न तालिका के अनुसार इंसेटिव अर्जित किया जा सकता है।”

प्रदर्शन स्तर हासिल	प्रोत्साहन	उदाहरण
90-95% के बीच	90% के लक्ष्य से ज्यादा हासिल में प्रत्येक प्रतिशत के लिए 1%	वास्तविक प्रदर्शन 93% प्रोत्साहन $93-90 = 3\%$
95-97% के बीच	95% के लक्ष्य से ज्यादा हासिल में प्रत्येक प्रतिशत के लिए 1.5%	वास्तविक प्रदर्शन 97% प्रोत्साहन $= 5 + 3 = 8\%$
97% से ज्यादा	97% के लक्ष्य से ज्यादा हासिल में प्रत्येक प्रतिशत के लिए 2.0%	वास्तविक प्रदर्शन 99% प्रोत्साहन $= 8 + 4 = 12\%$

90 प्रतिशत से कम प्रदर्शन पर वितरण कंपनियों से निम्न तालिका के अनुसार डिसइंसेटिव वसूला जाए।

प्रदर्शन स्तर हासिल	डिसइंसेटिव	उदाहरण
80-90% के बीच	90% का लक्ष्य हासिल करने में कमी के प्रत्येक प्रतिशत के लिए 1%	वास्तविक प्रदर्शन 83% डिसइंसेटिव $90-83 = 7\%$
70-80% के बीच	80% का लक्ष्य हासिल करने में कमी के प्रत्येक प्रतिशत के लिए 1.5%	वास्तविक प्रदर्शन 77% डिसइंसेटिव $= 10 + 4.5 = 14.5\%$



70% से कम	70% का लक्ष्य हासिल करने में कमी के प्रत्येक प्रतिशत के लिए 2%	वास्तविक प्रदर्शन 60% डिसइंसेंटिव = $25 + 20 = 45\%$
-----------	--	---

इंसेटिव और डिसइंसेटिव की गणना वार्षिक राजस्व मांग में न हो और हर महीने की 15वीं तारीख को इसका भुगतान किया जाए।

ऊपर दिए गए वर्णन से स्पष्ट है कि इंसेटिव/डिसइंसेटिव एआरआर का हिस्सा नहीं है अतः डीपीडीडीएल द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 में अर्जित 1.61 करोड़ रुपये का इंसेटिव शुल्क निर्धारण का हिस्सा न हो।

स्ट्रीट लाइट रखरखाव के लिए जारी सामग्री की लागत


माननीय आयोग ने 22-09-2009 के अपने आदेश में रखरखाव शुल्क को 73 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 103 रुपये प्रति यूनिट कर दिया था ताकि पेंटिंग और खंभों की नंबरिंग का शुल्क 7 रुपया प्रति यूनिट और स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव के लिए जारी सामान की कीमत का 19 रुपये प्रति यूनिट वसूल हो सके। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान ऊपर लिखित मदों में 3.36 करोड़ रुपये बिल किया है। मालूम हो टीपीडीडीएल ने यह राशि स्ट्रीट लाइट रखरखाव के मद में खर्च की। अतः स्ट्रीट लाइट रखरखाव के लिए जारी सामग्री पर खर्च को गैर शुल्क आय के रूप में न माना जाए।

इसके अलावा यह स्पष्ट किया है कि स्ट्रीट लाइट रख-रखाव मद में खर्च धन वित्त वर्ष 2006-07 के आधार मूल्य का हिस्सा नहीं है।

एलपीएसई के वित्त पोषण की लागत

एलपीएसई उन उपभोक्ताओं के लिए देय है जो क्रेडिट अवधि के भीतर भुगतान करने में अक्षम हैं। इस अतिरिक्त ब्याज से उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि के भुगतान पर अतिरिक्त कार्यशील पूंजी एक निश्चित अवधि के भीतर एकत्र की जा सकती है।

माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए शुल्क आदेश में इस तथ्य की पहचान की गई कि एक निश्चित समयावधि के बाद उपभोक्ता द्वारा भुगतान न किए जाने की सूरत में अतिरिक्त शुल्क अथवा वित्त पोषण लागत वसूला जाना चाहिए। हालांकि माननीय आयोग ने कार्यशील पूंजी पर ब्याज लगाने की अनुमति दे दी। यह पाया गया कि भुगतान में हुई देरी पर वित्त पोषण के लिए कंपनी जो



खर्च करती है वह बाजार भाव पर है अतः लागत को मौजूदा दरों के हिसाब से होना चाहिए न कि 9.50 शून्य की साधारण दर पर।


माननीय एटीई ने अपील संख्या 153/2009 के तहत दिए अपने फैसले में कहा कि:

“ 25. अपीलार्थी के अनुसार 9 प्रतिशत की निर्धारित ब्याज दर प्रचलित मूल उधार दर के अनुसार नहीं है। राज्य आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि राज्य आयोग ने न्यायाधिकरण के फैसले जो कि 21-07-2006 को आए थे, के अनुसार ही तय किया गया। यह सत्य है कि न्यायाधिकरण ने 2007 ईएलआर (एपीटीईएल) 1370 के अनुसार ही 9 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित की। उस सूरत में आयोग द्वारा 9-06-2004 को शुल्क आदेश जारी किया गया। उस वक्त मौजूदा उधार दर 9 प्रतिशत के करीब थी जो कि वर्ष 2007-08 के दौरान मौजूद उधार दर की तुलना में बहुत कम थी। इसलिए उक्त निर्णय वर्तमान परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। ब्याज दर का निर्धारण करते समय राज्य आयोग को एसबीआई की प्रधान उधारी दर को संज्ञान में रखना चाहिए। उक्त फैसले में यह भी कहा गया कि न्यायाधिकरण लागत की दर प्रचलित मूल उधार दर के अनुसार हो। अतः उक्त सिद्धांत आज की परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता। शुल्क विनियम के अनुसार ऋण की लागत लाइसेंसधारी के प्रस्तावों, वर्तमान ऋण की लागत, पहले से ही लाइसेंसधारी और अन्य प्रासंगिक कारकों द्वारा अनुबंध पर निर्धारित हो। जोखिममुक्त रिटर्न, जोखिम प्रीमियम, मूल उधार दर आदि को भी संज्ञान में लेना चाहिए। राज्य आयोग को निर्देशित करना चाहिए कि वित्त पोषण भुगतान अधिभार में देरी और संबंधित अधिभार लागत की गणना गैर शुल्क आय के मद में हो। वित्त वर्ष 2007-08 के लिए शुल्क निर्धारण मौजूदा उधारी दरों को ध्यान में रखकर हो।”

उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार एलपीएससी के वित्त पोषण लागत का निर्धारण इस प्रकार हो:

तालिका 21: एलपीएससी कमाने के लिए फाइनेंसिंग लागत की गणना

क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	राशि
ए	एलपीएसई अर्न्ड	करोड़ रुपए	17.44
बी	देर से भुगतान पर सरचार्ज की दर जो डीईआरसी ने निर्धारित किया है।	%	18% प्रति वर्ष
सी	मूलधन (यानी बिजली और अन्य लागू चार्ज) जिसपर उपरोक्त एलपीएससी लगाया गया था। (ए/बी)	करोड़ रुपए	96.89



क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	राशि
डी	फाइनेंसिंग लागत दर	%	10.98%
ई	फाइनेंसिंग लागत (सी*डी)	करोड़ रुपए	10.64

ई. वित्त वर्ष 2008 में शुरू किए गए और वित्त वर्ष 2010-11 तक जारी और विव 10-11 में की गई नई पहल को दूर अप करना और अन्य अनियंत्रणयोग्य खर्च ।

एमवाईटी आदेश के पैरा 4.156 के अनुसार माननीय आयोग ने टीपीडीडीएल को लागत एवं लाभ निर्धारण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए नई योजनाओं पर विचार करने को कहा। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान कुछ नए कदम उठाए थे, जिनको कि माननीय आयोग ने शुल्क आदेश 28 मई 2009 में मान्यता प्रदान की। उक्त आदेश का संगत हिस्सा निम्न है:


"4.156 आयोग को लगता है कि याचिकाकर्ता को व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कुछ नए कदम लाने पर विचार करे। याचिकाकर्ता उचित लागत-लाभ विश्लेषण के लिए दक्ष प्रणाली आयोग के समक्ष पेश करे। आयोग उस पर अपना विश्लेषण पेश करेगा। "

वित्त वर्ष 2008 से वित्त वर्ष 2010 के दौरान उठाए गए और वित्त वर्ष 2011 तक क्रियान्वित कुछ नए कदम इस प्रकार हैं:

1. सीआईएसएफ / सुरक्षा व्यय

बिजली चोरी से बचाव के लिए वित्त वर्ष 2007-08 में टीपीडीडीएल को सीआईएसएफ की सुरक्षा प्रदान की गई। सीआईएसएफ की सुरक्षा टीपीडीडीएल को 2008-09 तक जारी रही, हालांकि सरकार ने जून 2009 में सुरक्षा वापस ले ली।

जैसा कि माननीय आयोग को मालूम है कि सुरक्षा बिजली चोरी रोकने का जरूरी उपाय है अतः टीपीडीडीएल से सीआईएसएफ की सुरक्षा वापस लेने पर टीपीडीडीएल दूसरी सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा लेने को बाध्य हुआ। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2009-10 और 10-11 के दौरान सीआईएसएफ की जगह दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को बदलना जारी रखा। इस मद में टीपीडीडीएल ने 55 लाख रुपये खर्च किए।



वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीपीडीडीएल ने 12 लाख रुपये सीआईएसएफ के पुराने बिलों के भुगतान के मद में किए। सीआईएसएफ के बदले दूसरी एजेंसी नियुक्त करने के दौरान टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2009-10 में 67 लाख रुपये खर्च किए।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बिजली चोरी रोककर टीपीडीडीएल ने 20.85 करोड़ रुपये एकत्र किए।

2 ऊर्जा का विनिमय

माननीय आयोग को पता हो कि 1 अप्रैल 2007 से पहले ऊर्जा खरीद की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की कंपनी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) के पास थी। जो कि 1 अप्रैल 2007 से ही टीपीडीडीएल (और अन्य वितरण लाइसेंसधारियों) को हस्तांतरित किया गया।


अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टीपीडीडीएल ने पारदर्शी मूल्य तंत्र और बाजार आधारित खरीद नीति लागू की। साथ ही टीपीडीडीएल ने वर्ष 2008-09 के दौरान इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज की सदस्यता भी ग्रहण की।

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीपीडीडीएल ने पावर एक्सचेंज आफ इंडिया की सदस्यता भी ग्रहण की। जिसके लिए टीपीडीडीएल ने 2 लाख रुपये पावर एक्सचेंज आफ इंडिया और 5 लाख रुपये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को वार्षिक फीस के तौर पर अदा की।

पारदर्शी नीति के तहत पावर एक्सचेंज से ऊर्जा खरीद के लिए रुपये 0.01 प्रति यूनिट का खर्च आता, जबकि खुले बाजार से खरीदने पर यह खर्च रुपया 0.04 प्रति यूनिट होता है। इस तरह टीपीडीडीएल ने एक्सचेंज से ऊर्जा खरीद कर 0.07 करोड़ रुपये की बचत की और चाहता है कि इसे स्वीकार किया जाए।

3 क्रेडिट रेटिंग

माननीय आयोग ने याचिकाकर्ता को क्रेडिट रेटिंग कराने का निर्देश दिया। (आदेश की प्रति अनुलग्नक 3 में है) पहली क्रेडिट रेटिंग वित्त वर्ष 2007-08 के लिए की गई थी और बाद में इसकी वार्षिक निगरानी लागत को विव 06-07 की बुनियादी एंजंजी लागत में शामिल नहीं किया गया था। इसकी अलग से इजाजत दिए जाने की आवश्यकता है। यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2007 में नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क लागू किया। जिसकी निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी आवंटन के लिए जोखिम का ध्यान रखना जरूरी है। रेटिंग एजेंसियों जैसे आईसीआरए, क्रिसेल



आदि द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार ही बैंक ऋण जोखिम का निर्धारण करते हैं। जिन कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग नहीं है, बैंक उनसे ऊँची दरों पर ब्याज वसूलते हैं।

इस प्रकाश में यह प्रार्थनीय है वित्त वर्ष 2010-11 में सर्विलांस फीस के रूप में खर्च रुपये 21 लाख उस वर्ष के लिए एआरआर में शामिल है।

4 ऊर्जा संरक्षण के मद में खर्च


माननीय आयोग द्वारा 28 मई 2009 को दिए शुल्क आदेश में वित्त वर्ष 09-10 के लिए 10 करोड़ रुपये ऊर्जा संरक्षण के मद में निर्धारित किए गए। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 10-11 में मांग प्रबंधन के मद में 10 लाख रुपये खर्च किए। माननीय आयोग से प्रार्थना है कि इस खर्च को एआरआर का हिस्सा माना जाए।

5 डीपीसीएल अवधि में मुकदमेबाजी का खर्च

हस्तांतरण योजना के अनुसार जुलाई 2002 के पूर्व वितरण कंपनी द्वारा देय एक करोड़ रुपये का बकाया और उस कार्रवाई में मुकदमेबाजी में हुआ खर्च देय है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीपीडीडीएल ने मुकदमेबाजी के मद में 10 लाख रुपये खर्च किए। इसी मद में 2006-07 में कंपनी ने 6 लाख रुपये खर्च किए। माननीय आयोग द्वारा एमवाईटी आदेश के अनुसार महंगाई और कुशलता व्यय के लिए वर्ष 2009-10 में कंपनी ने 7 लाख रुपये खर्च किए। माननीय आयोग से प्रार्थना है कि 3 लाख रुपये के इस अतिरिक्त खर्च को वर्ष 2010-11 के लिए व्यय का हिस्सा माने।

6. लेखा प्रमाण पत्र पर व्यय

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान माननीय आयोग के निर्देशानुसार कंपनी ने ऊर्जा खरीद लागत, बिलिंग डाटा, सब्सिडी प्रमाण के लिए आडिटों की नियुक्ति की। इस मद में टीपीडीडीएल ने 3 लाख रुपये खर्च किए। आधार वर्ष 2006-07 के लिए आडिट प्रमाण पत्र के लिए आया खर्च व्यय का हिस्सा नहीं है अतः माननीय आयोग से प्रार्थना है कि 26-08-2011 के अपने आदेश में इसको भी व्यय की मान्यता प्रदान करें।



7. बिल की गई राशि पर लाइसेंस फीस

वितरण और खुदरा आपूर्ति लाइसेंस के उपबंध 12.1 के अनुसार याचिकाकर्ता को माननीय आयोग को हर साल पिछले साल बिल की गई राशि का 0.05 प्रतिशत लाइसेंस फीस के रूप में अदा करना होता है। चूंकि यह फीस बिक्री का हिस्सा है और यह एक अनियंत्रित खर्च है तथा इसे दू अप किया जाता है इसलिए लाइसेंस फीस को भी दू अप किए जाने की आवश्यकता है। फीस के मद में वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 1.48 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लाइसेंस फीस के रूप में 1.08 करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी दी। (विव 2006-07 - खर्च राशि 0.94 करोड़ रुपए $\times 1.0466 \times 1.0466 \times 1.0466 \times 96\%$)

यहां उल्लेखनीय है कि वितरण एवं खुदरा आपूर्ति लाइसेंस के उपबंध 12.4 के अनुसार लाइसेंसधारी माननीय आयोग को जमा की गई वास्तविक लाइसेंस फीस की वसूली करने के लिए स्वतंत्र है। उस पैरा का उद्धरण निम्न है:

“उपबंध 12 के अंतर्गत लाइसेंसधारी किसी भी फीस की वसूली के लिए स्वतंत्र है। उपबंध 24 के संदर्भ में इस मद में किए गए खर्च को कुल व्यय का हिस्सा माना जाए किंतु उपबंध 12.3 के अनुसार इस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।”


अतः इस मद में खर्च की गई अतिरिक्त राशि जो कि 40 लाख रुपये है, को वित्त वर्ष 2010-11 के लिए एआरआर का हिस्सा माना जाए।

8 सामग्री की खरीद के लिए निविदा की लागत

माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जिसके अनुसार 25 लाख रुपये की कीमत से अधिक की किसी भी वस्तु या सेवा के लिए खुली निविदा का प्रावधान है। माननीय आयोग ने 09-10-2009 को जारी संशोधित दिशा निर्देश में 25 लाख रुपये की इस सीमा को 1 करोड़ रुपये किया।

मानना पड़ेगा कि इसका नतीजा यह हुआ कि विव 2009-10 में विज्ञापन व्यय में वृद्धि हो गई क्योंकि पहले के वर्षों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।

यह तथ्य है कि इस मद में खर्च माननीय आयोग के आदेशानुसार ही जरूरी था इसलिए टीपीडीडीएल को वित्त वर्ष 2010-11 के लिए खुली निविदा हेतु विज्ञापन मद में 21 लाख रुपये खर्च को मंजूरी दी जाए।



9. भोजन भत्ता

डीपीडीएल ने 15-04-2010 के अपने सर्कुलर में (उप अनुबंध 4 भाग 2) प्रति कर्मचारी रुपये 500 का भोजन भत्ता स्वीकार किया। जो कि 01-04-2010 से लागू था। टीपीडीडीएल ने भी यही व्यवस्था जारी रखी। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एफआरएसआर के अंतर्गत कर्मचारियों के नाश्ता और भोजन भत्ते के मद में 1.38 करोड़ रुपये खर्च किए। टीपीडीडीएल ने प्रति कर्मचारी 125 रुपये प्रतिमाह चाय भत्ते के रूप में भुगतान किया। चूंकि टीपीडीडीएल प्रतिमाह 125 रुपये प्रति कर्मचारी भत्ते का भुगतान पहले ही कर रही थी, अतः टीपीडीडीएल ने उक्त सर्कुलर के अनुसार उसको बढ़ाकर 500 रुपये प्रति कर्मचारी कर दिया। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 06-07 के दौरान 39 लाख रुपये का भुगतान किया था, अतः वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 91 लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च को मान्यता दी जाए।

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक भुगतान: रुपया 1.38 करोड़

एआरआर में मंजूर : 39 लाख $\times 1.0466 \times 1.0466 \times 1.0466 \times 1.0466 = 47$ लाख


अंतर : 91 लाख रुपये

10 बाल शिक्षा भत्ता

भारत सरकार के 2 सितंबर 2008 की अधिसूचना के (भाग 2 अनुबंध 5) के अनुसार 2 बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते की रकम 40 रुपये प्रति बालक से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह प्रति बालक कर दी गई। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 10-11 के दौरान यह अधिसूचना लागू की। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 10-11 के दौरान बाल शिक्षा भत्ता की मद में 2.25 करोड़ रुपये की रकम खर्च की। जो कि आधार वर्ष से लागू था।

11 एएंडजी व्यय

यह तथ्य माननीय आयोग के संज्ञान में है कि मतभिन्नता की वजह से विव 2008-09 के डू अप और वित्त वर्ष 2010-11 के शुल्क आदेश को श्री एनके गर्ग ने एक जनहित याचिका के जरिए दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मुकदमे में सभी वितरण कंपनियों को पार्टी बनाया गया था। इसके चलते टीपीडीडीएल को न्यायिक कार्यवाही में हुए खर्चों में 1 करोड़ रुपये व्यय करने को मजबूर होना पड़ा। यह आयोग द्वारा विव 2006-07 के बेस वैल्यू के लिए स्वीकृत राशि से ऊपर है। अतः माननीय आयोग से इन अतिरिक्त न्यायिक खर्चों को मंजूरी प्रदान करने की प्रार्थना है।



तालिका 22: नई पहल /अन्य प्राचलों का सारांश जो नियंत्रण योग्य नहीं हैं :

विवरण	करोड़ रुपए
सीआईएसएफ /सुरक्षा व्यय	0.67
बिजली का सौदा	0.07
क्रेडिट रेटिंग	0.21
ऊर्जा संरक्षण	0.10
मुकदमेबाजी के खर्च डीपीसीएल अवधि	0.03
ऑडिटर के सर्टिफिकेट की लागत	0.03
बिजली के बिल पर लाइसेंस फीस	0.40
निविदा शुल्क	0.21
भोजन भत्ता	0.91
बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता	2.25
विधि व्यय	1.00
कुल	5.88

एच. ऊर्जा भंडारण के लिए लागत

माननीय आयोग के आदेशानुसार टीपीडीडीएल ने तर्कसंगत कीमत पर बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण के विभिन्न तरीकों पर अमल किया। जिसमें बिना नकद/बैंकिंग/विनिमय जैसी व्यवस्था मुख्य थी। टीपीडीडीएल ने इस निश्चित समय में कुछ अन्य संस्थाओं के पास ऊर्जा भंडारण किया था, जो कि निश्चित अवधि के बाद वापस लिया। इसी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था बनाना भी संभव है। भंडारण की इस व्यवस्था से दोनों कंपनियों को लाभ होगा। इससे वे अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस भंडारित ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं।

एमवाईटी आदेश के अनुसार ऊर्जा भंडारण और पारेषण के लिए 4 रुपये प्रति यूनिट की राष्ट्रीय कीमत निश्चित की गई। यह कीमत पारेषण के लिए उस निश्चित अवधि में किए गए खर्च से काफी कम थी और पारेषण कीमत काफी ज्यादा थी।



उसी प्रकार ऊर्जा वापसी के दौरान माननीय आयोग ने ऊर्जा खरीद के लिए 4 रुपये प्रति यूनिट की कीमत निर्धारित की।

फारवर्ड बैंकिंग की इस प्रक्रिया में टीपीडीडीएल को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है ताकि माननीय आयोग द्वारा निश्चित दर पर ऊर्जा बिक्री सुनिश्चित की जा सके। रिवर्स बैंकिंग की दशा में कार्यशील पूंजी की बचत की जा सकती है।

दर निर्धारण में फारवर्ड बैंकिंग प्रक्रिया अपनाने के चलते अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ी। अतः इस अतिरिक्त खर्च एआरआर में अलग से दर्शाने की मंजूरी मिले। साथ ही भंडारित ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में हुए खर्च को भी अलग से दर्शाया जाए ताकि कार्यशील पूंजी कम की जा सके।

अतः उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर वित्त वर्ष 2010-11 के लिए कुल लागत 39 लाख रुपये आई, जो कि 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से थी। जिसकी गणना भाग 2 के उपबंध 6 के अनुसार की गई थी।

लागत निर्धारण की इस प्रक्रिया में माननीय आयोग ने पाया कि फारवर्ड और बैकवर्ड बैंकिंग के चलते खर्च बढ़ा है। अतः इस प्रक्रिया के दौरान खर्च को नगण्य माना जाए। इस परिस्थिति में खरीदी गई ऊर्जा और भंडारित ऊर्जा को खरीद वर्ष में नकदी प्रवाह के आधार पर गणना की जाए।


इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर निर्धारण का मामला लंबित है और ब्याज दर निर्धारण फैसला आने पर निर्भर होगा।

जे. आयकर

टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए एमवाईटी आदेश के आधार पर मंजूर 15 करोड़ रुपये आयकर की बजाय 61.84 करोड़ का आयकर जमा कराया। अतः उक्त खर्च को वित्त वर्ष 10-11 के लिए एआरआर में जोड़ने की अनुमति दी जाए।

के. बाजार दर पर कैरेइंग कॉस्ट

कैरेइंग कॉस्ट के उद्देश्य से वाजिब धनराशि की अनुमति देने की मांग टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग से की थी पर इस मामले में माननीय आयोग के आदेश से कंपनी प्रभावित हुई (माननीय आयोग, माननीय एटीई के आदेश 2007 ईएलआर (पीटीईएल) 1370 के अनुसार 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आधार पर मूल्य निर्धारण कर रहा है।)



माननीय एटीई ने साधारण कर्ज के अनुपात में 70: 30 पर लागत निर्धारित की। माननीय एटीई ने कर्ज पर ब्याज दर का निर्धारण मौजूदा बाजार दर के हिसाब से निश्चित किया। आयोग का आदेश निम्न है:

“ अतः 9 प्रतिशत की दर से मूल्य निर्धारण उचित नहीं है। इसलिए राज्य आयोग को मौजूदा बाजार दर पर मूल्य निर्धारण करने का निर्देश दिया जाता है और मूल्य निर्धारण तथा कर्ज इक्विटी अनुपात 70: 30 को संज्ञान में ले।”

तालिका संख्या : 23 वेटेड एवरेज लागत की गणना

	करोड़ रुपए	ब्याज दर/लागत	ब्याज
कर्ज	70	9%*	6.30
इक्विटी	30	16%	4.80
कुल	100	11.10%	11.10


* खंड दो के अनुलग्नक 7 को देखें।

एल. वर्ष के लिए राजस्व अंतर


ऊपर दी गई व्यवस्था के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक राजस्व मांग में 1033.44 करोड़ रुपये की कमी का अंतर पाया गया।

तालिका संख्या : 24 विव 10-11 के अंत में राजस्व अंतर की गणना

विवरण	वास्तविक	टिप्पणी
शुरुआती राजस्व अंतर विव 11	(1,112.64)	जैसा टैरिफ ऑर्डर में स्वीकृत है
साल के लिए राजस्व आवश्यकता	3,771.98	फॉर्म नंबर ए1 देखें
मौजूदा शुल्क दर पर राजस्व	2,703.92	तालिका संख्या 11 देखें
साल के लिए सरप्लस/(अंतर)	(1,068.06)	
(अंतर)/सरप्लस की बंदी का स्तर	(2,180.70)	
साल के लिए कैरेइंग कॉस्ट @ 11.10%	(182.78)	तालिका संख्या 23 देखें
शुद्ध (अंतर)/सरप्लस	(2,363.48)	



वित्त वर्ष 2011-12 और आगे के लिए एआरआर



1. वित्त वर्ष 2011-12 के लिए एआरआर

मौजूदा एमवाईटी रेगुलेशनों के अनुसार संचालन एवं प्रबंधन लागत नियंत्रण योग्य है और आरओसीई इस निश्चित अवधि के लिए सत्यापित है। अतः बिजली खरीद, बिक्री और अन्य आय को अप्रैल से सितंबर 2011 के बीच संशोधित किया गया।

बिक्री अनुमान

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए बिक्री अनुमान इस प्रकार है:

1. अप्रैल-सितंबर 2011 के लिए वास्तविक बिक्री।
2. अक्टूबर-मार्च 2012 के दौरान बिक्री को पूर्व वर्ष के तर्ज पर गणना की जाए।

तालिका नंबर : 25 अक्टूबर-मार्च 12 की बिक्री की भविष्यवाणी

श्रेणी	अप्रैल - सितंबर 10	अक्टूबर - मार्च 11	एच2 बनाम एच1 (%)	अप्रैल - सितंबर 11	अक्टूबर - मार्च 12
घरेलू	1,613	1,139	(29.37)	1,669	1,179
गैर घरेलू	685	622	(9.29)	751	681
औद्योगिक	986	976	(0.92%)	995	986
कृषि	9	8	(12.07)	8	7
रेलवे	32	20	(37.86)	32	32
डीएमआरसी	87	70	(20.01)	83	83
स्ट्रीट लाइटिंग	48	41	(15.28)	52	44
अपनी खपत	10	10	0.00	10	10
चोरी	21	24	(18.22)	19	23
कुल	3,490	2,910	(16.64)	3,620	3,045

डीएमआरसी और रेलवे के अलावा अन्य श्रेणियों के लिए गणना का आधार एच1 के मुकाबले एच2 होगा। हालांकि डीएमआरसी और रेलवे के लिए बिक्री पिछले वर्ष के छमाही के अनुसार अनुमानित है।



तालिका 26: विव 11-12 के लिए श्रेणी वार बिक्री

श्रेणी	विव 11-12 (अनुमानित)		
	यूनिट (एमयूएस)	राशि (करोड़ रुपए)	रु/यूनिट
घरेलू	2,849	1,044	3.66
गैर घरेलू	1,249	834	6.67
औद्योगिक	1,981	1,150	5.80
पबलिक लाइटिंग	97	49	5.09
कृषि	15	3	2.25
रेलवे ट्रैक्शन	64	30	4.71
डीएमआरसी	167	61	3.65
अन्य	61	22	3.61
दिल्ली जल बोर्ड	183	116	6.35
कुल	6,665	3,309	4.964

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए संग्रह कार्यकुशलता 99.50 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसके आधार पर वसूली गई राशि 3291.99 करोड़ रुपए होगी।

तालिका संख्या : 27 विव 11-12 के लिए संग्रह का अनुमान

विवरण	यूओएम	
बिलिंग	करोड़ रुपए	3,308.53
संग्रह कार्यकुशलता	%	99.50
संग्रह	करोड़ रुपए	3,291.99



ईंधन कीमत संयोजन (एफपीए)

26 अगस्त 2011 के आदेशानुसार ईंधन कीमत का संयोजन अक्टूबर-दिसंबर 2011 की तिमाही पर आधारित होगा और वही ग्राहक द्वारा अगली तिमाही में देय होगा। इस तिमाही के लिए एफपीए की अनुमानित राशि 71 करोड़ रुपये है। जैसा कि पूर्व विदित है, इस वर्ष के लिए संग्रह कार्यकुशलता 99.50 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इस आधार पर वित्त वर्ष 2011-12 के अनुमानित संग्रह 70.64 करोड़ रुपये है।

अतः दर निर्धारण के लिए कुल अनुमानित संग्रह इस प्रकार है:

तालिका संख्या : 28 विव 11-12 के लिए संग्रह अनुमान

विवरण	करोड़ रुपए	टिप्पणी
एनर्जी चार्ज से संग्रह	3,291.99	तालिका 27 देखें
एफपीए से संग्रह	70.64	उपर एफपीए देखें
कुल संग्रह	3,362.63	

ऊर्जा आवश्यकता


अनुमानों के आधार पर बिजली की मांग इस प्रकार रहने की उम्मीद की जाती है :

विवरण	यूओएम	विव 11-12	टिप्पणी
अपेक्षित बिक्री	एमयू	6,665	तालिका 26

वित्त वर्ष 11-12 में वितरण हानि 12.56% होने की उम्मीद है। इसके आधार पर बिजली का आवश्यकता की गणना इस प्रकार बैठती है :

तालिका 29: बिजली की आवश्यकता

विवरण	यूओएम	विव 11-12
अपेक्षित बिक्री	एमयू	6,665
वितरण हानि	%	12.56
एनर्जी इनपुट (टीपीडीडीएल के आस-पास टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं की खपत के लिए)	एमयू	7,622



ऊर्जा खरीद

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित ऊर्जा खरीद की कीमत अप्रैल-अक्टूबर 2011 के आधार पर होगी। चालू वर्ष में सीएसजीएस प्लांट्स के लिए शुल्क आदेश को सीईआरसी ने अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा डीईआरसी ने राज्य उत्पादन इकाइयों के लिए शुल्क आदेश तैयार किया है। ।


वित्त वर्ष 11-12 के लिए अनुमान लगाने में निम्न बातों को आधार बनाया गया

1. अप्रैल-अक्टूबर 11 के लिए वास्तविक मांग
2. सीएसजीएस और राज्य ऊर्जा उत्पादन इकाइयों द्वारा तय कीमत जिसका आधार नवीनतम शुल्क आदेश है।
3. नवंबर-मार्च 2012 के लिए अनुमानित असंगत ऊर्जा कीमत का निर्धारण अप्रैल-अक्टूबर 11 के आधार पर।
4. तीसरी और चौथी तिमाही के लिए बिक्री वास्तविक अनुबंधित दरों के आधार पर
5. अतिरिक्त ऊर्जा को यूआई द्वारा 3.20 रुपया की दर पर बेचना, जिसकी अनुमानित कीमत अप्रैल-अक्टूबर 11 के आधार पर है।


यह बात उल्लेखनीय है कि माननीय आयोग द्वारा 26 अगस्त 2011 के अपने शुल्क आदेश में ऊर्जा खरीद का अनुमान लगाते हुए बकाया बिलों का ध्यान नहीं रखा गया। अप्रैल-अक्टूबर 11 के दौरान कंपनी ने 370 करोड़ रुपये का बकाया बिल प्राप्त किया है। ।

तालिका 30: विव 11-12 के लिए एनर्जी बैलेंस इस प्रकार है :

विवरण	शुल्क आदेश (विव 11-12)			टीपीडीडीएल प्रोजेक्शन (विव 11-12)		
	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	औसत दर	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	औसत दर
सीएसजीएस से बिजली की खरीद	8913.39	2862.75	3.21	6,713.33	2,319.07	3.45
अंतर-राज्य द्विपक्षीय खरीद	0.00			623.15	239.04	3.84
पीजीसीआईएल हानि	(395.75)			(223.30)		



विवरण	शुल्क आदेश (विव 11-12)			टीपीडीडीएल प्रोजेक्शन (विव 11-12)		
	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	औसत दर	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	औसत दर
दिल्ली जेनको से बिजली की खरीद	2320.74	903.98	3.90	2,408.23	1,011.66	4.20
इंटर-स्टेट विद्युत खरीद	0.00			42.03	15.74	3.75
दिल्ली की परिधि पर बिजली की उपलब्धता	10838.37	3766.74	3.48	9,563.43	3,585.51	3.75
डीटीएल हानि	(138.73)			(116.07)		
डिस्कॉम को उपलब्ध बिजली	10699.64	3766.74	3.52	9,447.36	3,585.51	3.80
घटाएं : अतिरिक्त बिजली बेची गई / बैंक की गई/यूआई बिक्री	(2770.58)	(997.37)	3.60	(1,825.28)	(577.78)	3.17
टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बिजली	7929.06	2769.37	3.49	7,622.08	3,007.73	3.95
संप्रेषण शुल्क						
पीजीसीआईएल चार्ज और यूएलडीसी चार्ज		140.54			169.70	
डीटीएल चार्ज		308.77			298.25	
टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बिजली	7929.06	3218.68	4.06	7,622.08	3,475.68	4.56
एरियर बिल					370.23	
कुल	7929.06	3218.68	4.06	7,622.08	3,845.91	5.05



अन्य आय

अप्रैल-मार्च 2011 के दौरान अन्य स्रोतों से हुई आय 65.26 करोड़ रुपये रही, इसमें पूरे साल के लिए गैर शुल्क आय भी शामिल है। (फार्म एफ11, एफ11ए,बी देखें)

नियंत्रण योग्य खर्च

संचालन एवं प्रबंधन के खर्च नियंत्रण योग्य हैं। इस निश्चित अवधि में आरओसीई और प्रबंधन एवं संचालन के खर्च पूर्व मान्य आंकड़ों पर आधारित हैं।

वहन खर्च

टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के आदेश को मानते हुए खर्च का अनुमान लगाया, हालांकि टीपीडीडीएल का मानना था कि वास्तविक उपलब्ध कीमत से ही वहन खर्च की गणना की जाए। जिसे आयोग ने मना कर दिया। (माननीय आयोग ने माननीय एटीई के आदेश 2007 ईएलआर (पीटीईएल) 1370 के आधार पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से वहन खर्च की गणना की।)

माननीय एटीई ने वहन खर्च की गणना के लिए कर्ज इक्विटी अनुपात 70: 30 को आधार माना। माननीय एटीई ने कर्ज के लिए ब्याज निर्धारण में मौजूदा बाजार दर का भी ध्यान रखा। आदेश का हिस्सा निम्न है:

“वहन खर्च को 9 प्रतिशत तक सीमित करना हमारे विचार से उचित नहीं है, इसलिए राज्य आयोग को यह निर्देश दिया जाता है कि वहन खर्च की गणना के दौरान मौजूदा बाजार दरों और कर्ज इक्विटी अनुपात 70: 30 का संज्ञान लिया जाए। ”

तालिका संख्या : 31 वेटेड एवरेज कॉस्ट की गणना

	(करोड़ रुपए)	ब्याज की दर (%)	ब्याज (करोड़ रुपए)
कर्ज *	70	10.90	7.63
इक्विटी	30	16.00	4.80
कुल	100	12.43	12.43

* भारी राजस्व घाटे के चलते कंपनी को ऋण पुनर्गठन के मर्चेट बैंकरो की सहायता लेनी पड़ी जिसके लिए फीस भी दी गई। क्योंकि फीस एक बार में ही देय थी अतः ऊपर उसका उल्लेख नहीं है। सत्यापन के दौरान फीस का उल्लेख अलग से करना जरूरी है।

इस आधार पर वित्त वर्ष 2011-12 के लिए संशोधित अनुमानित राजस्व घाटा इस प्रकार रहेगा:



तालिका संख्या : 32 राजस्व में अंतर विव 11-12

विवरण	करोड़ रुपए
विव 11 के राजस्व में शुरुआती अंतर	(2363.48)
साल के लिए अनुमानित राजस्व आवश्यकता	4,491.74
मौजूदा शुल्कदर पर अनुमानित राजस्व	3,362.63
साल के लिए सरप्लस /(अंतर)	(1,129.11)
बंदी के स्तर पर (अंतर)/सरप्लस	(3,492.59)
साल के लिए कैरेइंग कॉस्ट @ 12.43%^	(363.59)
शुद्ध (अंतर)/सरप्लस	(3,856.54)


^वित्त वर्ष 12-13 से 14-15 के लिए एआरआर

बिक्री अनुमान

पूर्व आधार

तालिका संख्या : 33 साल के मुकाबले साल बेची गई श्रेणी वार यूनिट विव 07 से विव 12

क्रम संख्या	श्रेणी	विव07 बिक्री (एमयू)	विव 08 बिक्री (एमयू)	विव 09 बिक्री (एमयू)	विव 10 बिक्री (एमयू)	विव11 बिक्री (एमयू)	विव 12 बिक्री (एमयू)
1	घरेलू	1,825	2,027	2,102	2,447	2,752	2849
2	गैर घरेलू (डीजेबी समेत)	834	933	1,014	1,176	1,307	1432
3	औद्योगिक	1,435	1,744	1,767	1,884	1,962	1981
4	कृषि	9	12	29	20	17	16
5	मशरूम	46	48	48	54	52	64
6	रेलवे	75	79	76	99	157	167
7	डीएमआरसी	67	67	66	55	89	97
8	स्ट्रीट लाइटिंग	19	19	19	19	19	19
9	अन्य	41	47	41	45	45	42
	कुल	4,351	4,975	5,161	5,800	6,400	6,665




तालिका संख्या : 34 सीएजीआर

क्रम संख्या	श्रेणी	सीएजीआर 6 साल के लिए	सीएजीआर 5 साल के लिए	सीएजीआर 4 साल के लिए	सीएजीआर 3 साल के लिए	सीएजीआर 2 साल के लिए	सीएजीआर 1 साल के लिए
1	घरेलू	8.72%	9.32%	8.88%	10.67%	7.89%	3.51%
2	गैर घरेलू	10.69%	11.41%	11.30%	12.19%	10.33%	9.52%
3	औद्योगिक	5.85%	6.67%	3.25%	3.89%	2.56%	0.99%
4	कृषि और मशरूम	-2.88%	11.95%	7.76%	-18.27%	-11.97%	-9.27%
5	रेलवे	3.87%	6.57%	7.53%	9.91%	8.31%	21.94%
6	डीएमआरसी	15.84%	17.30%	20.59%	30.08%	29.67%	6.42%
7	स्ट्रीट लाइटिंग	8.63%	7.72%	9.68%	13.27%	32.55%	8.75%
8	अपनी खपत	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	चोरी	8.02%	0.38%	-3.12%	0.49%	-4.32%	-7.52%
	कुल	8.20%	8.90%	7.59%	8.90%	7.20%	4.14%

वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 के लिए बिक्री का अनुमान इस प्रकार है (फार्म आर1, आर2, आर3, आर3ए में विस्तार से उल्लेखित)

घरेलू, गैर घरेलू , औद्योगिक, रेलवे और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था

घरेलू, गैर घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा मांग का अनुमान पंचवर्षीय सीएजी के आधार पर इस प्रकार है, जो कि आधार वर्ष 06-07 से वित्त वर्ष 11-12 तक है।



विवरण	विकास
घरेलू	9%
गैर घरेलू	11%
औद्योगिक	6%
पबलिक लाइटिंग	8%
रेलवे	6.50%

डीएमआरसी

पांच साल के सीएजीआर के आधार पर ऊर्जा बिक्री का अनुमान 17 प्रतिशत रहने की उम्मीद है लेकिन इस दौरान डीएमआरसी द्वारा बिछाई गई नई लाइन और अगले एमवाईटी कालांश के लिए नई लाइन की कोई उम्मीद नहीं है अतः बढ़ोतरी 5 प्रतिशत तक हो सकती है।

अन्य (कृषि, चोरी आदि)

कृषि और चोरी की श्रेणी में इस अवधि के दौरान 5 प्रतिशत बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

पीएलएफ और उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी

बिलिंग केवीएच में है, पावर फैक्टर विव 10-11 के वास्तविक पर आधारित है और ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी का आधार 6 साल का सीएजीआर है।

इस आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए मांग और बिक्री का अनुमान इस प्रकार रह सकता है।

तालिका संख्या : 35 अनुमानित श्रेणी वार बिक्री (ई टैक्स छोड़कर)

श्रेणियां	विव 11-12 (अनुमानित)			विव 12-13 (अनुमानित)		
	यूनिट (एमयू)	राशि (करोड़रु/यूनिट रुपए)		यूनिट (एमयू)	राशि (करोड़रु /यूनिट रुपए)	
घरेलू	2,849	1,044	3.66	3,106	1,270	4.09
गैर घरेलू	1,249	834	6.67	1,386	1,026	7.40
औद्योगिक	1,981	1,150	5.80	2,101	1,361	6.48
पबलिक लाइटिंग	97	49	5.09	104	58	5.60
कृषि	15	3	2.25	17	4	2.14
रेलवे ट्रैक्शन	64	30	4.71	68	35	5.12
डीएमआरसी	167	61	3.65	175	72	4.10
अन्य	61	22	3.61	63	24	3.83
दिल्ली जल बोर्ड	183	116	6.35	203	137	6.77
कुल	6,665	3,309	4.96	7,222	3,986	5.52
श्रेणियां	विव 13-14 (अनुमानित)			विव 14-15 (अनुमानित)		
	यूनिट (एमयू)	राशि (करोड़रु/यूनिट रुपए)		यूनिट (एमयू)	राशि (रुपएरु/यूनिट करोड़)	
घरेलू	3,385	1,377	4.07	3,690	1,492	4.04
गैर घरेलू	1,539	1,139	7.40	1,708	1,266	7.41
औद्योगिक	2,227	1,441	6.47	2,360	1,526	6.47

श्रेणियां	विव 13-14 (अनुमानित)			विव 14-15 (अनुमानित)		
	यूनिट (एमयू)	राशि (करोड़ रुपए)	राशि (करोड़रु/यूनिट)	यूनिट (एमयू)	राशि (रुपए/यूनिट करोड़)	राशि (करोड़रु/यूनिट)
पबलिक लाइटिंग	113	63	5.60	122	68	5.60
कृषि	19	4	2.13	21	5	2.13
रेलवे ट्रैक्शन	72	37	5.10	77	39	5.07
डीएमआरसी	184	76	4.12	193	80	4.15
अन्य	66	26	3.90	69	27	3.96
दिल्ली जल बोर्ड	225	152	6.77	243	165	6.77
कुल	7,829	4,315	5.51	8,483	4,668	5.50

2 . ऊर्जा मांग

नए एमवाईटी विनियमन 5.28 के अनुसार टीपीडीडीएल को नियंत्रण अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष में एटीएंडसी क्षय का प्रस्ताव देना आवश्यक है।

“ 5.28 लाइसेंसधारक को नियंत्रण अवधि के दौरान हर वर्ष एटीएंडसी घाटे का अनुमान देना आवश्यक है। नियंत्रण अवधि के दौरान किसी एक वर्ष के लिए यह कुल एटीएंडसी घाटे का 30 प्रतिशत तक हो सकती है। और जांच के बाद नियंत्रण वर्ष के लिए संशोधन के साथ ही अनुमोदन के लिए आवश्यक माना जाएगा।”

चूंकि टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए एटीएंडसी घाटे को 13 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य दिया है, जहां इस घाटे को इसी स्तर पर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। अतः इस संबंध में टीपीडीडीएल अन्य राज्य इकाइयों के कुछ आंकड़ें साक्षा करना चाहता है, जो 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के दायरे में एटीएंडसी घाटे को ला चुके हैं।

नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी)

एनडीएमसी

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
लक्ष्य		11.13%	10.75%	10.38%
वास्तविक	11.50%	14.79%	13.72%	10.25%

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि एनडीएमसी ने एटीएंडसी घाटे का जो स्तर 11.50 प्रतिशत वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त किया था, उसको विव 2007-08 2008-09 के दौरान बनाए नहीं रख पाया।


पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा " वित्त वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान राज्य विद्युत उपयोगिताओं के प्रदर्शन " अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिन कंपनियों ने एटीएंडसी घाटे को 11 से 15 प्रतिशत तक कम किया है, वो इसे बनाए नहीं रख सकीं क्योंकि इसके लिए भारी पूंजीगत व्यय की आवश्यकता थी और इसे इसी स्तर पर बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी।

एटीएंडसी घाटे को 10 से 20 प्रतिशत तक लाने वाली राज्य इकाइयों का घाटा अस्थिर हुआ।

राज्य	2007-08	2009-10
हिमाचल	17.15%	18.46%
तमिलनाडु	16.19%	20.15%
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	23.24%	33.24%
एपीएनपीडीसीएल	11.92%	18.52%
डीजीवीसीएल	15.23%	15.23%
यूजीवीसीएल	17.23%	18.89%

टीपीडीडीएल द्वारा एक अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों जो कि विभिन्न राज्य विद्युत नियामकों की वेबसाइट से लिए गए आंकड़ों पर आधारित हैं, में पाया गया कि जिन इकाइयों का एटीएंडसी घाटा 10 से 15 प्रतिशत के दायरे में था वे प्रतिवर्ष इसको 0.026 प्रतिशत से 0.35 प्रतिशत तक ही कम कर पाए।

बीईएसटी टीएंडडी हानि			
1986-87	10.59%	23 साल में 0.59% की कमी	
2005-06	13.02%	प्रति वर्ष कटौती 0.026%	
2006-07	11.48%		
2009-10 (लक्ष्य)	10.00%		
सीईएससी टीएंडडी हानि			
1997-98	18.01%	13 साल में 5.11% की कमी	
2006-07	14.70%	प्रति वर्ष कमी 0.39%	
2010-11	12.90%	हालांकि विव 2007-08 से विव 2010-11 के लिए लक्ष्य 0.33% प्रति वर्ष है	
टॉरेन्ट पावर टीएंडडी हानि			
2006-07	11%	9 साल में 2.50% की कमी	
2015-16 (लक्ष्य)	8.50%	प्रति वर्ष कमी 0.27%	
रिलायंस मुंबई टीएंडडी हानि			
साल	वितरण हानि (%)	(वृद्धि)/ हानि	प्रति वर्ष औसत कटौती
2000-01	12.77		
2001-02	13.71	-0.94	-0.94%



2002-03	13.36	0.35	-0.30%
2003-04	12.81	0.55	-0.01%
2004-05	12.1	0.71	0.17%
2005-06	12	0.1	0.15%
2006-07	11.25	0.75	0.25%
2007-08	11.04	0.21	0.25%
2008-09	10.16	0.88	0.33%
2009-10	10.08	0.08	0.30%
2010-11 (टी)	10.25	-0.17	0.25%

वर्ष 2006 में अब्राहम कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें 20 प्रतिशत के दायरे में एटीएंडसी घाटा होने पर घाटा 1 प्रतिशत तक कम करने की सिफारिश की गई थी। जबकि माननीय आयोग ने एमवाईटी वर्ष के लिए यह लक्ष्य पहले ही 2.146 प्रतिशत प्रतिवर्ष तय कर दिया है। जो वित्त वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान का लक्ष्य था। अब्राहम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 20 प्रतिशत के दायरे में घाटे पर 1 प्रतिशत तक कमी करने की सिफारिश की थी लेकिन 13 प्रतिशत के दायरे में घाटे पर कोई टिप्पणी नहीं की। उस रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा निम्न है।

डी. टास्क फोर्स इकाइयों के लिए एटीएंडसी घाटा कम करने के लिए निम्न लक्ष्य सुझाता है।

- 1) 40 प्रतिशत से अधिक एटीएंडसी घाटे पर 4 प्रतिशत की वार्षिक की दर से कमी।
- 2) 30 से 40 प्रतिशत के बीच एटीएंडसी घाटे पर वार्षिक 3 प्रतिशत की कमी।
- 3) 20 से 30 प्रतिशत के बीच एटीएंडसी घाटे पर 2 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से कमी।
- 4) 20 प्रतिशत या उससे कम एटीएंडसी घाटा होने पर 1 प्रतिशत के हिसाब से कमी का सुझाव।

ऊपर लिखित तथ्यों के आधार पर और वित्त वर्ष 2011-12 के लिए तय 13 प्रतिशत के एटीएंडसी घाटे के लक्ष्य के बाद उसको बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। अतः टीपीडीडीएल एटीएंडसी घाटे में 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी और एमवाईटी वर्ष 12-13 से 14-15 के लिए 0.75 तक कमी का लक्ष्य स्थापित करता है। टीपीडीडीएल आगे प्रस्ताव करता है कि प्रतिवर्ष 0.25 प्रतिशत के नुकसान में कमी के लक्ष्य को कम से कम 0.22 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक प्राप्त करना चाहता है और एमवाईटी अवधि के लिए कुल लक्ष्य 0.75 प्रतिशत तय किया जा सकता है।

ऊपर लिखित तथ्यों के आधार पर ऊर्जा मांग इस प्रकार हो सकती है:

तालिका 36 : बिजली की अनुमानित आवश्यकता

विवरण	यूओएम	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
अपेक्षित बिक्री	एमयू	7,222	7,829	8,482
वितरण हानि *	%	12.31	12.06	11.81
एनर्जी इनपुट (टीपीडीडीएल की परिधि पर टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए)	एमयू	8,236	8,903	9,619

* यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग आधार वर्ष के लिए एटीएंडसी घाटे की गणना 13 प्रतिशत के आधार पर करेगा और नए रेगुलेशन के अनुसार वित्त वर्ष 12-13 से 14-15 गणना में एलएपीएसएसी आय और डीवीबी बकाया को शामिल नहीं करेगा।

3. वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 के लिए ऊर्जा अनुमान


फार्म एफ1 के लिए व्याख्या: विद्युत खरीद लागत

फार्म एफ1 ए के लिए व्याख्या: माहवार विद्युत उपयोग विवरण

फार्म एफ1 सी के लिए व्याख्या: पारेषण और वहन प्रभार

फार्म एफ1 डी के लिए व्याख्या: पूर्व वर्तमान वर्ष के लिए यूआई विवरण

फार्म एफ1 ई के लिए व्याख्या: अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क



दिल्ली विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए ऊर्जा उपलब्धता: वित्त वर्ष 2012-13 से विव 14-15 के लिए अनुमान वास्तविक पीएलएफ पर आधारित हैं जो कि वित्त वर्ष 07-08, विव 08-09, विव 09-10 और विव 10-11 के दौरान सभी संस्थाओं में टीपीडीडीएल के हिस्सेदारी पर आधारित हैं।

दिल्ली के जीटी स्टेशन के लिए ऊर्जा उपलब्धता अनुमान लगाने के दौरान डीईआरसी द्वारा तीनों में से प्रत्येक यूनिट के लिए रेटिंग घटाकर 30 मेगावाट कर दी गई। आईपी स्टेशन के संदर्भ में वित्त वर्ष 2011-12 से 14-15 के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया गया क्योंकि 1 नवंबर 2009 से यह सेवा में नहीं है। इसी प्रकार आरपीएच पहले ही से ही अपनी उपयोगिता खो चुका है अतः वित्त वर्ष 2012-13 या उसके आगे के लिए इसके बिजली खरीद लागत का अनुमान लगाने में इसपर विचार नहीं किया गया है।

वित्त वर्ष 2010-11 के लिए दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों में टीपीडीडीएल की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया। (पिछले 4-5 वर्षों में ऊर्जा खपत के आधार पर) और यह टीपीडीडीएल क्षेत्र में मांग में वृद्धि के क्रम में है पर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार लगातार कम मात्रा आवंटित (23.19 प्रतिशत) करती रही है। माननीय आयोग से यह प्रार्थना है कि इस तरह के कोटे में इतना कम आवंटन जारी न रहे हालांकि सिर्फ 23.19 प्रतिशत के मौजूदा आवंटन के मद्देनजर वित्त वर्ष 2012-13 से विव 14-15 के अनुमानों के लिए इसीपर विचार किया किया गया है।

तालिका 37: दिल्ली जेनको से उपलब्ध अनुमानित कुल शुद्ध ऊर्जा विव 12-13 से विव 14-15

जेनरेटिंग केंद्र	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयूएस	करोड़ रुपए	औस त	एमयूएस	करोड़ रुपए	औस त	एमयूएस	करोड़ रुपए	औस त
बीपीटीएस	1035.42	440.12	4.25	1035.42	470.19	4.54	1035.42	491.34	4.75
दादरी	1416.56	553.07	3.90	1416.56	580.15	4.10	1416.56	606.52	4.28
राजघाट		0.00	#DI V/0!		0.00	#DI V/0!		0.00	#DI V/0!
जीटी	361.83	166.82	4.61	361.83	174.05	4.81	361.83	181.60	5.02



जेनरेटिंग केंद्र	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयूएस	करोड़ रुपए	औस त	एमयूएस	करोड़ रुपए	औस त	एमयूएस	करोड़ रुपए	औस त
पीपीसीएल	483.10	161.27	3.34	483.10	168.14	3.48	483.10	175.31	3.63
कुल	3296.92	1321.29	4.01	3296.92	1392.52	4.22	3296.92	1454.78	4.41

केंद्रीय बिजलीघरों से ऊर्जा उपलब्धता

एनटीपीसी संयंत्र: पिछले 5 वर्षों के आधार पर वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 के लिए वार्षिक वास्तविक पीएलएफ की गणना की जाए और इसमें टीपीडीडीएल की हिस्सेदारी और गैर आवंटित कोटे का भी ध्यान रखा जाए। पांच वर्ष से कम समय से कार्यशील संयंत्रों का ऊर्जा उपलब्धता अनुमान उस छोटी अवधि के वास्तविक आंकड़े पर आधारित हो।

एनआरपीसी के 30 मार्च 2010 के आदेश के अनुसार कहलगांव1, कहलगांव2 तथा फरक्का के आवंटन को क्रमशः 7.45 प्रतिशत, 10.77 और 1.85 से घटाकर 6.07 प्रतिशत, 10.49 प्रतिशत और 1.39 प्रतिशत कर दिया।

एनटीपीसी के सिंगरौली संयंत्र को वित्त वर्ष 2014-15 के ऊर्जा खरीद अनुमान में शामिल नहीं किया क्योंकि तब तक यह संयंत्र अपने उपयोग की समय सीमा को पार कर जाएगा।

जल संयंत्र: सीईआरसी के आदेशानुसार प्रत्येक संयंत्र द्वारा उपलब्ध जल की मात्रा के आधार पर अनुमान की एक पूरी तालिका बनाई गई, जबकि ताला संयंत्र के मामले में वित्त वर्ष 07-08, विव 08-09 और विव 09-10 के वास्तविक के माहवार औसत के प्रो रेटेड पर विचार किया गया है। सीएसजीएस द्वारा गैर आवंटित कोटा केंद्रीय सरकार के विवेकाधीन है और वित्त वर्ष 12-13 से 14-15 इस अवधि के लिए इसे शून्य माना गया है।

तालिका 38: विव 12-13 से विव 14-15 तक सीएसजीएस से उपलब्ध अनुमानित शुद्ध ऊर्जा

जेनरेटिंग स्टेशन	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर
एनटीपीसी									
सिंगरौली	319.9	66.4	2.08	319.9	69.34	2.17		0	#DIV/0!
रिहन्द-I	218.93	52.08	2.38	218.93	55.27	2.52	218.93	57.66	2.63
रिहन्द-II	288.94	70.26	2.43	288.94	72.41	2.51	288.94	75.53	2.61
ऊंचाहार-I	53.65	16.99	3.17	53.65	17.71	3.3	53.65	18.5	3.45
ऊंचाहार-II	104.69	34.35	3.28	104.69	34.37	3.28	104.69	35.9	3.43
ऊंचाहार-III	64.85	23.39	3.61	64.85	24.07	3.71	64.85	25.1	3.87
अंटा	79.78	37.25	4.67	79.78	38.93	4.88	79.78	40.75	5.11
औरिया	131.02	53.88	4.11	131.02	57.11	4.36	131.02	59.75	4.56
दादरी जीपीपी	168.23	68.09	4.05	168.23	72.99	4.34	168.23	76.38	4.54
फरक्का	42.1	18.96	4.5	42.1	19.93	4.73	42.1	20.86	4.95
कहलगांव-I	98.27	38.72	3.94	98.27	40.4	4.11	98.27	42.22	4.3
एनटीपीसी कुल	1570.36	480.37	3.06	1570.36	502.52	3.2	1250.47	452.65	3.62

वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 14-15 की वार्षिक राजस्व मांग


जेनरेटिंग स्टेशन	विवि 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर
एनएचपीसी									
दुलहस्ती	71.39	38.69	5.42	71.39	38.47	5.39	71.39	39.08	5.47
धौलीगंगा एचईपी	43.74	9.15	2.09	43.74	9.17	2.1	43.74	9.34	2.14
चमेर -I Hep	38.37	6.36	1.66	38.37	6.43	1.68	38.37	6.54	1.7
चमेरा -II Hep	58.34	11.29	1.93	58.34	11.17	1.91	58.34	11.36	1.95
बैरासिउल HEP	25.01	3.51	1.4	25.01	3.69	1.47	25.01	3.8	1.52
सलल HEP	104.5	10.41	1	104.5	10.76	1.03	104.5	11.08	1.06
टनकपुर HEP	16.9	3.61	2.14	16.9	3.7	2.19	16.9	3.77	2.23
ऊरी HEP	83.35	14.33	1.72	83.35	14.55	1.75	83.35	14.99	1.8
सेवा II HEP	18.22	7.84	4.3	18.22	7.68	4.22	18.22	7.91	4.34
एनएचपीसी कुल	459.82	105.18	2.29	459.82	105.61	2.3	459.82	107.86	2.35

वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 14-15 की वार्षिक राजस्व मांग

जेनरेटिंग स्टेशन	विवि 12-13			विवि 13-14			विवि 14-15		
	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर
अन्य									
नाथपा झाकरी HEP	166.36	45.78	2.75	166.36	46.49	2.79	166.36	47.22	2.84
टिहरी -I Hep	79.62	39.2	4.92	79.62	39.2	4.92	79.62	39.2	4.92
ताला HEP	30.82	5.67	1.84	30.82	5.67	1.84	30.82	5.67	1.84
अन्य कुल	276.79	90.66	3.28	276.79	91.36	3.3	276.79	92.09	3.33
परमाणु									
एनएपीएस	42	9.07	2.16	42	9.07	2.16	42	9.07	2.16
परमाणु कुल	42	9.07	2.16	42	9.07	2.16	42	9.07	2.16
कुल -मौजूद स्टेशन	2348.98	685.28	2.92	2348.98	708.57	3.02	2029.08	661.66	3.26

तालिका 39: विव 12-13 से विव 14-15 के लिए नए / भविष्य के उत्पादन केंद्रों से उपलब्ध अनुमानित शुद्ध बिजली

उत्पादन केंद्र	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत
दादरी स्टेज II	1453.24	660.30	4.54	1453.24	680.41	4.68	1453.24	709.35	4.88
कहलगां II	311.11	117.52	3.78	311.11	122.63	3.94	311.11	128.16	4.12
कोलडम	49.42	17.82	3.61	99.12	36.80	3.71	99.12	37.91	3.82
आरएपीएस 5 व 6	101.79	30.77	3.02	101.79	30.77	3.02	101.79	30.77	3.02
डीवीसी	792.78	285.80	3.61	792.78	294.37	3.71	792.78	303.20	3.82
एनटीपीसी इंजनर	1503.27	739.57	4.92	1503.27	764.64	5.09	1503.27	797.85	5.31
प्रगति III	879.70	407.74	4.64	1759.40	839.94	4.77	1759.40	865.14	4.92
मैथन	1673.82	493.78	2.95	2233.80	681.31	3.05	2233.80	703.65	3.15
एसएलपी इंजनर	923.30	219.28	2.38	923.30	239.69	2.60	923.30	246.71	2.67
बाढ़ I		0.00	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!
रिहन्द III	53.47	20.93	3.91	214.47	86.46	4.03	214.47	89.05	4.15
बाढ़ II	25.54	10.00	3.91	146.43	59.03	4.03	207.16	86.02	4.15



उत्पादन केंद्र	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर
परबत्ती HEP-III	23.86	8.60	3.61	47.85	17.77	3.71	47.85	18.30	3.82
चमेरा -III	14.77	5.32	3.61	29.62	11.00	3.71	29.62	11.33	3.82
ऊरी -II	10.79	3.89	3.61	21.65	8.04	3.71	21.65	8.28	3.82
रामपुर HEP		0.00	#DIV/0!	23.40	8.69	3.71	46.92	17.94	3.82
कोटेश्वर HEP	45.55	16.42	3.61	45.55	16.91	3.71	45.55	17.42	3.82
टीपीडीडीएल उत्पादन	535.32	242.61	4.53	535.32	249.89	4.67	535.32	257.38	4.82
कुल	8397.73	3280.35	3.91	10242.08	4148.35	4.05	10326.33	4328.47	4.19

अंतरराज्यीय, द्विपक्षीय, बैंकिंग और पावर एक्सचेंज तथा अन्य स्रोतों पर आधारित बिजली खरीद अनुमान

लंबी अवधि के पीपीए द्वारा बिजली उपलब्धता के बावजूद टीपीडीडीएल ने द्विपक्षीय समझौते जैसे कि सीधी खरीद साथ ही ऊर्जा जरूरत पूरी करने के लिए भंडारण व्यवस्था और पूरे वर्ष के लिए पीक आवर्स में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की। हालांकि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं था। इसके अलावा अल्पावधि की व्यवस्था करने के लिए मांग और आपूर्ति के संतुलन में दैनिक आधार पर और अधिकतम 15 मिनट के अंतराल पर व्यवस्था किए जाने की जरूरत है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक बिक्री और खरीद अक्टूबर 2011 तक निष्पादित हो जाए और नवंबर 2011 से मार्च 2012 तक अतिरिक्त बिजली के बिक्री के अनुमान लगाया जा चुका हो। इसके अलावा वित्त वर्ष 2012-13 के बाद कोई भी अल्पावधि खरीद द्विपक्षीय अनुमान न हो क्योंकि टीपीडीडीएल के पास नए संयंत्रों के कमीशन की वजह से ऊर्जा अधिशेष की स्थिति बन सकती है।

तालिका 40: अन्य स्रोत से खरीदी गई अनुमानित यूनिट और बिक्री

अन्य स्रोत	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर
अन्य स्रोतों से खरीदी गई बिजली									
अंतर - राज्यीय द्विपक्षीय खरीद									
अंत:- राज्यीय बिजली खरीद									
अन्य खरीद	0	0		0	0		0	0	

	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
अन्य स्रोत	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर	एमयूएस	करोड़ रुपए	औसत दर
कुल									
अन्य स्रोतों को बेची गई बिजली									
अंतः राज्य विद्युत बिक्री (बैंकिंग बिक्री समेत)	5362.42	1715.98	3.2	6486.85	2075.79	3.2	5551.53	1776.49	3.2

टीपीडीडीएल का अनुमान है कि भविष्य में आने वाले संयंत्रों की वजह से वित्त वर्ष 12-13 से 14-15 के बीच ऊर्जा अधिशेष होगा। टीपीडीडीएल इस अधिशेष ऊर्जा को निविदा के जरिये अथवा पावर एक्सचेंज को बेचने की योजना बना रही है। इस सौदे में अनुमानित कीमत 3.20 रुपया प्रति यूनिट हो सकती है। टीपीडीडीएल ने अक्टूबर 2011 तक के लिए इसी दर से सभी बिक्री अनुमान लगाए हैं।

इस अधिशेष ऊर्जा की बिक्री के बावजूद भी अगर मांग से अधिक बिजली बचती है तो वह यूआई के पास छोड़ दिए जाने की उम्मीद है और इस बिजली की दर 3.20 रुपया प्रति यूनिट होने का अनुमान है।

इन तमाम सौदों के बाद हुई आय का लाभ टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं को जाएगा और ऊर्जा खरीद लागत में कमी आएगी।



पारेषण हास

1 जुलाई 2011 से 31 अक्टूबर 2011 के दौरान पारेषण हानि की गणना में एनआर और ईआर पर विचार करना चाहिए और वास्तविक पीओसी नुकसान पर भी नजर रखनी चाहिए।

18-10-2011 को एसएलडीसी में वाणिज्यिक उपसमिति की 11वीं बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि अंतरराज्यीय पारेषण के दौरान हानि का प्रतिशत 1.25 तक हो सकता है।


भंडारण और बिक्री के दौरान हानि इस प्रकार है:

द्विपक्षीय निर्यात अथवा बिक्री: इस दौरान अंतरराज्यीय नुकसान 1.25 प्रतिशत हो सकता है।

बिजली खरीद लागत आकलन

बिजली खरीद लागत का आकलन करने के लिए निम्न बातों पर विचार किया गया।

- ए) विभिन्न संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 12-13 के लिए मूल्य निर्धारण के दौरान सीईआरसी द्वारा जारी नई दरों को आधार बनाया गया। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए इस निर्धारित शुल्क में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। दिल्ली उत्पादन कंपनियों द्वारा तय लागत भी एक वर्ष में तीन प्रतिशत की दर से बढ़ाने का प्रावधान है और वित्त वर्ष 14-15 के लिए यह बढ़ी कीमत ही मान्य है।
- बी) वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 के लिए ताप और गैस आधारित संयंत्रों द्वारा चर लागत 5 प्रतिशत वार्षिक के आधार से बढ़ती है। आधार वर्ष 11-12 (अक्टूबर 2011 तक) अतः वित्त वर्ष 12-13, 14-15 के लिए इस आधार पर आकलन किया जाए।
- सी) टीपीडीडीएल वित्त वर्ष 12-13 से 14-15 के बीच कोई भी द्विपक्षीय सीधी खरीद नहीं करेगा क्योंकि उसका अनुमान है कि इस अवधि में उसके पास अधिशेष ऊर्जा उपलब्ध होगी जो कि भविष्य में तैयार हो रहे संयंत्रों से मिलने की उम्मीद है। किसी भी तात्कालिक कमी के लिए पावर एक्सचेंजों से कमी को पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी।
- डी) नए और भविष्य में तैयार हो रहे संयंत्रों के प्रति यूनिट लागत का अनुमान निम्न आधार पर किया जाएगा:



स्टेशन	विव 11-12	विव 12-13	विव 14-15	सीओडी
कोलडम	350	361	382	अक्टूबर'12
सीएलपी झज्जर	215	238	267	यू1 जनवरी'12, यू2 जुलाई'12
रिहन्द III		391	415	यू1 अक्टू'12, यू2 अप्रैल'13
बाढ़ II		391	415	यू1 जन'13, यू2 नवंबर'13
मैथन दीर्घ अवधि		295	315	अप्रैल '12-सित'12 150 एमडब्ल्यू अक्टू'12-मार्च'13 300 एमडब्ल्यू
परबती HEP-III		361	382	अक्टूबर '12
चमेरा-III		361	382	अक्टूबर '12
ऊरी-II		361	382	अक्टूबर '12
कोटेश्वर HEP	350	361	382	विव 12-13
टीपीडीडीएल जेनरेशन	440	453	481	ब्लॉक 1, अप्रैल 11, ब्लॉक 2 अगस्त 11
प्रगति III	450	464	492	ब्लॉक 1 अप्रैल '12-मार्च '13, ब्लॉक 1+2 अप्रैल '13 से

झज्जर बिजली संयंत्र के दर का निर्धारण हरियाणा सरकार द्वारा जारी एलओआई और निविदाओं के मूल्यांकन के आधार पर तय होगा। बाकी संयंत्रों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को वित्त वर्ष 11-12 को आधार वर्ष मानते हुए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ाया जाएगा।

पारेषण प्रभार


वित्त वर्ष 12-13 और उसके आगे के लिए पारेषण शुल्क का निर्धारण करने हेतु वित्त वर्ष 11-12 को आधार मानते हुए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि की जाए और गणना की जाए। अनुमानों से एक बार अदा की गई लागत निकालकर ही कीमत का निर्धारण किया जाए।

सेवा कर विभाग द्वारा पारेषण पर सेवा कर वसूला जाता है। अगर यह शुल्क देय होता है तो संबंधित अवधि के लिए इसका दावा अलग से किया जाएगा क्योंकि यह एक वैधानिक भुगतान है।


वित्त वर्ष 12-13 से 14-15 के लिए ऊर्जा संतुलन:

तालिका 41: विव 13 से विव 15 के लिए एनर्जी बैलेंस समरी और बिजली खरीदने की कीमत

विवरण	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर
सीएसजीएस से बिजली की खरीद	10748.25	3868.35	3.60	11712.90	4347.23	3.71	11477.26	4474.13	3.90
अंतरराज्यीय द्विपक्षीय खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पीजीसीआईएल हानि	(392.62)			(449.36)			(432.84)		
दिल्ली जेनको से बिजली की खरीद	3295.38	1418.57	4.30	4,175.08	1902.20	4.56	4175.08	1970.78	4.72
अंतरराज्यीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



विवरण	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर
बिजली खरीद									
दिल्ली की परिधि पर बिजली की उपलब्धता	13651.01	5286.92	3.87	15438.62	6249.43	4.05	15219.49	6444.91	4.23
डीटीएल हानि	(104.26)			(112.69)			(121.76)		
डिस्कॉम को उपलब्ध बिजली	13546.75	5286.92	3.90	15325.93	6249.43	4.08	15097.73	6444.91	4.27
घटाएं : बेची गई / बैंक की गई/यूआई सेल्स की अतिरिक्त बिजली	(5310.28)	(1699.29)	3.20	(6423.30)	(2055.46)	3.20	(5478.49)	(1753.12)	3.20
टीपीडीडीएलके उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बिजली	8,236.47	3587.63	4.36	8902.63	4193.98	4.71	9619.24	4691.79	4.88




विवरण	विव 12-13			विव 13-14			विव 14-15		
	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर	एमयू	राशि (करोड़ रुपए)	दर
संप्रेषण शुल्क									
पीजीसीआईएल शुल्क और यूएलडीसी चार्ज		263.62			301.64			310.35	
डीटीएल		201.42			211.49			222.06	
टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बिजली	8236.47	4052.67	4.92	8902.63	4707.11	5.29	9619.24	5224.21	5.43

अनुमानों के आधार प्रासंगिक अनुरूप पहले ही दिए गए हैं, जो कि फार्म एफ1, एफ1 ए, एफ1 सी, एफ1 डी और एफ1 ई में हैं।

प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा

माननीय आयोग द्वारा 16-07-2010 को दिए आदेश में कहा गया कि प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा शुल्क का पुनर्निर्धारण कर अब 0.5 पैसा प्रति केवीएआरएच प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10 पैसा प्रति केवीएआरएच कर दिया गया है।



ज्ञात हो कि प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा अधिभार को पूर्व में किए गए आकलनों में शामिल नहीं किया गया है और भविष्य में होने वाले सत्यापनों में इसका दावा पेश किया जाएगा।

अनुमानों के आधार प्रासंगिक अनुरूप पहले ही दिए गए हैं, जो कि फार्म एफ1, एफ1 ए, एफ1 सी, एफ1 डी और एफ1 ई में हैं।

5. वित्त वर्ष 2012-13 से 14-15 के बीच एटीएंडसी की गणना


तालिका संख्या: 42 राजस्व वसूली

विवरण	यूओएम	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
अपेक्षित बिक्री	एमयू	7,222	7,829	8,483
मौजूदा शुल्क दर पर बिल की गई राशि	करोड़ रुपए	3,986	4,314	4,668
संग्रह कार्यकुशलता	%	99.50	99.50	99.50
एकत्र राशि	करोड़ रुपए	3,967	4,293	4,644

जैसा कि, पूर्व के बकायों को काफी हद तक चुकाया जा चुका है और मौजूदा बकायों पर छूट के लिए मई 2008 की एनसीटीडी नीति में छूट का प्रावधान है। इसलिए वित्त वर्ष 12-13 और आगे के लिए वसूली का अनुमान 99.50 है।

तालिका संख्या : 43 एटीएंडसी हानि स्तर की गणना

क्र म सं ख्या	विवरण	यूओएम	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15	टिप्पणी
ए	एनर्जी इनपुट (टीपीडीडीएल की परिधि में टीपीडीडीएल के उपभोक्ताओं की खपत के लिए)	Mu's	8,236	8,903	9,619	
बी	अपेक्षित बिक्री	Mu's	7,222	7,829	8,483	
सी	वितरण हानि	%	12.31%	12.06%	11.81%	C=(1-B/A)




क्र म सं ख्या	विवरण	यूओ एम	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15	टिप्पणी
डी	मौजूदा शुल्क दर पर बिल की गई राशि	करोड़ रुपए	3,986	4,315	4,668	
ई	संग्रह कार्यकुशलता	%	99.50	99.50	99.50	
एफ	एकत्र राशि	करोड़ रुपए	3,967	4,293	4,644	एफ =डी*ई
जी	एकत्र यूनिट	एमयू	7,186	7,790	8,440	जी=(बी*ई)
एच	एटीएंडटी हानि स्तर		12.75%	12.50%	12.25%	एच=(1-(जी/ए))

6. ईंधन कीमतों का समायोजन

वर्तमान ईंधन मूल्य समायोजन तंत्र के आधार पर ईंधन मूल्य समायोजन किया जा सकता है। (वसूली दर 99.50 प्रतिशत मानते हुए)

विवरण	यूओएम	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
एफपीए से अपेक्षित कलेक्शन	करोड़ रुपए	406.35	521.77	664.82



7. मौजूदा शुल्क में शुद्ध राजस्व अंतर की संगणना

वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके बाद के लिए सकल राजस्व आवश्यकताओं और प्रत्येक सिरे के लिए विस्तृत विवरण व्याख्या संबंधित प्रारूपों में दी गई है।

तालिका 44: राजस्व अंतर की गणना

(करोड़ रुपये)

विवरण	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
राजस्व में शुरुआती अंतर	(3,856.54)	(5,166.41)	(7,042.98)
साल के लिए राजस्व आवश्यकता	5,154.76	5,976.91	6,703.65
मौजूदा शुल्कदर पर राजस्व	4,372.86	4,814.75	5,309.24
साल के लिए सरप्लस /(अंतर)	(781.90)	(1,162.16)	(1,394.40)
(अंतर)/सरप्लस का बंदी का स्तर	(4,638.45)	(6,328.57)	(8,437.39)
साल के लिए कैरेइंग कॉस्ट	(527.96)	(714.41)	(962.11)
शुद्ध (अंतर)/सरप्लस	(5,166.41)	(7,042.98)	(9,399.49)

वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 14-15 की वार्षिक राजस्व मांग

वोल्टेज के आधार पर अनुमानित हानि

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वोल्टेज के आधार पर अनुमानित हानि इस प्रकार है:

तालिका 45: वोल्टेज के हिसाब से हानि

विवरण	विव 11-12
220 केवी	0%
33/66 केवी	1.50%
11 केवी	4.95%
एलटी	14.31%
औसत	12.56%

फार्म एफ2 के लिए विवरण नोट: सकल अचल संपत्ति

माननीय आयोग के 31-03-2007 के आदेशानुसार 2043.96 करोड़ रुपये की कुल अचल संपत्ति अनुमानित है। माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2005-2006 और विवि 2006-2007 के लिए पूंजीकरण के भाग को ईआई प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण नामंजूर कर दिया है। यह राशि क्रमशः 165.68 और 77.28 करोड़ रुपये है।

माननीय एटीई ने बीएसईएस के याचिका संख्या 36/2008 में कहा कि संबंधित प्राधिकरणों में प्रार्थना के 16 दिन के भीतर पूंजी की इजाजत दी जा सकती है। आदेश का संबंधित हिस्सा निम्न है:

" नई अचल संपत्ति के लिए पूंजी इकट्ठा करने हेतु विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत इन्स्पेक्टर के पास प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा और प्रार्थना पत्र दाखिल करने और फीस जमा करने के 16 दिन बाद से यह संपत्ति को मान्यता दी जा सकती है।"

ऊपर के आदेशानुसार विद्युत स्पेक्ट्रम को दिए गए प्रार्थना पत्र निम्न हैं:


तालिका संख्या 46 : विव 05-06 और 06-07 के ईआई सर्टिफिकेट का साल के मुकाबले साल का विवरण

विवरण	ईआई सर्टिफिकेट जरूरी नहीं	विव 0506	विव 0607	विव 0708	विव 0809	विव 0910	विव 1011	विव 1112	कुल
विव 05-06	176.18	21.19	30.27	7.20	67.01	13.96	2.61	4.26	322.68
विव 06-07	100.56		13.32	24.80	70.11	14.19	1.54	52.76	277.28
कुल									

वित्त वर्ष 2011-12 से 14-15 के दौरान क्षमता विस्तार की योजना में आया खर्च निम्न है:

माननीय आयोग से प्रार्थना है कि वह माननीय एटीई के फैसले के आधार पर पूंजी जुटाने के तरीकों पर मुहर लगाए और टीपीडीडीएल को इस संदर्भ में जरूरी प्रमाण पत्र दे।

विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
250	419	475	453



यह देखा गया कि पूरे साल के दौरान सीडब्ल्यूआईपी का अनुमान 80 प्रतिशत था और 50 प्रतिशत का आंकड़ा प्राप्त किया गया। (तालिका 52 देखें)

इस आधार पर (तालिका 52 और 46) संशोधित जीएफए निम्न हैं:

तालिका संख्या: 47 ग्राँस फिक्स्ड एसेट

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
शुरुआती बचत	2,028.48	2,324.92	2,799.20	3,203.15
साल के दौरान योग	296.45	474.28	403.95	394.17
साल के दौरान कम हुआ	-	-	-	-
बंदी के समय बचत	2,324.92	2,799.20	3,203.15	3,597.32

* अनुमानित


विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
शुरुआती बचत	3,597.32	4,032.66	4,392.99	4,828.47
साल के दौरान योग	435.34	360.32	435.48	456.23
साल के दौरान कम हुआ	-	-	-	-
बंदी के समय बचत	4,032.66	4,392.99	4,828.47	5,284.70

यह स्पष्ट किया जाए कि वित्त वर्ष 11-12 के दौरान एकत्रित संपत्ति को उस नियंत्रित समय में सत्यापित संपत्ति समझा जाए।

इसके अलावा पूर्व संपत्ति पर नीति निर्धारण तक संपत्ति को सकल अचल संपत्ति का हिस्सा माना जाए।

फार्म 2ए के लिए विवरण नोट: मूल्यहास एवं मूल्यहास के प्रावधान

माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2002-03 से वित्त वर्ष 2006-2007 के लिए मूल्यहास की दर 6.69 प्रतिशत प्रतिवर्ष को मंजूरी प्रदान की। निर्धारित नियंत्रित एमवाईटी समय के दौरान माननीय आयोग ने एमवाईटी रेगुलेशन में मूल्यहास दरों को मंजूरी दी और पूरे वर्ष के लिए आरंभिक जीएफए में मूल्यहास



और छमाही आधार पर अगले वर्षों के लिए मूल्यहास मंजूर किया। इस आधार पर वित्त वर्ष 2003 और उसके आगे के लिए मूल्यहास की पुनर्गणना की गई और उसका उल्लेख संलग्न ईआई प्रमाण पत्र में किया गया।

सबसे मूल्यहास गणना एमवाईटी रेगुलेशन की दरों के हिसाब से की जाती है। उसके बाद ग्राहक के योगदान के आधार पर मूल्यहास का समायोजन किया जाता है। क्योंकि एमवाईटी रेगुलेशन के अनुसार मूल्यहास कुल संपत्ति पर संगणित किया जाता है।

एएडी की गणना की पद्धति फॉर्म 2ए में दी गई है। मूल्यहास और एएडी की गणना इस प्रकार की जाती है:

तालिका संख्या : 48 औसत मूल्यहास दर की गणना

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
औसत ग्रॉस ब्लॉक	2,176.70	2,562.06	3,001.18	3,400.24
साल के दौरान मूल्यहास (फॉर्म एफ2ए)	80.79	96.75	114.77	130.55
औसत मूल्यहास दर	3.71%	3.78%	3.82%	3.84%

विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
औसत ग्रॉस ब्लॉक	3,814.99	4,212.83	4,610.73	5,056.58
साल के दौरान मूल्यहास (फॉर्म एफ2ए)	146.55	161.89	177.24	194.44
औसत मूल्यहास दर	3.84%	3.84%	3.84%	3.85%

तालिका संख्या : 49 एएडी के बिना मूल्यहास की अंतिम गणना

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
शुरुआती परिसंपत्तियां (उपभोक्ता के योगदान के साथ शुद्ध)	1,935.80	2,191.42	2,611.12	2,886.75
क्लोजिंग ऐसेट (उपभोक्ता के योगदान के साथ शुद्ध)	2,191.42	2,611.12	2,886.75	3,225.94


विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
औसत जीएफए	2,063.61	2,401.27	2,748.94	3,056.35
औसत मूल्यहास दर	3.71%	3.78%	3.82%	3.84%
मूल्यहास (उपभोक्ता के योगदान के साथ शुद्ध)	76.59	90.68	105.13	117.34
विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
ओपनिंग ऐसेट (उपभोक्ता के योगदान के साथ शुद्ध)	3,225.94	3,541.17	3,824.07	4,203.09
क्लोजिंग ऐसेट (उपभोक्ता के योगदान के साथ शुद्ध)	3,541.17	3,824.07	4,203.09	4,615.45
औसत जीएफए	3,383.56	3,682.62	4,013.58	4,409.27
औसत मूल्यहास दर	3.84%	3.84%	3.84%	3.85%
मूल्यहास (उपभोक्ता के योगदान के साथ शुद्ध)	129.97	141.52	154.28	169.55

एएडी

एएडी को ध्यान में रखते हुए प्रपत्र 2ए के अनुसार मूल्यहास की तालिका निम्न है:

तालिका संख्या : 50 संचित मूल्यहास

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
शुरुआती शेष	767.56	873.34	985.17	1,109.91
साल के दौरान योग	76.59	90.68	105.13	117.34
एएडी	29.19	21.15	19.61	10.26
साल के दौरान डिलीट किया गया	-	-	-	-
क्लोजिंग बैलेंस	873.34	985.17	1,109.91	1,237.51



विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
ओपनिंग शेष	1,237.51	1,384.20	1,574.92	1,779.18
साल के दौरान योग	129.97	141.52	154.28	169.55
एएडी	16.71	49.20	49.98	64.38
साल के दौरान डिलीट किया गया	-	-	-	-
क्लोजिंग बैलेंस	1,384.20	1,574.92	1,779.18	2,013.11

स्पष्ट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए मूल्यहास और एएडी के ड्रइंग अप के मद में किसी भी अंतर पर विचार नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीकरण के ड्रइंग अब के समय किया जाएगा और यह वित्त वर्ष 2011-12 के ड्रइंग अप के दौरान किया जाएगा।


मूल्यहास के उपयोग

साल के दौरान उपलब्ध मूल्यहास का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

1. कार्यशील पूंजी (अगर माननीय आयोग से मंजूरी हो)
2. कर्ज अदायगी
3. पूंजीगत व्यय

तालिका संख्या : 51 मूल्यहास का उपयोग

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
मूल्यहास	105.78	111.83	124.74	127.60
कर्ज के पुनर्भुगतान के लिए उपयुक्त	76.59	90.68	105.13	117.34
कर्ज के पुनर्भुगतान के लिए उपयुक्त (एएडी)	29.19	21.15	19.61	10.26
कार्यशील पूंजी के लिए उपयुक्त	-	-	-	-
पूंजीगत निवेश के लिए उपयुक्त	-	-	-	-
अनुपयुक्त मूल्यहास	-	-	-	-
कुल अनुपयुक्त मूल्यहास	-	-	-	-



विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
मूल्यहास	146.69	190.72	204.27	233.93
कर्ज के पुनर्भुगतान के लिए उपयुक्त	129.97	141.52	154.28	169.55
कर्ज के पुनर्भुगतान के लिए उपयुक्त (एएडी)	16.71	49.20	49.98	64.38
कार्यशील पूंजी के लिए उपयुक्त		-	-	-
पूंजीगत निवेश के लिए उपयुक्त		-	-	-
अनुपयुक्त मूल्यहास		-	-	-
कुल अनुपयुक्त मूल्यहास		-	-	-

विवरण नोट फार्म 2ए (1): मूल्यहास के संदर्भ में अग्रिम

मूल्यहास के संदर्भ में अग्रिम की गणना एमवाईटी रेगुलेशन के आधार पर की जाती है।

एमवाईटी रेगुलेशन 2011 के अनुसार

एएडी अर्थात् मूल्यहास के संदर्भ में अग्रिम वह राशि है जो कर्ज के अदायगी और निर्धारित समय में मूल्यहास को कुल धन के 1/10 से घटाने के बाद बचती है। एमवाईटी रेगुलेशन के आधार पर मूल्यहास के संदर्भ में अग्रिम उसी दशा में लिया जा सकता है जब उस वर्ष में कर्ज अदायगी मूल्यहास से ज्यादा हो।

मूल्यहास के संदर्भ में अग्रिम उस वर्ष में कर्ज अदायगी और मूल्यहास के अंतर के बराबर होना चाहिए।


ऊपर लिखित प्रावधानों के आधार पर दिनांक 1-4-2011 तक बकाया राशि प्रपत्र 3ए के अनुसार कर्ज का 1/10वां हिस्सा और फार्म 3बी के अनुसार एमवाईटी नियंत्रण समय में नया कर्ज, एएडी है।

वर्ष के लिए कर्ज अदायगी की राशि प्रपत्र 3बी के अनुसार हो।

वर्तमान मूल्यहास प्रपत्र 2ए के अनुसार हो

तो मूल्यहास की गणना ऊपर लिखित तालिका के आधार पर की जा सकती है।

प्रपत्र एफ2बी के लिए विवरण नोट: निवेश मास्टर प्लान



इसके अनुसार वर्ष वित्त वर्ष 2012-13 के लिए पूंजीगत व्यय इस प्रकार होगा (विस्तृत पूंजीगत व्यय का खाका खंड 2 में संलग्न है):

(करोड़ रुपए)


पूंजीगत निवेश विव 2012-15 के लिए योजना					
विवरण / वित्त वर्ष		2012-13	2013-14	2014-15	Total
गैर जमा कार्य के लिए बजट					
1	एटीएंडसी हानि कम करने की योजनाएं				
1.1	मीटर रिप्लेसमेंट	27	28	38	93
1.2	एचवीडीएस कार्य	20	15	10	45
1.3	एलटी बेयर कंडक्टर की जगह एलटी एबीसी				
1.4	एलटी एबीसी फ्रेंचाइजी / एसपीडी के लिए				
एटीएंडसी हानि कम करने का उपयोग		47	43	48	138
2	विश्वसनीयता सुधार योजनाएं				
2.1	ऑटोमेशन इंप्लीमेंटेशन	8	5	10	23
2.2	नई तकनालाजी (जीआईएस, संचार, ओएमएस और स्मार्ट फीडर)	12	21	18	51
2.3	सुरक्षा से संबद्ध	8	8	8	24
2.5	11 केवी सिक केबल बदलना	10	10	10	30
2.6	परीक्षण उपकरण	2	2	2	5
विश्वसनीयता सुधार के लिए उप-योग		40	46	48	133
3	भार वृद्धि योजनाएं				
3.1	ईवीएच वर्क				
3.1.1	नए ग्रिड सबस्टेशन डिपोजिट				

पूँजीगत निवेश विव 2012-15 के लिए योजना					
विवरण / वित्त वर्ष		2012-13	2013-14	2014-15	Total
	वर्क छोड़कर				
3.1.2	66 और 33 केवी लाइन्स और केबल	81	95	92	268
3.1.3	66 व 33 केवी बेज/ट्रांसफॉर्मर एडिशन /ऑगमेंटेशन				
3.1.4	11 केवी सिस्टम को बेहतर करने के काम	66	92	54	212
3.1.5	नए मीटर	48	49	51	148
3.1.6	एलटी कार्य	10	10	10	30
भार विकास के लिए उप-योग		205	246	207	658
4	आधारभूत ढांचा विकास योजना				
4.1	सिविल संरचना परियोजना	5	5	5	15
4.2	सूचना तकनालॉजी	17	20	19	56
4.3	प्रशासनिक सहायता	10	10	10	30
ढांचागत विकास के लिए उप योग		32	35	34	101
गैर जमा कार्य के लिए कुल (ए)		324	370	337	1,031
जमा कार्य		50	50	50	150
आईडीसी		45	55	66	166
कुल		419	475	453	1,347

प्रपत्र एफ2बी कर्ज के लिए विवरण नोट: निवेश मास्टर प्लान और कर्ज का ब्यौरा

प्रपत्र एफ2बी (1) के लिए विवरण नोट: पूँजीगत मास्टर प्लान / कार्याधिकार

प्रपत्र एफ2बी (2) के लिए विवरण नोट: वार्षिक पूँजीगत व्यय



प्रपत्र एफ2बी (2) कर्ज के लिए विवरण नोट: वार्षिक पूंजीगत व्यय और कर्ज ब्यौरा

प्रपत्र एफ2बी (3) के लिए विवरण नोट: पूंजी कृत निर्माण का वित्त पोषण

प्रपत्र एफ2बी (3) कर्ज के लिए विवरण नोट: पूंजी कृत निर्माण का वित्त पोषण और कर्ज ब्यौरा

किसी विशेष योजना के लिए ऋण नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक महंगी व्यक्तिगत योजना और अत्यंत असुविधाजनक प्रशासकीय कदम है।

माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित कुल व्यय पर ही ऋण मंजूर किया जाएगा।

पूंजीकरण योजना की समय सारणी वर्तमान पत्रक के साथ नहीं प्रदान की जा सकती और यह विभिन्न अनियंत्रणीय मापदंडों के सत्यापन के समय उपलब्ध कराई जा सकती है।


वित्त वर्ष 2011-12 और उसके बाद के लिए वित्त पोषण के संदर्भ में जानकारी पत्रक 3ए और 3बी तथा इन पत्रकों के विवरण नोटों में दी गई है।

प्रपत्र एफ2सी के लिए विवरण नोट: प्रगति में पूंजी निर्माण / सारांश

माननीय आयोग ने एमवाईटी आदेश में वित्त वर्ष 2003 से वित्त वर्ष 2007 के दौरान विकास के लिए पूंजीगत कार्यों की इजाजत दी। हालांकि इस मद में पूंजीकरण की अनुमति के दौरान माननीय आयोग ने कुछ ईआई प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण कुछ पूंजीकरण को स्थगित कर दिया और तदनुसार 31-03-2007 को सीडब्ल्यूआईपी के समापन संतुलन को मंजूरी दी।

स्पष्टीकरण के रूप में प्रपत्र एफ2 में उल्लेखित है कि माननीय एटीई ने पूंजीकरण को विद्युत इस्पेक्टर कार्यालय में ईआई प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना देने के 16 दिन के अंदर मंजूरी का दिशा निर्देश दिया है। अतः इस आधार पर वित्त वर्ष 2006 के लिए पूंजीकरण को मान्यता दी जाए और वित्त वर्ष 2007 के लिए इसे बदला जाए। इसी आधार पर अचल संपत्ति अनुसूची में भी बदलाव किया गया। हालांकि सीडब्ल्यूआईपी अनुसूची पूंजीकरण के लिए लंबित ईआई प्रमाण पत्र का हिस्सा नहीं है फिर भी माननीय आयोग ने इसे सीडब्ल्यूआईपी का हिस्सा करार दिया।

वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान नए निवेश पूंजीगत व्यय का हिस्सा है और वित्त वर्ष 2011-12 के बाद पूंजी व्यय पर आधारित खर्च है।




कुल निवेश पूंजी में ब्याज और कर्मचारी मद में खर्च की गई पूंजी शामिल है जो कि प्रपत्र एफ2डी के अनुसार है।

वित्त वर्ष 11-12 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी के 80 प्रतिशत तक होने का अनुमान था। जो कि साल के अंत तक कुल पूंजीगत व्यय का 50 प्रतिशत रहा। प्रासंगिक संगणना नीचे दी गई है:

तालिका संख्या : 52 सीडब्ल्यूआईपी शिड्यूल

क्रम संख्या	विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
ए	सीडब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस	310.81	291.48	242.86	241.15
बी	साल के दौरान जुड़ा	245.12	288.54	374.09	465.52
सी	सीडब्ल्यूआईपी में से निवेश पूंजी 01.04.07 से पहले	200.00	92.67		
डी	सीडब्ल्यूआईपी में से निवेश पूंजी 01.04.07 के बाद	64.45	244.49	375.80	390.02
सी	साल के दौरान कुल पूंजीकरण	264.45	337.16	375.80	390.02
	सीडब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस (ए + बी - सी)	291.48	242.86	241.15	316.65

क्रम संख्या	विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
ए	सीडब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस	316.65	188.33	247.33	287.08
बी	साल के दौरान योग	250.00	419.32	475.23	453.14
सी	सीडब्ल्यूआईपी के पूंजी बनाया गया निवेश 01.04.07 से पहले	-			
डी	सीडब्ल्यूआईपी के पूंजी बनाया गया निवेश 01.04.07 के बाद	378.32	360.32	435.48	456.23
सी	साल के दौरान कुल पूंजीकरण	378.32	360.32	435.48	456.23



क्रम संख्या	विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
	सीडब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस (ए + बी - सी)	188.33	247.33	287.08	283.98

पूँजीकरण के वित्त पोषण


पूँजीकरण के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली प्रयोग में लाई जाती है।

1. उपभोक्ता योगदान/ अनुदान से हासिल रकम का उपयोग पूँजीकरण के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
2. वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में ऊपर लिखित समान तरीके के उपयोग के बाद यदि कोई मूल्यहास उपलब्ध हो।
3. उपर्युक्त दोनों को समायोजित करने के बाद शेष आवश्यकता को 70: 30 के अनुपात में ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जैसा कि एमवाईटी नियमों में निर्धारित किया गया है।

वर्षवार वित्त पोषण अनुसूची नीचे दी गई है।

तालिका संख्या : 53 पूँजीकरण का अर्थप्रबंध

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
उपभोक्ता का योगदान	3.63	34.40	71.46	54.98
मूल्यहास	-	-	-	-
एपीडीआरपी कर्ज	-	-	-	-
कर्जदाता	-	-	-	-
कर्ज	42.57	147.06	213.04	234.53
इक्विटी	18.25	63.03	91.30	100.51
कुल	64.45	244.49	375.80	390.02
विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
उपभोक्ता का योगदान	87.38	77.43	56.46	43.87
मूल्यहास	-	-	-	-



विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
कर्जदाता	-	-	-	-
कर्ज	203.66	198.03	265.32	288.65
इक्विटी	87.28	84.87	113.71	123.71
कुल	378.32	360.32	435.48	456.23

तालिका संख्या : 54 इक्विटी और रिजर्व

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
ओपनिंग बैलेंस	608.41	626.66	689.68	780.99
साल के दौरान योग	18.25	63.03	91.30	100.51
साल के दौरान कमी	-	-	-	-
क्लोजिंग बैलेंस	626.66	689.68	780.99	881.50
औसत इक्विटी	617.53	658.17	735.33	831.24
विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
ओपनिंग बैलेंस	881.50	968.78	1,053.65	1,167.36
साल के दौरान योग	87.28	84.87	113.71	123.71
साल के दौरान कमी	-	-	-	-
क्लोजिंग बैलेंस	968.78	1,053.65	1,167.36	1,291.06
औसत इक्विटी	925.14	1,011.21	1,110.50	1,229.21

एफ2डी फार्म के लिए विवरण नोट: पूंजीकृत व्यय का ब्यौरा

ब्याज और पूंजीकृत वित्त प्रभार फार्म 3 में उल्लेखित है।

कर्मचारी व्यय का पूंजीकरण प्रपत्र 6 में है।

प्रपत्र ए1 में आरओसी की राशि का उल्लेख है। इसमें सीडब्ल्यूआईपी पर ब्याज शामिल नहीं है, अतः पूंजीकृत ब्याज प्रपत्र ए1 के अनुसार घटाया नहीं जा सकता।

प्रपत्र एफ2ई: गैर उपयोगी संपत्तियों का विवरण



माननीय आयोग में गैर उपयोग की संपत्ति पर हास पर निर्णय लंबित है अतः वित्त वर्ष 2011-12 और उसके आगे के लिए इसका अनुमान नहीं लगाया गया।

फार्मएफ2एफ: पूंजीगत संपत्तियों के संबंध में योगदान, अनुदान और सब्सिडी लागत

पूंजीगत परिसंपत्तियों की लागत बैलेंस शीट में धन के स्रोत को स्थानांतरित हो जाती है, जब उस परिसंपत्ति पर पूंजीकरण स्थाई हो जाता है।

वित्त वर्ष 2008 से वित्त वर्ष 2011 के दौरान ग्राहकों की हिस्सेदारी और पूंजीकृत योगदान अगले वर्षों की आडिटेड बैलेंसशीट में दर्ज है।


टीपीडीडीएल ने सौर परियोजना के मद में 1.16 करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर प्राप्त किए। सौर परियोजना शुल्क निर्धारण का हिस्सा नहीं है अतः इसे टैरिफ का हिस्सा नहीं माना जाए।

तालिका संख्या : 55 उपभोक्ताओं का योगदान

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
ओपनिंग बैलेंस	146.96	197.50	183.93	108.71
साल के दौरान योग *	91.36	41.01	53.10	147.45
साल के दौरान पूंजीकृत (01.04.07 की स्थिति के अनुसार ओपनिंग में से)	37.19	20.18	56.86	-
साल के दौरान पूंजीकृत (01.04.07 के बाद)	3.63	34.40	71.46	54.98
क्लोजिंग बैलेंस	197.50	183.93	108.71	201.18

* विव 10-11 से अनुमान के आधार पर

विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
ओपनिंग बैलेंस	201.18	181.07	128.64	97.19
साल के दौरान योग *	100.00	25.00	25.00	25.00
साल के दौरान पूंजीकृत (01.04.07 की स्थिति के अनुसार ओपनिंग में से)	32.73			



साल के दौरान पूंजीकृत (के बाद 01.04.07)	87.38	77.43	56.46	43.87
क्लोजिंग बैलेंस	181.07	128.64	97.19	78.31

* डीएसआईडीसी से प्राप्त योगदान शामिल है।

प्रपत्र एफ3 के लिए व्याख्या: ब्याज और वित्त पोषण के शुल्क का सारांश

बकाया ऋण की औसत पर पूरे वर्ष के लिए ब्याज की गणना की गई। ऋण का बंटवारा दो भागों में किया गया है:

1. वास्तविक कर्ज
2. मानक ऋण

सीडब्ल्यूआईपी के वित्त पोषण के लिए लिए गए ऋण पर अदा किया गया ब्याज वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है। नए ऋणों के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया गया जो फॉर्म 3बी के विवरण नोटों में स्पष्ट किया गया है।

फॉर्म 3ए के लिए स्पष्टीकरण - 30.09.11 को बकाया सभी कर्ज के लिए लोन मास्टर

30.09.11 को बकाया सभी कर्ज का विवरण (नियम और शर्त आदि) फॉर्म 3ए में मुहैया कराया गया है।

राजस्व में भारी अंतर जो मुख्य रूप से विव 2009-10 और विव 2010-11 के दौरान पैदा हुआ, के कारण टीपीडीडीएल इक्विटी पर अपना 16 प्रतिशत लाभ और अत्यधिक उपलब्धि का प्रोत्साहन नहीं वसूल पाया है और इसलिए उसे अपने सामान्य कैपेक्स कर्ज की जगह अतिरिक्त कैपेक्स लोन लेना पड़ा।

कर्ज से संबंधित आगे की कोई भी सूचना अगर माननीय आयोग को चाहिए हो तो वह जमा कराई जाएगी।

3बी के लिए स्पष्टीकरण - वेटेड एवरेज ब्याज दर की गणना

लिए गए वास्तविक कर्ज पर लगने वाला ब्याज इस समय लागू ब्याज दर से लगता है जबकि आदर्श कर्ज की गणना वेटेड एवरेज ब्याज दर पर की जाती है और यह साल के दौरान वास्तविक कर्ज पर होता है जैसा एमवाईटी नियमन में निर्धारित है। हालांकि आदर्श कर्ज पर ब्याज की दर को वास्तविक ब्याज



दर के रूप में लिया गया है और यह उस तारीख से है जिस दिन आदर्श कर्ज को वास्तविक कर्ज से बदल दिया गया था।


हालांकि, ब्याज रीसेट करने की तारीख को (जैसा लोन मास्टर में विनिर्दिष्ट है) इन कर्जों पर ब्याज की दर रीसेट की गई है और यह उसी दर पर है जिसपर नए कर्ज लिए जाने की उम्मीद है यानी 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के कर्ज की कोई रीसेट तारीख नहीं है। हालांकि, कर्ज दाता द्वारा 45 दिन की सूचना देकर ब्याज दर किसी भी समय संशोधित किए जा सकते हैं। इसके अलावा, कुछ कर्ज ऐसे भी हैं जो संबंधित बैंक के बेस रेट से जुड़े हुए हैं जिसकी आज की तारीख में भविष्यवाणी की जा सकती है। माननीय आयोग से आग्रह है कि डू अप के समय वास्तविक पर आधारित इसकी अनुमति दे।

एमवाई कंट्रोल अवधि में निवेश फाइनेंस करने के लिए लिए गए नए कर्ज के लिए वास्तविक ब्याज दर पर गणना की गई है। इसके अलावा, डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट बनाए रखने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोला जाना है जो एक तिमाही के पुनर्भुगतान और ब्याज की राशि के समतुल्य का होगा। ऐसे एलसी की लागत 0.30 प्रतिशत @ 0.45 प्रति वर्ष की लागू वास्तविक दर पर ली जाती है जो भिन्न बैंक भिन्न समय पर पेश करते हैं। एसबीआई द्वारा कैश क्रेडिट सुविधा मंजूर किए जाने की सूचना की एक प्रति इस याचिका के खंड दो में अनुलग्नक आठ के रूप में संलग्न है। प्रत्येक कर्ज के लिए दस्तावेज तैयार करने और अपफ्रंट फीस के रूप में 5 लाख रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा, 20 लाख रुपये कार्यशील पूंजी की सीमा के रूप में रखे गए हैं जैसा वर्किंग कैपिटल कंसोर्टियम बैंक द्वारा मंजूर किया गया है। यह दर मौजूदा आर्थिक माहौल के अनुकूल है। साल के लिए नए कर्ज पर आगे के ब्याज की गणना आधे वर्ष के दौरान कर्ज आंतरिक ऐकुरल्स के रूप में की गई है और माना गया है कि ये साल के दौरान समान रूप से ड्रॉ किए जा सकते हैं।

कार्यशील पूंजी की सीमा के लिए ब्याज दर 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष मानी जाती है।

वास्तविक कर्ज के पुनर्भुगतान पर विचार मौजूदा कर्ज करार के नियमों और शर्तों के आधार पर किया गया है। आदर्श कर्ज और वित्त वर्ष 11-12 के दौरान लिए जाने वाले अनुमानित कर्ज के लिए पुनर्भुगतान में मिली एक साल की छूट का लाभ उठाया गया है। यह छूट जिस साल कर्ज लिया जाए उसी साल के लिए होती है। छूट की अवधि समाप्त होने के बाद यह कर्ज अगली 40 तिमाही किश्तों (यानी 10 वर्षों) में चुकाई जानी है।



डब्ल्यूएसीसी वर्किंग आउट करते हुए एफ3बी लागत में ब्याज दर कर्ज इक्विटी अनुपात में 70 : 30 के आधार पर मानी जाती है।

कर्ज की विस्तृत गणना फॉर्म एफ3बी में दी गई है।

फॉर्म एफ4 के लिए स्पष्टीकरण : कार्यशील पूंजी आवश्यकता

कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना एमवाईटी नियमन के तहत की गई है।


कार्यशील पूंजी की आवश्यकता = बिक्री से दो महीने का राजस्व इसमें एक महीने का बिजली खरीदने का खर्च और एक महीने का ट्रांसमिशन शुल्क - 2 महीने का व्हीलिंग शुल्क शामिल है।

कुल 53.15 करोड़ रुपए के मूल्यहास पर विचार किया गया है जो उपलब्ध है और जिसकी इजाजत माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 03 से 05 के दौरान दी थी और यह कार्यशील पूंजी आवश्यकता खोलने के अर्थप्रबंध के लिए है।

विस्तृत वर्किंग फॉर्म एफ4 में दिखाया गया है।

स्पष्ट किया जाता है कि कंज्यूमर सिक्यूरिटी डिपोजिट पर चुकाए गए ब्याज की अनुमति एआरआर में माननीय आयोग से नहीं मिल रही है। इसके पीछे मान्यता यह है कि कंज्यूमर सिक्यूरिटी डिपोजिट की राशि डिसकॉम के पास उपलब्ध है। माननीय आयोग को मालूम है कि पूर्व डीवीबी ने सुरक्षा जमा राशि प्राप्त की थी वह ओपनिंग बैलेंस शीट में हस्तांतरित राशि से काफी ज्यादा थी। इस मामले में माननीय कमीशन के 23.04.2007 के आदेश पर विश्वास किया जाता है जो उसने याचिका संख्या 78-80/2004 आयोग पर 24.04.2007 के वैधानिक सलाह के साथ दी थी जिसे पत्र संख्या एफ.11(134) /डीईआरसी/ 2004-05/ के साथ दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को दिया गया था।

सप्लाई कोड में माननीय आयोग के निर्देश के मुताबिक, टीपीडीडीएल सभी ग्राहकों को (उन ग्राहकों को भी जिन्होंने पहले के डीवीबी के पास कंज्यूमर सिक्यूरिटी डिपोजिट जमा कराए थे) सुरक्षा जमा पर ब्याज दे रहा है। हालांकि, 10 करोड़ रुपए की राशि से ऊपर के सुरक्षा जमा, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दी गई थी, पर ब्याज दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (होल्टिंग कंपनी) को देना है पर टीपीडीडीएल द्वारा चुकाए गए ब्याज का पुनर्भुगतान डीपीसीएल नहीं कर रहा है जो डीपीसीएल द्वारा रखी गई सिक्यूरिटी डिपोजिट के लिए है। टीपीडीडीएल, बीएसईएस डिसकॉम ने एक रिट याचिका संख्या 2395/2008 दायर की है जो माननीय हाईकोर्ट में लंबित है।



उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी तक की स्थिति के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को चुकाए गए भुगतान के मद में सुरक्षा जमा पर ब्याज के रूप में ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर की गई राशि से अधिक कोई राशि नहीं मांगी गई है क्योंकि इस मामले पर अभी निर्णय होना है। यह भी कहना है कि अगर उपरोक्त मामले में निर्णय डीपीसीएल के पक्ष में होता है तो चुकाए गए ब्याज के मद में प्रभाव का दावा एआरआर में कैरेइंग कॉस्ट के साथ किया जाएगा। इसके अलावा, कार्यशील पूंजी पर ब्याज की जिस दर की अनुमति है और सुरक्षा जमा पर जिस दर से ब्याज दिया गया है उसका अंतर एआरआर में नॉन टैरिफ इनकम के रूप में पेश किया गया है।

इसके अलावा, आग्रह किया जाता है कि कार्यशील पूंजी को ठीक कर लिया जाए और यह खरीदी गई बिजली / राजस्व आवश्यकता के अनुसार सही आंकड़ों पर आधारित हो।


फॉर्म 5 के लिए स्पष्टीकरण नोट : मरम्मत और रख-रखाव व्यय (आरएंडएम व्यय)

दिसंबर 2011 में जारी डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ रेगुलेशन में माननीय आयोग ने आरएंडएम व्यय के आधार को मंजूर किया है और आरएंडएम व्यय के निर्धारण के लिए के फैक्टर को फिक्स्ड एसेट्स के ओपनिंग ब्लॉक से जोड़ा गया है। के फैक्टर का निर्धारण पिछली प्रवृत्तियों, स्वीकृत कीमत, और घटक आदि के आधार पर किया जाएगा। नियंत्रण की पहली अवधि में यानी वित्त वर्ष 2007 -2012 में माननीय आयोग ने के फैक्टर को वास्तविक आरएंडएम व्यय के औसत को वित्त वर्ष 2003 से 2007 की अवधि के फिक्स्ड एसेट के ब्लॉक से भाग देकर निर्धारित किया है।

माननीय आयोग द्वारा अपनाए गए उपरोक्त तरीके से अन्य घटकों का ख्याल नहीं रखा जाता है जो टीपीडीडीएल के नियंत्रण में नहीं हैं। नियंत्रण न किए जा सकने योग्य घटकों के कुछ उदाहरणों में वैधानिक प्रभाव हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, मुद्रास्फीति आदि।

यहां यह उल्लेखनीय है कि टीपीडीडीएल पहले ही एटीएंडसी हानि के 14 स्तर से नीचे पहुंच चुका है और एटीएंडसी हानि को आधा प्रतिशत कम करने या उसे बना रखने के लिए उच्च स्तर की प्रतिबद्धता और सेवा मानकों की आवश्यकता होती है। टीपीडीडीएल इसे कायम रखे यह तभी संभव है जब माननीय आयोग आरएंडएम व्यय में वृद्धि की इजाजत दे।

यह तो स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों का औसत मौजूदा खर्चों का सही परावर्तन नहीं होगा क्योंकि सेवा मौजूदा सख्त प्रदर्शन मानकों के तहत मुहैया कराई जानी है जिसे माननीय आयोग ने निर्धारित किया है। इसके अलावा, इसमें पिछले पांच साल के दौरान हुई वैधानिक वृद्धियों का ख्याल नहीं रखा जा सकेगा। नए साल (वित्त वर्ष 12-13) की शुरुआत से पहले सिर्फ पिछले साल (वित्त वर्ष 11-12) से सही



तस्वीर का पता चलेगा जिसपर पिछली सभी वैधानिक वृद्धियों का प्रभाव होगा। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में टीपीडीडीएल एतद्वारा प्रस्ताव करता है कि पहले के वर्षों में हुई वैधानिक वृद्धियों का ख्याल रखने के लिए के फैक्टर का निर्धारण वित्त वर्ष 11-12 में होने वाले अनुमानित आरएंडएम व्यय और औसत ग्राँस फिक्स्ड एसेट का अनुपात होना चाहिए बशर्ते कि यह वित्त वर्ष 11-12 के वास्तविक अंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित वास्तविक (डू अप) हो।

यह मानी हुई बात है कि जीएफए में कोई वृद्धि न हो तब भी सामान्य मुद्रास्फीति के कारण आरएंडएम व्यय में वृद्धि होगी जिसे माननीय आयोग ने फर्स्ट कंट्रोल अवधि में अपनाए गए तरीके में घटक नहीं माना है। आग्रह है कि वित्त वर्ष 12-13 से 14-15 के लिए खर्चों की अनुमति देते समय के फैक्टर के साथ मुद्रास्फीति के लिए भी गुंजाइश छोड़ी जाए।


इसके अलावा, वित्त वर्ष 12-13 से वित्त वर्ष 14-15 तक की अवधि के लिए माननीय आयोग को यह प्रावधान करना चाहिए कि वैधानिक वृद्धियों जैसे न्यूनतम वेतन आदि का ख्याल रखा जाए जिसके असर कंपनी के खर्चों पर होता है और ये खर्च कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।

वित्त वर्ष, 11-12 के लिए अनुमानित व्यय

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान टीपीडीडीएल ने कुल 88.07 करोड़ रुपए का आरएंडएम व्यय किया। प्रस्तावित विधि के अनुसार इसका बंटवारा इस प्रकार है।

तालिका संख्या 56 वित्त वर्ष 10-11 के दौरान आरएंडएम व्यय का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	करोड़ रुपए
ए	ग्राँस आरएंडएम व्यय	96.68
बी	अचल संपत्ति की बिक्री से हानि	8.61
		88.07
सी	मीटर पठन और सुरक्षा व्यय समायोजन का प्रभाव	(1.86)
डी	शुद्ध आरएंडएम व्यय	86.21



न्यूनतम वेतन के प्रभाव की गणना

वित्त वर्ष 10-11 में 86.21 करोड़ रुपए के कुल खर्चों में से 66.80 करोड़ रुपए इस प्रकृति के हैं जो प्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम वेतन की दर में संशोधन से प्रभावित और मुद्रास्फीति की वजह से हैं जबकि 19.41 करोड़ रुपए का बाकी खर्च सिर्फ मुद्रास्फीति से प्रभावित है।

जैसा पहले कहा गया है, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने न्यूनतम वेतन दर में 01.02.2011 से 15 प्रतिशत, 01.04.2011 से 6 प्रतिशत और 01.10.2011 से 4 प्रतिशत (पूरे साल के लिए 2 प्रतिशत) की वृद्धि की है। इसका प्रभाव वित्त वर्ष 10-11 के आंकड़ों में नहीं दिखाया गया है (खंड दो के अनुलग्नक 9 के रूप में प्रतियां संलग्न)। वित्त वर्ष 11-12 में 66.80 रुपए पर इसका असर इस प्रकार है

तालिका संख्या 57 न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का असर

क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	
ए	आरएंडएम व्यय जो वेतन संशोधन से प्रभावित होता है	करोड़ रुपए	66.80
बी	वेतन संशोधन का प्रभाव (15%+6%+2%)	%	23
सी	वित्त वर्ष 10-11 में वेतन संशोधन का प्रभाव = (ए* बी) - ए	करोड़ रुपए	15.36

उपरोक्त हिस्से में मुद्रास्फीति के मद में किसी प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि पहले ही मुद्रास्फीति के लिए प्रावधान कर देती है।

19.41 करोड़ रुपए के बाकी बचे खर्च (86.21 करोड़ रुपए - 66.80 करोड़ रुपए) पर मुद्रास्फीति का प्रभाव होगा।

तालिका संख्या 58 मुद्रास्फीति के प्रभाव की गणना

क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	रुपए (करोड़)	संदर्भ
ए	आरएंडएम व्यय जिसपर मुद्रास्फीति का असर है	करोड़ रुपए	19.41	
बी	वित्त वर्ष 11-12 के लिए मुद्रास्फीति	%	9.16	तालिका 60



सी	वित्त वर्ष 11-12 के दौरान मुद्रास्फीति का प्रभाव	करोड़ रुपए	1.78	सी = ए+बी
डी	वित्त वर्ष 11-12 में मुद्रास्फीति के बाद कुल खर्च	करोड़ रुपए	21.19	डी = ए+सी

वित्त वर्ष 11-12 में होने वाली नई गतिविधियां / खर्च


एसएपी आईएसयू के लिए लाइसेंस फीस : टीपीडीडीएल ने अप्रैल 11 में एसएपी आईएसयू लागू किया है। इसपर 0.49 करोड़ रुपए का लाइसेंस शुल्क जनवरी 12 से दिसंबर 12 की अवधि के लिए जनवरी 12 में देय होगा। वैसे तो वित्त वर्ष 11-12 में तीन महीने का प्रभाव होगा पर माननीय आयोग से आग्रह है कि वित्त वर्ष 12-13 के लिए पूरे साल के प्रभाव पर विचार किया जाए। इसलिए हमारे अनुमानों में वित्त वर्ष 12-13 के अनुमान तैयार करने में पूरे साल के प्रभाव पर विचार किया गया है।

ओएमएस के लिए मैनेजमेंट सेवाएं

टीपीडीडीएल ने अपने क्षेत्र में आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। इसके प्रबंध के लिए एएमसी दिया गया है जो वित्त वर्ष 10-11 में नहीं था। चूंकि यह एक नई गतिविधि है इसलिए इसपर होने वाले 1.20 करोड़ रुपए के खर्च को अलग से शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका संख्या 59 मौजूदा जीएफए पर वित्त वर्ष 11-12 में होने वाला कुल आरएंडएम व्यय

क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	रुपए (करोड़)	संदर्भ
ए	वित्त वर्ष 09-10 के आरएंडएम व्यय	करोड़ रुपए	86.21	
बी	10-11 में न्यूनतम वेतन बढ़ने का असर	करोड़ रुपए	15.36	तालिका 56
सी	वित्त वर्ष 10-11 के लिए मुद्रास्फीति का प्रभाव	करोड़ रुपए	1.78	तालिका 57
डी	वित्त वर्ष 11-12 के दौरान नई गतिविधियां	करोड़ रुपए	1.66	
डी	मुद्रास्फीति और न्यूनतम मजदूरी के बाद विवि 11-12 के लिए कुल व्यय	करोड़ रुपए	105.01	ए+बी+सी+डी



105.01 करोड़ रुपए की उपरोक्त गणना आकलन की सहूलियत के लिए फिक्स्ड ऐसेट्स के आधार में वृद्धि को अलग रखने पर हासिल हुई है।

उपरोक्त के आधार पर के फैक्टर की गणना इस तरह होगी -

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
ओपनिंग जीएफए	2,028.48	2,324.92	2,799.20	3,203.15	3,597.32
आरएंडएम व्यय	57.07	66.04	76.42	86.21	105.01
के फैक्टर	2.81%	2.84%	2.73%	2.69%	2.92%
औसत के फैक्टर					2.80%

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुद्रास्फीति और न्यूनतम मजदूरी के प्रभाव का ख्याल रखने के लिए "के" फैक्टर को विव 10-11 पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा, नियमों में जैसा फार्मूला निर्धारित है, वह भविष्य के वर्षों के लिए मुद्रास्फीति का ख्याल नहीं रखता है। इसलिए, आग्रह है कि भविष्य के वर्षों के लिए के फैक्टर के साथ मुद्रास्फीति के प्रभाव को भी शामिल किया जाए।

तालिका संख्या : 60 मुद्रास्फीति की गणना

साल	सीपीआई (संपूर्ण)	डब्ल्यूपीआई (संपूर्ण)	$0.55 * \text{सीपीआई}$ $+ 0.45 * \text{डब्ल्यूपीआई}$	साल के मुकाबले में वृद्धि (%)	5 साल का औसत
2007-08	607.57	116.63	386.65	4.95	
2008-09	662.92	126.02	421.32	8.97	
2009-10	744.89	130.81	468.55	11.21	
2010-11	822.64	143.32	516.94	10.33	
2011-12*	897.41	157.12	564.28	9.16	8.92
2012-13				9.16	9.76
2013-14				9.16	9.80
2014-15				9.16	9.39



* अप्रैल 11 - अक्टूबर 11 के दौरान वास्तविक वृद्धि पर गणना।

उपरोक्त के आधार पर अनुमानित आरएंडएम व्यय इस प्रकार होगा :

अनुमानित मुद्रास्फीति के मद्देनजर विव 12-13 से विव 14-15 के लिए समायोजित "के" फैक्टर


क्रम संख्या		विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
ए	बेस "के" फैक्टर	2.92%	2.92%	2.92%
बी	विव 12-13 में मुद्रास्फीति	8.92%	8.92%	8.92%
सी	विव 13-15 में मुद्रास्फीति	-	9.76%	9.76%
डी	विव 14-15 की मुद्रास्फीति	-	-	9.80%
ई = ए*(1+बी)* (1+सी)* (1+डी)	समायोजित के फैक्टर	3.18%	3.49%	3.83%

तालिका संख्या : 61 आरएंडएम व्यय

विवरण	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
ओपनिंग जीएफए	4,032.66	4,392.99	4,828.47
के फैक्टर	3.18%	3.49%	3.83%
आरएंडएम व्यय	128.22	153.31	185.02

फॉर्म 6 के लिए स्पष्टीकरण नोट : कर्मचारी लागत और प्रावधान

दिसंबर 2011 में जारी वितरण शुल्कदर नियमन में माननीय आयोग ने कर्मचारी लागत को बुनियादी कीमत पर इंप्लेशन (इंडेक्स) के रूप में स्वीकार किया है (EMPn-1*INDEX)। इंडेक्स को सीपीआई / डब्ल्यूपीआई के औसत के रूप में पारिभाषित किया गया है।



कर्मचारियों पर होने वाले खर्च की गणना का प्रस्तावित तरीका EMPn-1*INDEX पर आधारित है और यह मुद्रास्फीति के कारण कर्मचारी के खर्च में आवश्यक वृद्धि के लिए है पर निम्न कारणों से होने वाली वृद्धि की गणना करने में नाकाम है -

ए) लाइसेंसी टीपीडीडीएल में कर्मचारियों की दो संरचनाएं हैं

i) एफआरएसआर संरचना - उन कर्मचारियों के लिए है जो पुराने दिल्ली विद्युत बोर्ड से स्थानांतरित किए गए थे और जिनके सेवा नियम एफआरएसआर नियम (सरकारी नियमों) से संचालित होते हैं और इनकी सेवा स्थितियां ट्रांसफर योजना के अनुपालन में त्रिपक्षीय करार के तहत सुरक्षित हैं। एफआरएसआर कर्मचारी की तनखाह में कोई भी वृद्धि लाइसेंसी के हाथों में नियंत्रणयोग्य नहीं है।

इसलिए एफआरएसआर संरचना का वेतन उपरोक्त कर्मचारियों के खर्चों में वृद्धि मुहैया कराने वाले सूचकांक फार्मूला से अलग रखा जाना चाहिए और इसकी अनुमति अलग से वास्तविक खर्च आधार पर दी जानी चाहिए क्योंकि डिसकॉम के लिए इन खर्चों पर नियंत्रण संभव नहीं है।

ii) गैर-एफआरएसआर संरचना - गैर-एफआरएसआर संरचना वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का प्रस्तावित फार्मूला वृद्धि की उन जरूरतों की पूर्ति नहीं करता है जिसकी आवश्यकता सामान्य मुद्रास्फीति से आगे के घटकों के लिए है जैसे कैरियर विकास के मौकों, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के अनुपात में आवश्यक वृद्धि, सामाजिक प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक वृद्धि आदि। गैर एफआरएसआर कर्मचारियों के वेतन के मद में होने वाले खर्च से प्रासंगिक हिस्से में इन घटकों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

a) मुद्रास्फीति का मौजूदा फॉर्मूला सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का मेल है और यह उपयुक्त नहीं है और सिर्फ सीपीआई का उपयोग मानव शक्ति लागत के लिए इंप्लेशन इंडेक्स के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि सीपीआई में बदलाव से व्यक्ति (यानी कर्मचारी) प्रभावित होते हैं। और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए थोक मूल्य अप्रासंगिक हैं। इसके अलावा, वेतन में वार्षिक वृद्धि इतनी होनी चाहिए जो मुद्रास्फीति से ज्यादा हो और कर्मचारी के प्रदर्शन पर आधारित वास्तविक वृद्धि की अनुमति मिले ताकि उन्हें प्रेरित रखा जा सके। इसलिए, यह जरूरी है कि कर्मचारी व्यय के भत्ते में इस तरह की वृद्धि का भी घटक हो।

b) टीपीडीडीएल ने 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार एटीएंडसी हानि का स्तर कम करके 14 प्रतिशत से नीचे कर दिया है और एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से एटीएंडसी हानि में और कमी तथा उसे बनाए रखना तभी संभव होगा जब कुशल और प्रतिभाशाली मानव शक्ति



होगी। ऐसी प्रतिभाशाली और कुशल मानवशक्ति को सिर्फ प्रतिस्पर्धी वेतन पर रखा जा सकता है और लाइसेंस को इसकी अनुमति मिलनी चाहिए।


- c) प्रस्तावित फार्मूला में उपभोक्ता आधार या हैंडल की जाने वाली यूनिट में वृद्धि के कारण आवश्यक किसी वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।
- d) रिटायरमेंट / इस्तीफे के कारण खाली होने वाली जगहों पर रखने के लिए उपलब्ध लोग रिटायर होने वाले / इस्तीफा देने वाले की अंतिम तनखाह के मुकाबले 20-30 प्रतिशत ज्यादा में उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, माननीय आयोग ने पिछले एमवाईटी नियमन के मुताबिक एनेथ वर्ष के लिए इंडेक्सेज का मूल्य निकालते हुए औसत इंडेक्शन के लिए जो अवधि ली थी उसे स्टैटिक माना गया था और यह रॉलिंग आधार पर नहीं था। एन की व्याख्या आवश्यक है। नियमन 5.4 (ए) में एन नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है यानी वित्त वर्ष 2012-13 और एन-1 का मतलब है साल एन से पहले वाला साल यानी वित्त वर्ष 2011-12। वर्ष एन के लिए इंडेक्सेशन यानी वित्त वर्ष 2012-13 (नियंत्रण अवधि का पहला साल) नियंत्रण अवधि के भविष्य के वर्षों के लिए निश्चित नहीं है और हर साल बदलेगा। वित्त वर्ष 2013-14 में एन वित्त वर्ष 2013-14 होगा और एन-1 2012-13 न कि वित्त वर्ष 2011-12। यह दोहराया जा रहा है कि एन नियंत्रण अवधि का प्रासंगिक समय है न कि पूरी नियंत्रण अवधि। इसका मतलब यह हुआ कि जिन खर्चों की गणना की जानी है वह प्रासंगिक वर्ष के लिए लागू होगा बाद के वर्षों के लिए नहीं। यानी एन स्थिर नहीं है।

हमारे विचार से इसे रॉलिंग आधार पर किए जाने की आवश्यकता है न कि स्टैटिक आधार पर क्योंकि वृद्धि की अनुमति देने का पूरा उद्देश्य वास्तविक मुद्रास्फीति के करीब वृद्धि को अनुमति देना है और यह वास्तविक संख्या न होने पर फार्मूला से तय कर लिया जाए। यह प्रस्तावित रुख भी राष्ट्रीय शुल्कदर नीति के क्रम में है।

इस हिसाब से बेस ईयर (विव 11-12) का खर्च और कर्मचारी लागत इस प्रकार होगी

एफआरएसआर संरचना के तहत कर्मचारियों के वेतन नद में खर्च



एफआरएसआर वेतन संरचना के लिए कल्पना

विव 2011-12 के लिए एफआरएसआर संरचना कर्मचारियों के वेतन खर्च की गणना करते हुए टीपीडीडीएल ने डीए में वास्तविक वृद्धि पर विचार किया है जो जुलाई 2011 में दिया गया था (51% से 58% यानी 7%) और 12 जनवरी से प्रभावी 8% वृद्धि पर विचार किया गया है जो पूर्व में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा की गई वृद्धि की चालू प्रवृत्ति के अनुसार है।

जनवरी 2010 में डीए में वृद्धि	8 (27% से 35%)
जुलाई 2010 में डीए में वृद्धि	10 (35% से 45%)
जनवरी 2011 में डीए में वृद्धि	6 (45% से 51%)
जुलाई 2011 में डीए में वृद्धि	58 (51% से 58%)

साल के दौरान 1.5 प्रतिशत के और प्रमोशन इंपैक्ट के बारे में विचार किया गया है।

एफआरएसआर कर्मचारी का रिटायरमेंट 60 साल के रिटायरमेंट आयु पर माना गया हैष रिटायर करने वाले कर्मचारियों की जगह जो नए कर्मचारी रखे जाते हैं वे नए वेतनमान के तहत होते हैं।

कर्मचारियों के 4600 रुपए प्रति कर्मचारी के के यूनिफॉर्म भत्ते में किसी तरह की वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया गया है।


3,467 रुपए प्रति कर्मचारी के एक्स-ग्रेसिया में किसी भी तरह की वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

एफआरएसआर संरचना वाले कर्मचारी के लिए विव 11-12 के दौरान जिस इन्क्रीमेंट पर विचार किया गया है उसे उपरोक्त मान्यताओं पर आधारित माना गया है जो इस प्रकार बैठता है :

2010-11 में औसतन 100 रुपए का मूल वेतन और कुल 311 रुपए तनखाह पाने वाले कर्मचारी को विव 11-12 में 346 रुपए मिलेंगे। इसका ब्रेकअप इस प्रकार है :

महंगाई भत्ता, इन्क्रीमेंट में वृद्धि और तरक्की का प्रभाव

एफआरएसआर वेतन	विव 10-11 (वास्तविक)	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
मूल वेतन	100.00	104.50	107.64	110.86	114.19
ग्रेड पे	24.13	25.22	25.98	26.76	27.56
महंगाई भत्ता	54.47	76.54	100.21	125.23	151.67
मकान किराया भत्ता	34.54	36.09	37.72	39.41	41.19
पेंशन	19.95	20.85	21.79	22.77	23.79



एफआरएसआर वेतन	विव 10-11 (वास्तविक)	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
छुट्टियों के पैसे	5.73	5.99	6.26	6.54	6.83
टीपीए	11.35	11.86	12.40	12.96	13.54
टीपीए पर डीए	5.29	7.00	9.30	11.79	14.49
अन्य भत्ते / खर्च	55.83	58.34	60.97	63.71	66.58
कुल लागत	311.29	346.39	382.25	420.03	459.84
इंफ्रीमेंट		11.27%	10.35%	9.89%	9.48%


रिटायरमेंट

तालिका संख्या : 62 साल के मुकाबले साल

संख्या	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
शुरुआती	2362	2225	2073	1917
आखिर में	2225	2073	1917	1776
औसत	2294	2149	1995	1847

उपरोक्त के आधार पर एफआरएसआर संरचना के तहत कर्मचारियों का अपेक्षित वेतन (रिटायरमेंट के बाद) इस प्रकार बैठता है।

विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
विव 10-11 के लिए वास्तविक वेतन	146.12	153.62	158.84	162.03
विव 10-11 में औसत कर्मचारी	2,428	2,294	2,149	1,995
विव 11-12 में औसत कर्मचारी	2,294	2,149	1,995	1,847
रिटायरमेंट के बाद वेतन	138.06	143.94	147.46	149.97
वृद्धि का प्रभाव	15.56	14.90	14.58	14.21
वृद्धि के बाद	153.62	158.84	162.03	164.19



बी) गैर एफआरएसआर संरचना के तहत कवर्ड कर्मचारियों का वेतन

वार्षिक इंक्रीमेंट

माननीय आयोग ने अपने मौजूदा एमवाईटी नियमन के तहत वेतन में वृद्धि के लिए जो फार्मूला अपनाया गया है वह बेहद अपर्याप्त है क्योंकि यह कारोबार की वास्तविकता तथा बाजार में मौजूद चालू स्थितियों के अनुकूल नहीं है

ए) माननीय आयोग ने कर्मचारी की तनखाह में वृद्धि निर्धारित की है और यह सीपीआई / डब्ल्यूपीआई में 5 साल की औसत वृद्धि पर आधारित है जिससे मुद्रास्फीति में मौजूदा वृद्धि का सही ढंग से पता नहीं चलता है। मुद्रास्फीति वह दर है जिससे सामान और सेवा की कीमत आमतौर पर बढ़ रही है और इसके परिणामस्वरूप लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है। मुमकिन है पांच साल का औसत मुद्रास्फीति की मौजूदा दर बताने के लिए सही न हो क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति लगातार ज्यादा रही है। एफआरएसआर संरचना वाले कर्मचारी और सरकारी सेवक महंगाई भत्ते की एक व्यवस्था से कवर्ड हैं पर दूसरों, खासकर सीटीसी संरचना वाले कर्मचारियों के मामले में इसकी भरपाई इंक्रीमेंट के हिस्से के रूप में की जाती है।


बी) मुद्रास्फीति की मौजूदा दर ही गतिशील और उदार अर्थव्यवस्था की दशा का अकेले और सही पता बताती है क्योंकि यह इस तरह के सूचकांक की गणना के आधार के रूप में आवश्यकताओं के कतिपय बुनियादी आयटमों को ही कवर करती है और कर्मचारियों / आम लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि को न तो मान्यता देती है और न उसका प्रावधान करती है। इसके अलावा, छठे वेतन आयोग में दी गई वृद्धि, कैरियर में विकास के कारण कर्मचारियों पर खर्च बढ़ने निजी और सामाजिक जिम्मेदारियों तथा दायित्व बढ़ने जैसे घटकों का खयाल नहीं रखा गया है।

सी) इंक्रीमेंट की आवश्यकता न सिर्फ मुद्रास्फीति के प्रभाव को कवर करने के लिए होती है बल्कि कर्मचारी को प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए भी कुछ वृद्धि होती है। अगर सिर्फ मुद्रास्फीति वाले फैक्टर को कवर किया जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारी की वास्तविक तनखाह स्थिर रहेगी। इसके अलावा, प्रमोशन (तरक्की) के मामले में भी वेतन में कुछ वृद्धि की आवश्यकता होती है।

डी) टीपीडीडीएल ने एटीएंडसी हानि को कम करके 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 14 प्रतिशत से नीचे कर दिया है और यह ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि इसमें आगे कमी करना या इस पर बने रहना मुश्किल है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाएं भी हैं तथा डिसकॉम को सख्त प्रदर्शन मानकों के तहत काम करना होता है।

इसके अलावा, यह भी तथ्य है कि जिस तरह बिजली खरीदने की लागत नियंत्रण योग्य न होने के कारण इसकी कीमत बढ़ती जा रही है इससे इस बात की आशंका है कि बिजली की चोरी के मामलों में वृद्धि हो जाए और इसपर नियंत्रण के लिए उस स्तर पर चौकस प्रयास की आवश्यकता होगी और ऐसा एटीएंडडी हानि के स्तर को बनाए रखने तथा तय लक्ष्य के अनुसार इसमें आगे और कमी लाने के लिए भी जरूरी होगा।

इन चुनौतियों का मुकाबला करना सभी संभव है जब टीपीडीडीएल के पास कुशल और प्रतिभाशाली मानवशक्ति उपलब्ध हो। ऐसी कुशल और प्रतिभाशाली मानवशक्ति को लाना तभी संभव होगा जब वेतन का स्तर बाजार में आमतौर पर मौजूद स्तर से ज्यादा हो।



ई) रिटायरमेंट और इस्तीफे से खाली होने वाली जगहों को भरने के लिए जो लोग मिलते हैं वे छोड़ने या रिटायर होने वाले की आखिरी सैलरी के मुकाबले 20-30 प्रतिशत ज्यादा तनखावा पर मिलते हैं।

एफ) प्रस्तावित फार्मूला में उपभोक्ता आधार / हैंडल की जाने वाली यूनिट में वृद्धि आदि के कारण आवश्यक वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।

जी) बिजली क्षेत्र एक सुविज्ञ / तकनीकी क्षेत्र है। इसके लिए कार्यकुशल और प्रशिक्षित मानवशक्ति आमतौर पर बाजार में वैसे उपलब्ध नहीं होती है जैसे दूसरे कारोबारों के लिए बाजार में उपलब्ध होती है। इसलिए, अपने ही क्षेत्र / उद्योग से लोगों को लेना पड़ता है और इसमें ज्यादा पैसे लगते हैं।

एच) माननीय आयोग ने अपने एमवाईटी रेगुलेशन में वेतन में निर्धारित वृद्धि की अनुमति दी है यह सीपीआई / डब्ल्यूपीआई के 5 साल के औसत पर आधारित है। लेकिन कार्यकुशलता फैक्टर के कारण इसमें एक कटौती भी लागू है। एफिसियंसी फैक्टर के तहत कटौती के बाद वेतन में वास्तविक प्रभावी वृद्धि पूरी तरह अपर्याप्त रहती है यहां तक कि एफआरएसआर संरचना वाले कर्मचारियों को वेतन में आवश्यक वृद्धि देने के लिए भी। गैर एफआरएसआर कर्मचारियों के लिए तो जो बचता है वह शून्य है। माननीय आयोग कह सकता है कि ग्रॉस स्तर पर वास्तविक वृद्धि करीब 10 प्रतिशत प्रति वर्ष (छठे वेतन आयोग के ऊपर और अलग से) की रही है और एफआरएसआर संरचना वाले कर्मचारी के मामले में यह साल के मुकाबले साल रही है। ऐसी स्थिति में सीपीआई / डब्ल्यूपीआई के पांच साल के औसत के आधार पर वेतन में वृद्धि और वह भी एफिसियंसी फैक्टर के आधार पर आगे कटौती के बाद, अपर्याप्त होगा और मुश्किल वास्तविकताओं आवश्यकताओं से वंचित होगा और इस मामूली वृद्धि से कोई कार्यकुशल मानव शक्ति उपलब्ध नहीं होगी जिसे एक ऐसे नियंत्रित कारोबार में तैनात किया जा सके जहां एटीएंडसी हानि में कटौती और कष्ट प्रदर्शन मानकों का नियमित रूप से पालन किया जाना होत है।


जैसा कि ऊपर कहा गया है, टीपीडीडीएल ने पहले ही एटीएंडसी हानि के स्तर को पहले ही काफी कम कर दिया है और 31.03.11 की स्थिति के अनुसार यह 14 प्रतिशत से कम है। यह ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि इसे और कम करना तथा इसी स्तर पर बने रहने के लिए टीपीडीडीएल के पास कुशल और प्रतिभाशाली मानवशक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, और इस बात का खयाल रखते हुए कि सुविज्ञ मानवशक्ति मौजूदा वेतन के मुकाबले 20-30 प्रतिशत ज्यादा वेतन पर उपलब्ध है, विद्युत क्षेत्र के लिए आवश्यक, सुविज्ञ मानव शक्ति औसतन साल के मुकाबले साल के हिसाब से 5 प्रतिशत की वृद्धि पर उपलब्ध है। और यह मुद्रास्फीति से ज्यादा होना चाहिए।

कैरियर में विकास / तरक्की

किसी भी संस्थान में कर्मचारियों का विकास आवश्यक है क्योंकि इसका सीधा संबंध कर्मचार के बढ़ते ज्ञान और अनुभव से होता है। किसी भी संस्थान में समय गुजरने के साथ-साथ किसी कर्मचारी का ज्ञान और अनुभव जब बढ़ता जाता है तो इसके साथ उसकी प्रतिबद्धता बढ़ती है और उसके निजी सामाजिक जीवन में भी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और इसकी पूर्ति के लिए जरूरी है कि कर्मचारी के कैरियर में प्रगति हो, तरक्की मिले।

कैरियर में उपरोक्त प्रगति के साथ किसी भी संस्थान में उत्तराधिकार से संबंधित योजना बनाना भी जरूरी है।

प्रवेश स्तर पर या निचले स्तर पर तरक्की मध्यम या उच्च स्तर के कर्मचारियों की तुलना में अपेक्षाकृत तेजी से मिलती है क्योंकि निचले स्तर पर बाजार में ढेरों संभावनाएं हैं। ऐसे में युवा पेशेवरों



की अपेक्षाएं आमतौर पर ज्यादा होती हैं और कैरियर में प्रगति न हो तो उन्हें नौकरी बदलने से रोकना मुश्किल होता है। कर्मचारियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए हरेक संस्थान को खर्च करना पड़ता है और यह नियुक्ति के खर्चों, काम काजी और गैर काम काजी प्रशिक्षण आदि के मद में होता है।

टीपीडीडीएल में औसतन प्रत्येक कर्मचारी को हर तीन साल में एक तरक्की मिलती है। इसलिए, वेतन खर्च मद में 2 प्रतिशत का प्रावधान कैरियर में प्रगति, तरक्की आदि के लिए किया गया है।


वेतन में सामान्य सुधार

विव 12 के दौरान टीपीडीडीएल ने गैर एफआरएसआर संरचना वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित कारणों से वेतन में करीब 12 से 13 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दी है

1. जूनियर स्तर पर टीपीडीडीएल छोड़ने वाले तकनीशियन के मामले में पावरग्रिड जैसे पीएसयू ज्यादा सीटीसी की पेशकश कर रहे थे। टीपीडीडीएल तकनीशियन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में 1.0 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। कंफर्म होने के बाद 1.20 लाख रुपए प्रति वर्ष सीटीसी होती है। जबकि पावरग्रिड आईटीआई धारकों को 3.46 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेशकश कर रहा था। इसके अलावा, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पीएसयू में मिलने वाले कई अन्य लाभ भी मिलते। पावरग्रिड और टीपीडीडीएलद्वारा दिए जाने वाले वेतन की विस्तृत तुलना नीचे जी दा रही है। इससे साफ पता चलता है कि निचले स्तर पर वेतन में कितना बड़ा अंतर है। इस भारी अंतर के कारण टीपीडीडीएल सही प्रतिभाओं को आकर्षित नहीं कर पाया और जिन लोगों ने ज्वायन कर लिया था उन्हें भी अपने साथ नहीं रख पाया।



कंपनी	आईटीआई पास	डिपलोमा धारक	टिप्पणी
टीपीडीडीएल	1.0 लाख प्रति वर्ष	1.5 लाख प्रति वर्ष	
पावरग्रिड	3.46 लाख प्रति वर्ष	5.00 लाख प्रति वर्ष	मेडिकल - 100% वास्तविक खर्च के हिसाब से + पेंशन लाभ
एनटीपीसी	3.80 लाख प्रति वर्ष	6.10 लाख प्रति वर्ष	रिटायरमेंट के फायदे अलग से (अनुलग्नक 10 देखें)


2. न्यूनतम वेतन कानून 1948 के तहत भारी वृद्धि हुई थी नतीजतन कनिष्ठतम स्तर पर ज्यादा वेतन हो गया था। नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि स्नातकों के मामले में 80.39 प्रतिशत और अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों के संबंध में क्रम से 72.32 प्रतिशत और 78.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। न्यूनतम वेतन कानून में इस वृद्धि से कनिष्ठ स्तर पर वेतन बढ़ाना मजबूरी हो गई थी और इसका असर आगे तक दिया जाना जरूरी था।




"न्यूनतम वेतन कानून, 1948" के तहत 2009 से संशोधन						
न्यूनतम दर ... से प्रभावी	अकुशल	अर्धकुशल	कुशल	क्लर्की और गैर तकनीकी तथा निगरानी कर्मचारी		
				गैर मैट्रिक	मैट्रिक पास	स्नातक
1-2-2009 से वीडिए के साथ	3934	4100	4358	4127	4382	4694
1-8-2009 से वीडिए के साथ	3953	4119	4377	4146	4401	4713
% वृद्धि	0.48%	0.46%	0.44%	0.46%	0.43%	0.40%
1-2-2010 से वीडिए के साथ	5278	5850	6448	5850	6448	7020
% वृद्धि	33.52%	42.02%	47.32%	41.10%	46.51%	48.95%
1-2-2011 से वीडिए के साथ	6084	6734	7410	6734	7410	8060
% वृद्धि	15.27%	15.11%	14.92%	15.11%	14.92%	14.81%
1-4-2011 से वीडिए के साथ	6422	7098	7826	7098	7826	8502
01 अगस्त '09 से 01 अप्रैल 2011 तक कुल वृद्धि	62.46%	72.32%	78.80%	71.20%	77.82%	80.39%

3. हाल की तिमाहियों में मुद्रास्फीति और महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहा है। नीचे दिए गए ग्राफ से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान डीए और सीपीआई में यह वृद्धि कैसी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि दिल्ली जैसे शहरों में रहने का खर्च बढ़ गया है और कर्मचारियों की यह चिन्ता उनके साथ हुई हाल की ज्यादातर चर्चा में सामने आई है। इन चिन्ताओं के कारण एट्रिशन की दर 10 प्रतिशत रही है।






4. उर्जा उद्योग में पावर लिंक ट्रांसमिशन और टाटा पावर ने टाटा समूह की अन्य कंपनियों के साथ बाजार के मौजूदा झुकावों के मद्देनजर वेतन में संशोधन किया था। पावरलिंक ट्रांसमिशन ने 01 जनवरी 2011 से प्रभावी 20-25 प्रतिशत की वृद्धि दी थी जबकि टाटा पावर ने 01 अक्टूबर 2010 से प्रभावी 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि दी थी। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की ओर से दबाव था कि टाटा पावर और टीपीडीडीएल में एकरूपता बनाए रखने के लिए टीपीडीडीएल में वेतन संशोधन पर विचार किया जाए।
5. कर्मचारियों को नए संस्थान में जो प्रतिशत वृद्धि मिली उस संदर्भ में एट्रिशन एनालिसिस (विश्लेषण) से भी पता चलता है कि वेतनमान में भारी अंतर है और इसलिए वेतनमान में सुधार पर विचार किया जाना जरूरी है। इससे टीपीडीडीएल वेतन में कुछ न्यूनतम सामान्य वृद्धि करने के लिए मजबूर हुआ।



6. टीपीडीडीएल में अभी भी 60 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी एफआरएसआर संरचना में हैं। जो सरकारी नियमों से संचालित होते हैं। इन सभी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने से लाभ हुआ है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद वेतन आयोग से संबद्ध लाभ से भी इन्हें फायदा मिला है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने बाद कंपनी पर भारी दबाव रहा है कि एक न्यूनतम सामान्य वृद्धि दी जाए ताकि कर्मचारियों में समानता आए और उनका नैतिक बल बढ़ा रहे क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि टीपीडीडीएल को यह लक्ष्य दिया गया था कि एटीएंडसी हानि को 13 प्रतिशत किया जाए। कर्मचारियों का नैतिक बल अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो इस तरह का मुश्किल लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है।
7. टीपीडीडीएल को नई प्रतिभाएं तलाशने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उद्योग ने बढ़े हुए वेतनमान की पेशकश कर रहा था। टीपीडीडीएल इंजीनियर प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में 2.75 लाख प्रति वर्ष पर नियुक्त करता है जबकि अन्य पावर कंपनियां 4.10 लाख की पेशकश करती हैं। इसी तरह, टीपीडीडीएल में मैनेजमेंट ट्रेनी को 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं जबकि दूसरी पावर कंपनियां 4.5 लाख की पेशकश कर रही हैं। नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि प्रवेश स्तर पर टीपीडीडीएल जो वेतन देता है और दूसरी पावर कंपनियां जो पेशकश करती हैं उनमें कितना अंतर है।

Challenges in Attracting Talent

Entry Level Batch	NDPL	others
Management Trainee	3.50 Lacs	4.50 Lacs
Engineer Trainee	2.75 Lacs	4.10 Lacs (Rs.4.5 Lacs for IIT)
Diploma Trainee	2.0 Lacs	3.25 Lacs




8. टीपीडीडीएल छोड़ने के कारणों का विव 2009-10 और विव 2010-11 के एट्रिशन विश्लेषण करने से पता चलता है कि मुख्य कारण दूसरी जगहों की तुलना में कम पैसे हैं और न्यूनतम स्तर पर इसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि अच्छे कर्मचारियों को संस्थान में बनाए रखा जा सके। विव 2009-10 और विव 2010-11 के दौरान करीब 75 प्रतिशत कर्मचारियों ने बाजार की तुलना में कम पैसों के कारण संस्थान को छोड़ दिया।
9. सामान्य वृद्धि के बाद एट्रिशन डाटा का आगे विश्लेषण करने पर साफ पता चला कि सामान्य वृद्धि जरूरी थी ताकि संस्थान छोड़कर जाने वालों की संख्या कम की जा सके। वेतन में सामान्य वृद्धि के बाद एट्रिशन में भारी कमी हुई है। इसका पता नीचे दी गई तालिका से चलता है।

कैलेंडर वर्ष के मुताबिक अलग होने की तुलना 2010-2011

अवधि	2010	2011
पहली तिमाही (जनवरी - मार्च)	17	25
दूसरी तिमाही (अप्रैल - जून)	44	35
तीसरी तिमाही (जुलाई - सितंबर)	44	26
चौथी तिमाही (अक्टूबर - दिसंबर)	28	15
कुल योग	133	101

10. नीचे दिए गए विश्लेषण से संकेत मिलता है कि वेतन का स्तर बाजार की टक्कर का नहीं था और 25-30 साल या 30 से 40 साल के बीच के ज्यादातर कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं।

अलग हुए कर्मचारियों की आयु की तुलना		
आयु	2010	2011
25 से कम	30	21
25-30	59	35
30-40	35	34
40 से ज्यादा	9	12
	133	102



उपरोक्त वाजिब कारणों के मद्देनजर माननीय आयोग से आग्रह है कि विव 11-12 में टीपीडीडीएल ने 12 प्रतिशत की जो सामान्य वृद्धि दी है उसपर विचार किया जाए और एमवाईटी अवधि के लिए उसे वेतन का हिस्सा माना जाए।

नियुक्ति

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है एफआरएसआर संरचना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट की अपनी आयु पर रिटायर होते जा रहे हैं और उनकी जगह नई संरचना के तहत कर्मचारी रखे जा रहे हैं।

कर्मचारियों की नियुक्ति दो पहलुओं का खयाल रखने के लिए की जाती है

1. एफआरएसआर संरचना के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की जगह नियुक्ति
2. उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि का खयाल रखने और उच्च स्तर की उपभोक्ता सेवा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति।

टीपीडीडीएल क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 10-11 तक यह 6 साल में सीएजीआर आधार पर 7.50 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। अनुमान है कि नए उपभोक्ताओं का खयाल रखने के लिए नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होती है और यह उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि अगर 8 प्रतिशत है तो नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी 8 प्रतिशत होगी। हालांकि टीपीडीडीएल का प्रस्ताव नए उपभोक्ताओं के कारण आवश्यक वृद्धि के 80 प्रतिशत नियुक्ति से ही कार्यकुशलता लाने की है।


नीचे दी गई तालिका से वित्त वर्ष 11-12 के अंत में और आगे अनुमानित मानवशक्ति आवश्यकता का पता चलता है

तालिका संख्या : 63 कर्मचारियों में वृद्धि की आवश्यकता

विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
उपभोक्ताओं में % वृद्धि	5.00%	7.50%	7.50%	7.50%
प्रस्तावित कार्यकुशलता	20%	20%	20%	20%
कार्यकुशलता के बाद उपभोक्ताओं की संख्या में % वृद्धि	4%	6%	6%	6%

तालिका संख्या : 64 साल के मुकाबले साल गिनती

विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
शुरुआती संख्या				
एफआरएसआर संरचना	2,362	2,225	2,073	1,917
नई संरचना	1,933	2,242	2,662	3,102




विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
कुल कर्मचारी	4,295	4,467	4,735	5,019
कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि (तालिका 63 का संदर्भ लें)	172	268	284	301
प्रत्येक साल के अंत में कुल कर्मचारी	4,467	4,735	5,019	5,320
आखिरी संख्या				
एफआरएसआर संरचना	2,225	2,073	1,917	1,776
नई संरचना	2,242	2,662	3,102	3,544
कुल	4,467	4,735	5,019	5,320
औसत संख्या				
एफआरएसआर संरचना	2,294	2,149	1,995	1,847
नई संरचना	2,087	2,452	2,882	3,323
कुल	4,381	4,601	4,877	5,169
औसत वृद्धि /कमी				
एफआरएसआर संरचना	-5.80%	-6.83%	-7.53%	-7.36%
नई संरचना	15.98%	18.74%	16.53%	14.25%

उपरोक्त के आधार पर कर्मचारियों के लिए वेतन गैर एफआरएसआर संरचना को छोड़कर (आउटसोर्स समेत) इस प्रकार बैठता है

तालिका संख्या : 65 इंक्रीमेंट /इंप्लेशन का प्रभाव

विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
मुद्रास्फीति में वृद्धि	8.92%	9.76%	9.80%	9.39%
इंक्रीमेंट का प्रभाव	15.00%	5.00%	5.00%	5.00%
प्रमोशन का प्रभाव	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
कुल प्रभाव	25.92%	16.76%	16.80%	16.39%



तालिका संख्या : 66 गैर एफआरएसआर संरचना कर्मचारियों का वेतन

विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
विव 10-11 के लिए वास्तविक वेतन	120.63	164.92	212.29	274.06
विव 10-11 में औसत कर्मचारी	1,879	2,055	2,341	2,675
विव 11-12 में औसत कर्मचारी	2,055	2,341	2,675	3,010
नियुक्ति के बाद वेतन	131.93	187.87	242.53	308.39
इन्क्रिमेंट / इन्फ्लेशन (%)	25.92%	16.76%	16.80%	16.39%
इन्क्रिमेंट / इन्फ्लेशन का प्रभाव	34.74	33.22	45.70	60.04
इन्क्रिमेंट के बाद	168.75	231.43	317.72	426.39

उपरोक्त निवेदन के आधार पर विव 11-12 और आगे के लिए वेतन मद में खर्च (वीएसएस कर्मचारियों को छोड़कर) का सारांश निम्नलिखित है :

करोड़ रुपए


विवरण	विव 11-12	विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15
कर्मचारी लागत	322.37	390.27	479.75	590.58

इसके अलावा, विव 12-13 से विव 14-15 के लिए इस्टैबलिशमेंट व्यय की अनुमति देते हुए माननीय आयोग को चाहिए कि वैधानिक वृद्धि का खयाल रखने के लिए प्रावधान करे क्योंकि ये कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।

वीएसएस का चुनाव करने वालों के प्रति रिटायरमेंट पर देय और बचत के संबंध में जिम्मेदारी जो वीएसएस के कारण देय हो रहा है।

टीपीडीडीएल ने दिसंबर 2003 में एक स्वैच्छिक अलगाव योजना (वॉलंट्री सेपरेशन स्कीम) की शुरुआत की थी। इसे जनवरी-फरवरी 2004 में लागू किया गया था। 1798 कर्मचारियों ने इस योजना के विकल्प का चुनाव किया।

टीपीडीडीएल ने गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत 95 करोड़ रुपए चुकाए हैं जिसकी अनुमति एआरआर में थी। एसवीआरएस के विकल्प का चुनाव करने वालों को पेंशन और टर्मिनल बेनीफिट देने की जिम्मेदारी को लेकर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, पेंशन ट्रस्ट और टीपीडीडीएल के बीच एक विवाद छिड़ गया। टीपीडीडीएल और एसवीआरएस लेने वाले माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में गए और रिट



याचिकाएं दायर कीं। माननीय हाईकोर्ट ने रिट याचिका संख्या 4827/2005 में 2 जुलाई 2007 अपने विस्तृत निर्णय में आगे बढ़ने के लिए दो विकल्पों में से किसी एक के चुनाव का सुझाव दिया। विकल्प निम्नलिखित हैं

(i) आईपीजीसीएल मॉडल (जैसा आईपीजीसीएल ने अपनाया)

एसवीआरएस के विकल्प का चुनाव करने वालों को टीपीडीडीएल पूरा टर्मिनल लाभ दे और यह ऐसे लोगों के सामान्य रिटायरमेंट / मृत्यु तक होगा। डिसकॉम को इस राशि का पुनर्भुगतान पेंशन ट्रस्ट (ईटीबीएफ -2002) बगैर किसी ब्याज के करेगा।

सामान्य रिटायरमेंट की तारीख तक बाकी बची पेंशन राशि का भुगतान डिसकॉम करेगा और इसके बाद पेंशन ट्रस्ट (ईटीबीएफ -2002) पेंशन के भुगतान का काम अपने हाथ में ले लेगा।

(ii) ऐक्टुएरियल मॉडल

टर्मिनल बेनीफिट का भुगतान पेंशन ट्रस्ट करे बशर्ते डिसकॉम इसमें सक्षम हो कि ट्रेसट पर अतिरिक्त भार पड़े।

प्रीमैच्योर पेआउट मद में ट्रस्ट द्वारा डिसकॉम से आवश्यक अतिरिक्त योगदान की गणना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करेगा जिसमें ऐक्चुअरीज रहेंगे।

ट्रिब्यूनल अपने अवार्ड का प्रकाशन गठन के छह महीने के अंदर कर देगा।

टीपीडीडीएल, बीएसईएस, पेंशन ट्रस्ट (ईटीबीएफ-2002) ने माननीय हाईकोर्ट द्वारा पेश दो विकल्पों के परीक्षण के बाद आदेश में कुछ स्पष्टीकरण मांगे जो माननीय हाईकोर्ट ने अपने 08.10.2007 के आदेश संख्या सीएम 11099 और 10963 / 2007 के जरिए दिए। टीपीडीडीएल ने 02.07.2007 से दूसरे विकल्प का चुनाव करने की पुष्टि की और तदनुसार अन्य पक्षों को इसकी सूचना दे दी। टीपीडीडीएल के ऐक्टुएरियल नामांकित की भी पुष्टि की गई और संबंधित पक्षों को इसकी सूचना दी गई। हालांकि, पेंशन ट्रस्ट की नियुक्ति और जीएनसीटीडी के ऐक्टुएरियल नामांकित की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई जिससे इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मध्यस्थता करने वाले पंचाट के लिए आवश्यक कोरम पूरा हो सके। टीपीडीडीएल ने जीएनसीटीडी और पेंशन ट्रस्ट के साथ बार-बार फॉलो अप किया ताकि मध्यस्थता करने वाले पंचाट में वे अपने नामांकित की नियुक्ति कर दें। पर जीएनसीटीडी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार बीआरपीएल द्वारा माननीय आयोग के दिनांक 23.02.2008 के एमवाईटी आदेश के खिलाफ माननीय अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रीसिटी में दाखिल अपील (36 / 2008) में जीएनसीटीडी ने स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की कि मध्यस्थता करने वाले पंचाट में किसी नामांकित की नियुक्ति की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। टीपीडीडीएल ने माननीय हाईकोर्ट में एक आवेदन 15596 / 2009 के जरिए पेश कर स्पष्टीकरण और निर्देश मांगा है ताकि जीएनसीटीडी, पेंशन ट्रस्ट को आदेश दिया जाए कि वे मध्यस्थता पंचाट में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें या फिर विकल्प के रूप में माननीय हाईकोर्ट किसी व्यक्ति को मध्यस्थता पंचाट में नियुक्त करने की कार्यवाही करे। इसके जवाब में पेंशन ट्रस्ट ने एतराज किया है और कहा है कि यह स्पष्टीकरण आवेदन विचार करने योग्य नहीं है। उपरोक्त आवेदन माननीय हाईकोर्ट के समक्ष निर्देश के लिए निपटान हेतु लंबित है। कथित आवेदन के लंबित रहते हुए मौजूदा याचिका को विकल्प 1 पर आधारित करके तैयार किया गया है। यानी सामान्य रिटायरमेंट की तारीख तक पेंशन का भुगतान टीपीडीडीएल करेगी यानी विव 12-13 के लिए 5.20 करोड़ रुपए, 13-14 के लिए 4.01 करोड़ और विव 14-15 के लिए 3.14 करोड़ रुपए (क्योंकि



हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका पर कार्यवाही में पास अंतरिम आदेश के अनुपालन में 80 करोड़ रुपए के टर्मिनल बेनीफिट का भुगतान टीपीडीडीएल ने स्वेच्छा से किया था) जो अन्य टर्मिनल लाभ के साथ इस विकल्प का चुनाव करने वालों को दिए जाएंगे, पेंशन ट्रस्ट द्वारा बगैर किसी ब्याज के वीएसएस विकल्प का चुनाव करने वाले के रिटायरमेंट की आयु आने या मृत्यु की दशा में वापस कर दिए जाएंगे।

वेतन लागत का पूंजीकरण

परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों के वेतन लागत का योजना खर्च के साथ पूंजीकरण किया जा रहा है। इस समय माननीय आयोग के 26 जून 2003 के आदेश के आधार पर संपूर्ण वेतन लागत में से 10 का परियोजना के प्रति पूंजीकरण कर दिया गया है। मौजूदा समय में कथित अनुपात भले ही काफी बदल गया है और इसके लिए टीपीडीडीएल एक अध्ययन करा रहा है। अध्ययन पूरा होने तक माननीय आयोग से आग्रह है कि कर्मचारी लागत के 10 प्रतिशत को पूंजीकरण माना जाए और अध्ययन के नतीजे आधार पर इसे ठीक किया जा सकता है।

फॉर्म एफ 7 के लिए स्पष्टीकरण - प्रशासनिक और सामान्य व्यय

वितरण शुल्क दर नियमन में यह प्रावधान है कि एएंडजी व्यय की अनुमति इस प्रकार दी जाएगी

$$A\&G_n = A\&G_{n-1} * INDEX$$


जहां $INDEX = 0.55 * \text{सीपीआई} + 0.45 * \text{डब्ल्यूपीआई}$

इंडेक्स का मूल्य उपरोक्त तरीके पर आधारित रहेगा जिसे माननीय आयोग ने अपनाया है और यह अन्य घटकों को संबोधित नहीं करता है जो टीपीडीडीएल के नियंत्रण में नहीं हैं। जो घटक नियंत्रण योग्य नहीं हैं उनके कुछ उदाहरणों में वैधानिक प्रभाव हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, मुद्रास्फीति।

प्रस्तावित फार्मूला में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि या फिर हैंडल की जाने वाली यूनिटों की संख्या बढ़ने से आवश्यक होने वाली किसी वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अलावा, माननीय आयोग ने पिछले एमवाईटी नियमन के अनुसार एनवां वर्ष के लिए इंडीसेज का मूल्य हासिल करते वक्त एक अवधि को औसत इंडेक्सेशन के लिए लिया था। इसे स्थिर माना गया था न कि रॉलिंग आधार पर। एन की व्याख्या आवश्यक है। नियमन 5.4 (ए) में एन कंट्रोल अवधि के पहले साल का प्रतिनिधित्व करता है यानी वित्त वर्ष 12-13 और एन-1 का मतलब है एन वर्ष से पहले वाला साल यानी वित्त वर्ष 2011-12। वर्ष एन के लिए इंडेक्सेशन यानी वित्त वर्ष 2012-13 (नियंत्रण अवधि का पहला साल) नियंत्रण अवधि के भविष्य के वर्षों के लिए निश्चित नहीं है और हरेक वर्ष में बदलेगा। वित्त वर्ष 2013-14 में एन का मतलब वित्त वर्ष 13-14 होगा और एन-1 2012-13 होगा न कि वित्त वर्ष 2011-12। यह दोहराया जा रहा है कि एन का मतलब नियंत्रण अवधि का संबंधित वर्ष है न कि पूरी नियंत्रण अवधि। इसका मतलब यह है कि जिन खर्चों की गणना की जाएगी वह संबंधित वर्ष के लिए ही होगा न कि बाद के वर्षों के लिए। यानी एन स्थिर नहीं है।

हमारे विचार से, इसे रॉलिंग आधार पर किए जाने की आवश्यकता है न कि स्टैटिक आधार पर क्योंकि वास्तविक आंकड़ों की अनुपस्थिति में फार्मूला के आधार पर वृद्धि को वास्तविक मुद्रास्फीति के करीब होने देने का पूरा मकसद यही है। यह प्रस्तावित रुख राष्ट्रीय शुल्कदर नीति के भी क्रम में है।



उपरोक्त के आधार पर एंडजी व्यय इस प्रकार होगा

उपरोक्त के मद्देनजर प्रत्येक फैक्टर के प्रभाव की गणना इस प्रकार की जाएगी

वित्त वर्ष 11-12 में वास्तविक एंडजी व्यय का अनुमान

आधार वर्ष यानी विव 11-12 के लिए खर्च का अनुमान विव 10-11 के वास्तविक व्यय पर आधारित है। विव 10-11 के दौरान टीपी डीडील ने 47.243 करोड़ रुपए एंडजी व्यय के रुप में उठाए हैं। इसे वैधानिक वृद्धि जैसे न्यूनतम मजदूरी और उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि आदि के लिए समायोजित कर दिया गया है ताकि विव 11-12 के लिए अनुमानित व्यय हासिल किया जा सके।

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का प्रभाव

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होती है हालांकि यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होता है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से खर्च में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा, एंडजी व्यय में से कुछ जैसे बिल वितरण आदि का खर्च उपभोक्ताओं की संख्या के सीधे अनुपात में बढ़ जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में 01.02.2011 से प्रभावी 15 प्रतिशत की, 01.04.2011 से प्रभावी 6 प्रतिशत की और 01.10.2011 से प्रभावी 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसका एंडजी व्यय पर सीधा असर होता है। इनमें मानव शक्ति जैसे वितरण, नकद लेने का खर्च आदि लगता है।

विव 10-11 में कुल 47.23 करोड़ रुपए के खर्च हुए थे। इसमें से 11.48 करोड़ रुपए भिन्न गतिविधियों पर खर्च हुए। इनमें कैश और बिल कलेक्शन, बिल वितरण आदि शामिल हैं। इसके लिए मानव शक्ति लगती है और न्यूनतम वेतन में वृद्धि का इसपर सीधा असर होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य खर्च भी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि से सीधे प्रभावित होते हैं क्योंकि प्रत्येक उद्योग मानवशक्ति तैनात करता है जिससे इनपुट / सेवा की लागत बढ़ जाती है।

तालिका संख्या : 67 न्यूनतम वेतन में वृद्धि का असर

क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	
ए	खर्च जिनपर मजदूरी बढ़ने का सीधा असर होता है	करोड़ रुपए	11.48
बी	मजदूरी में वृद्धि (15%+6%+2%)	%	23%
सी	वृद्धि के बाद कुल (ए*(1+सी))	करोड़ रुपए	14.12
डी	साल का असर = सी-ए	करोड़ रुपए	2.64

मुद्रास्फीति का प्रभाव

वित्त वर्ष 10-11 में हुए 47.23 करोड़ रुपए के कुल खर्च में 35.75 करोड़ रुपए का सीधा संबंध मुद्रास्फीति में वृद्धि से है।



तालिका संख्या : 68 मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन


क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	करोड़ रुपए	टिप्पणी
ए	वित्त वर्ष 10-11 का वास्तविक व्यय	करोड़ रुपए	35.75	
बी	वित्त वर्ष 11-12 के लिए मुद्रास्फीति	%	9.16	तालिका देखें
सी	मुद्रास्फीति के प्रभाव के बाद व्यय = सी*(1+बी)	करोड़ रुपए	39.03	
डी	वित्त वर्ष 10-11 में मुद्रास्फीति का प्रभाव = (सी-ए)	करोड़ रुपए	3.28	

उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने का असर

उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने /घटने का सीधा असर एण्डजी खर्चों पर पड़ता है और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने घटने के साथ इसे बढ़ाने /घटाने की आवश्यकता होती है। विव 11-12 में उपभोक्ताओं की संख्या @ 5 % प्रति वर्ष बढ़ने की उम्मीद है। वैसे तो उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के अनुसार एजीएंडजी खर्चों में वृद्धि होगी पर कार्यकुशलता के मद्देनजर खर्चों में 100 प्रतिशत की बजाय 75 प्रतिशत की ही वृद्धि होने का अनुमान है।

तालिका संख्या : 69 उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने का प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	
ए	खर्चें जनपर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने का सीधा असर होता है	करोड़ रुपए	47.23
बी	विव 11-12 में उपभोक्ताओं में वृद्धि (5% *.75)	%	3.75
सी	उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के बाद	करोड़ रुपए	49.00



क्रम संख्या	विवरण	यूओएम	
	कुल व्यय (ए*(1+सी))		
डी	वित्त वर्ष 10-11 का प्रभाव = सी-ए	करोड़ रुपए	1.77

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर विव 11-12 में होने वाले एजीएंडजी व्यय इस प्रकार हैं :

विवरण	राशि (करोड़ रुपए)
विव 10-11 का वास्तविक खर्च	47.23
न्यूनतम वेतन में वृद्धि का असर	2.64
विव 11-12 में मुद्रास्फीति का असर	3.28
उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने का असर	1.77
विव 11-12 के लिए कुल	54.92

विव 12-13 से विव 14-15 के लिए खर्चों का अनुमान


उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने का प्रभाव : जैसा बिक्री की भविष्यवाणी वाले सेक्शन में कहा गया है, अनुमान है कि औसतन 7.50% की वृद्धि साल के मुकाबले साल आधार पर होगी।

मुद्रास्फीति पर विचार 5 साल के रॉलिंग आधार पर किया जाता है।

उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने और मुद्रास्फीति के प्रभाव के बाद अनुमानित व्यय इस प्रकार होगा :

तालिका संख्या : 70 एंडजी व्यय विव 12-13 से विव 14-15 के लिए

विवरण		विव 12-13	विव 13-14	विव 14-15	टिप्पणी
अनुमानित बेस व्यय	ए	54.92	63.37	73.14	
उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि	बी	7.50%	7.50%	7.50%	
उपभोक्ताओं का प्रभाव (75%)	सी=ए*बी	3.09	3.56	4.11	



विवरण		विव 12-13	विव13-14	विव 14-15	टिप्पणी
मुद्रास्फीति	डी	9.76%	9.80%	9.39%	तालिका 60 देखें
मुद्रास्फीति का प्रभाव	ई = ए*डी	5.36	6.21	6.87	
प्रभाव के बाद कुल	एफ = ए+सी+ई	63.37	73.14	84.13	

आग्रह है कि माननीय आयोग वैधानिक वृद्धि, जैसे न्यूनतम वेतन आदि में वृद्धि जो टीपीडीडीएल के नियंत्रण में नहीं हैं, प्रावधान करे। यह वास्तविक वृद्धि, अगर कोई हो के आधार पर भी किया जा सकता है।

कार्यकुशलता घटक

निवेदन है कि टीपीडीडीएल को विव 11-12 के लिए एटीएंडसी हानि का स्तर 13 प्रतिशत करने का लक्ष्य दिया गया है। आगे विव 12-13 में इसे 12.75 प्रतिशत के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव है। यह टीपीडीडीएल के लिए चुनौती होगी। एटीएंडसी हानि का जो स्तर हासिल हो गया है उसे बनाए रखना तथा आगे उसमें और कमी लाने के लिए एक धन राशि के खर्च की आवश्यकता होती है जबकि माननीय आयोग ओएंडएम व्यय की अनुमति सामान्य स्तर पर दे रहा है और आगे इसमें कार्यकुशलता घटक से कमी कर दी गई है। इससे याचिकाकर्ता के आश्वस्त आरओई पर सीधे प्रतिकूल प्रभाव होता है क्योंकि वास्तविक खर्च और ऊंची रेंज में होते हैं। वैसे तो टीपीडीडीएल ने कर्मचारियों पर होने वाले खर्च और उपभोक्ताओं का आधार बढ़ने पर एएंडजी व्यय में वृद्धि का दावा किया है पर गौर जाएगा कि यह वृद्धि उपभोक्ता आधार में वृद्धि के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। इसलिए, टीपीडीडीएल ने अपने स्तर पर ही कार्यकुशलता घटक को लागू किया है (उदाहरण के लिए जैसा तालिका 63 में दिखाया गया है) और संवत्त्रता कार्यकुशलता घटक को वैसे लागू नहीं किया है जैसे आयोग ने प्रस्ताव किया है। यह भी सीईआरसी और अन्य नियामक आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले रुख के क्रम में है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, और अपील संख्या 28/2008 जो नीचे पेश किया गया है, में माननीय एटीई की खोज के क्रम में याचिकाकर्ता ने विव 11-12 और आगे के लिए एएंडजी व्यय का निर्धारण करते समय किसी कार्यकुशलता घटक का प्रस्ताव नहीं किया है।



एमवाईटी नियमन बेशक कार्यकुशलता घटक के इस्तेमाल से ओएंडएम व्यय में कटौती मुहैया कराते हैं। हालांकि कार्यकुशलता घटक का निर्धारण आयोग को करना है और यह लाइसेंसी के फाइलिंग, बैचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा स्वीकृत कीमत तथा आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य घटक के आधार पर किया जाना है। अपने आदेश में आयोग ने विव 2009, विव 2010 और विव 2011 के लिए क्रम से एफिसियंसी इंप्रूवमेंट फैक्टर के रूप में 2, 3 और 4 निर्धारित किया है और यह किसी मानक या विश्लेषण अथवा सुधार के लिए आवश्यक कार्यकुशलता की कमी वाले किसी क्षेत्र की पहचान के बगैर मनमाने तौर पर किया गया है। इस तरह के कार्यकुशलता घटक का निर्धारण स्वाभाविक तौर पर सिर्फ उन्हीं सामग्रियों के आधार पर किया जाना चाहिए जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और वह भी भिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर न कि ऐड हॉक आधार पर, जैसा राज्य आयोग ने किया है। इसलिए, इस बिन्दु का उत्तर पूरा है और यह आवेदक के पक्ष में है। (जोर दिया गया है)

नई पहल / अतिरिक्त व्यय

निम्नलिखित खर्चों / आय पर वास्तविक आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है

क) उपभोक्ता जागरूकता / शिक्षा

भिन्न मंचों और मुलाकातों, सार्वजनिक सुनवाई में उपभोक्ताओं ने यह इच्छा व्यक्त की है और सीजीआरएफ ने भी इसकी पुष्टि की है बिजली के उपयोग और इससे जुड़े नियमों आदि के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। टीपीडीडीएल यह सब पार्श्व, होर्डिंग और वेबसाइट के जरिए करता रहा है। हालांकि यह महसूस किया गया है कि इस तरह के अभियान अगर प्रिंट मीडिया यानी अखबारों के जरिए चलाए जाएं तो बहुत प्रभावी होते हैं। लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने का उद्देश्य पूरा करने के लिए नियमित अंतराल पर उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता अभियान डिजाइन किया जा सकता है। माननीय आयोग ने पहले भी वित्त वर्ष 2007-08 के लिए अपने डू अप आदेश में इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सहमति जताई है। इसलिए, टीपीडीडीएल माननीय आयोग से यह आग्रह करता है कि इस उद्देश्य के लिए विव 12-13 से हर साल दो करोड़ रुपए के बजट पर विचार किया जाए।

बी) ऊर्जा संरक्षण और मांग पक्ष प्रबंध

उपभोक्ताओं ने भिन्न मंचों और बैठकों में यह इच्छा भी जताई है कि बिजली के कार्यकुशल उपयोग के लिए डिसकॉम को विद्युत संरक्षण और मांग पक्ष प्रबंध पर सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। माननीय आयोग ने खुद विव 2007-08 के डू अप ऑर्डर में यह निर्देश दिया है कि ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी



डिट, ऊर्जा के कार्यकुशल उपयोग और मांग पक्ष प्रबंध कार्यक्रम को दैनिक परिचालन का अभिन्न भाग बनाया जाए। दू अप ऑर्डर का संबंधित पैराग्राफ यहां दिया जा रहा है।

कमीशन चाहता है कि दिल्ली में वितरण लाइसेंसी डीएसएम पहल हाथ में लें। न सिर्फ इसलिए कि डीएसएम पहल से बिजली के उपयोग को संरक्षण देने का मौका मिलता है बल्कि इसलिए भी कि इस तरह की पहल को जब सप्लाई से एकीकृत कर दिया जाए तो वितरण लाइसेंसी को बिजली की अपनी मांग की पूर्ति के लिए सबसे कम कीमत वाला समाधान मिलता है। इसलिए, आयोग ने डिसकॉम को यह निर्देश दिया है कि डीएसएम को अपने दैनिक परिचालनों का अभिन्न भाग बनाएं और उपयुक्त डीएसएम प्रोग्राम की योजना बनाने, डिजाइन करने और लागू करने का काम नियमित आधार पर हाथ में लें। इस बात को महसूस करते हुए कि वितरण लाइसेंसी को डीएसएम प्रोग्राम से संबंधित लागत को नियंत्रित करने के लिए नियामक मंजूरी की आवश्यकता होगी, आयोग वितरण कंपनियों के एआरआर में डीएसएम से संबद्ध गतिविधियों के लिए एक निश्चित राशि की अनुमति देना चाहता है जो डीएसएम योजना बनाने, डिजाइन करने, लागू करने, निगरानी करने और मूल्यांकन के लिए होगी। वितरण लाइसेंसी द्वारा शुरू की जाने वाली डीएसएम स्कीम को उपभोक्ताओं और डिसकॉम दोनों के लिए किफायती होना चाहिए और इसे पीक लोड डिमांड को कम करने में भी सक्षम होना चाहिए - इसलिए वितरण कंपनियां अपनी डीएसएम योजनाएं मूल्यांकन के लिए आयोग को देंगी जो इसके किफायती होने, और दूसरे लाभ पैदा करने की क्षमता आदि को देखेगा। डिसकॉम ने आयोग को डीएसएम, ऊर्जा संरक्षण और बिजली की कार्यकुशलता के क्षेत्र में हुई प्रगति की सूचना भी दी है। इन लोगों ने संबंधित कंपनियों में डीएसएम प्रकोष्ठ बनाए हैं ताकि इन मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता से काम किया जा सके। आयोग ने दिल्ली सरकार से यह सिफारिश भी की है कि वह भिन्न अधिसूचनाएं जारी करके हिजली की खपत के मामले में कार्यकुशल उपकरणों जैसे सीएफएल, एलईडी, टी5 आदि के उपयोग को उपभोक्ताओं के भिन्न वर्गों के लिए आवश्यक करे। आयोग खुद को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसियेंसी, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर आदि संस्थाओं से जोड़ना चाहता है ताकि बिजली के संरक्षण और डीएसएम के संबंध में भिन्न नीतियां बनाई जा सकें।

इसलिए, माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में टीपीडीडीएल माननीय आयोग से आग्रह करता है कि इस उद्देश्य के लिए एआरआर में तीन करोड़ रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान करने पर विचार किया जाए।

सी) प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त बजट

माननीय आयोग ने अपने 11.11.2010 के पत्र के जरिए सीईए ऑन ट्रेनिंग द्वारा जारी नेशनल टैरिफ पॉलिसी लागू करने की सूचना दी है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत प्रशिक्षण की पहचान मानव संसाधन विकास के एक अभिन्न भाग के रूप में की गई है। और यह किसी भी संस्थान के प्रभावी होने



के लिए महत्वपूर्ण है। नीति में यह देखा गया है कि संस्थान तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं और इसलिए उन्हें खुद को तैयार करने की आवश्यकता है ताकि इन परिवर्तनों को अपना सकें। इसके लिए कौशल, ज्ञान के उन्नयन के साथ-साथ लोगों और समूहों के रुख और सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। वैसे तो टीपीडीडीएल अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण मुहैया कराता रहा है (कर्मचारी लागत का करीब 0.60 प्रतिशत है) पर माननीय आयोग की सलाह के अनुसार यह भिन्न स्तर पर प्रशिक्षित मानवशक्ति की कमी पूरी करने और इसे मजबूत करने के लिए है। यह स्थिति संस्थान में अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण / विकास के कारण आती है। परिचालन और मेनटेनेंस के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग और रीफ्रेशर ट्रेनिंग के साथ-साथ सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विकास, प्रबंध सूचना तकनालाजी आदि से संबंधित प्रशिक्षण के लिए माननीय आयोग के विचारार्थ एआरआर में तीन करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। माननीय आयोग ने वेतन बजट का काम से कम 1.5 प्रतिशत प्रशिक्षण के लिए आवंटित करने का सुझाव दिया है और लगातार इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत के स्तर पर ले आया जाए।


जैसा कि ऊपर बताया गया है और अपील संख्या 28/2008 में माननीय एटीई ने जैसा पाया है, के मद्देनजर याचिकाकर्ता ने विव 12-13 और आगे के लिए एएंडजी व्यय का निर्धारण करते हुए एफिसियंसी फैक्टर का प्रावधान किया है।

एमवाईटी नियमन एफिसियंसी फैक्टर लागू करके ओएंडएम व्यय में कमी के लिए प्रावधान जरूर करते हैं। हालांकि, एफिसियंसी फैक्टर का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाना है जो पूर्व में लाइसेंसी के फाइलिंग, बेंच मार्किंग, स्वीकृत लागत के आधार पर और किसी भी अन्य घटक द्वारा किया जाना है जिसे कमीशन उपयुक्त समझता है। आयोग ने अपने आदेश में एफिसियंसी इंप्रूवमेंट फैक्टर को विव 2009, विव 2010 और विव 2011 के लिए बगैर किसी बेंचमार्किंग या विश्लेषण अथवा कार्यकुशलता में सुधार की अपेक्षा वाले क्षेत्र की पहचान किए बगैर मनमाने ढंग से क्रम से 2, 3 और 4 निर्धारित किया है। स्वाभाविक है कि ऐसे एफिसियंसी फैक्टर का निर्धारण सिर्फ राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत सामग्री और भिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है न कि ऐडहॉक आधार पर जैसा कि राज्य आयोग ने किया है। इसलिए, इस मुद्दे का तदनुसार जवाब दिया गया है। (तवज्जो अलग से है)

डी) बिजली की बैंकिंग पर कुल लागत को वहन करना

टीपीडीडीएल इस बात को स्वीकार करता है कि माननीय आयोग बैंकिंग व्यवस्थापनों को प्रोत्साहित करता रहा है ताकि उन विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं के साथ कैशलेस/बैंकिंग/बार्टर व्यवस्थापन करके वाजिब कीमत पर बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके, जहां पर टीपीडीडीएल के साथ फालतू बिजली को एक खास अवधि में किसी दूसरी जनोपयोगी सेवा के पास रखी जाती है, जो कि उसे बाद की अवधि में लौटा देती है। इसी प्रकार का उलटा बैंकिंग व्यवस्थापन भी संभव है। बैंकिंग सौदा अनुबंध में शामिल दोनों जनोपयोगी सेवाओं के लिए फायदे की स्थिति है क्योंकि वे उस समय अन्य जनोपयोगी सेवा के पास बिजली को रख देती हैं जब उनके पास बेशी बिजली होती है और जब कमी होती है तो उसे वापस प्राप्त कर लेती हैं।

सौदे के लेखाकरण के उद्देश्य से बिक्री के रूप में सौदे की अगली बैंकिंग लेग को एमवाईटी आर्डर के अनुरूप प्रति यूनिट 4.00 रुपये की काल्पनिक पर समझा जाता है, और इस प्रकार से उस अवधि के लिए उच्चतर नकदी बहाव के मुकाबले बिजली की कमतर शुद्ध लागत प्राप्त होती है।



इसी प्रकार, ऊर्जा जब वापस लौटती है तो माननीय आयोग उसे 4.00 रुपये प्रति यूनिट की राष्ट्रीय लागत पर ऊर्जा की खरीद के रूप में लेता है और इस प्रकार से नकदी के वास्तविक बहाव के बरअक्स उच्चतर लागत की अनुमति प्रदान करता है।

बैंकिंग सौदे की आगे बढ़ी हुई लेग के मामले में टीपीडीडीएल के पास माननीय आयोग द्वारा विचार की जाने वाली राष्ट्रीय बिक्री की हद तक आगे की बैंकिंग की अवधि के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की जरूरतें होती हैं।

इसी प्रकार से, उल्टी बैंकिंग के मामले में (अर्थात्, बिजली पहले प्राप्त की जाती है और इसके बाद उसे वापस कर दिया जाता है), कार्यशील पूंजी की जरूरतों में बचत होगी।

चूंकि इस मद में अग्रिम बैंकिंग के मामले में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की जरूरत दर सूची में स्वीकृत नियामक कार्यशील पूंजी में कारक का काम नहीं करती, इसलिए इस खर्च को एआरआर में अलग से अनुमति देने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से, संग्रहीत ऊर्जा की वापसी पर यह कार्यशील पूंजी की जरूरतों में कमी को जन्म देगी, जिसको कारक के रूप में लेना आवश्यक होगा।


माननीय आयोग से संतुलन के समय में वास्तविक ऊर्जा बैंकिंग पर आधारित अतिरिक्त कुल लागत की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

उस स्थिति में जबकि माननीय आयोग को लगता है कि इस प्रकार के सौदों पर वहनकारी लागत का अभिकलन मुश्किल काम है, माननीय आयोग अग्रिम और पीछे के दोनों ही सौदों को एनआईएल दर पर विचार कर सकता है (क्योंकि किसी भी दशा में ये कैशलेस सौदे होते हैं), इसके बाद इस प्रकार के बैंकिंग सौदों पर अलग से वहनकारी लागत की अनुमति देने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

इसके अलावा, माननीय आयोग के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि ओ और एम खर्चों का आकलन वित्तीय वर्ष 09-10 के वास्तविक खर्चों के आधार पर किया गया है और इसमें वृद्धि संबंधित कारक के द्वारा की गयी है, ऐसे कोई भी खर्च जो कि आधारभूत खर्चों के हिस्से का निर्माण नहीं करते, का दावा संतुलनकारी कवायद के समय में अलग से किया जाएगा। इन खर्चों की प्रकृति आईएफआरएस क्रियान्वयन खर्च, जमीन के लिए लाइसेंस शुल्क आदि की तरह की है।


नयी योजनाएं/अतिरिक्त खर्चों के तहत मांगे जाने वाले खर्चों का सारांश

व्योरा	वित्तीय वर्ष 12-13	वित्तीय वर्ष 13-14	वित्तीय वर्ष 14-15
	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये
उपभोक्ता जागरूकता	2.00	2.00	2.00
ऊर्जा संरक्षण/डीएसएम	3.00	3.00	3.00
प्रशिक्षण	3.00	3.00	3.00




वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 14-15 की वार्षिक राजस्व मांग

कुल	8.00	8.00	8.00
-----	------	------	------



प्रपत्र 9 की स्पष्टीकरण टिप्पणी : प्राप्तियों का विवरण

प्राप्तियों की गणना 99.50 प्रतिशत संग्रहण कार्यकुशलता पर विचार करते हुए नार्मेटिव बेसिस पर की गयी है।




प्रपत्र 10 की स्पष्टीकरण टिप्पणी : : आयकर प्रावधान

इक्विटी पर रिटर्न की गणना पहले किए गए वित्तपोषण के अनुसार की गयी है।

ब्योरा	वित्तीय वर्ष 12-13	वित्तीय वर्ष 13-14	वित्तीय वर्ष 14-15	टिप्पणियां
औसत इक्विटी	1,011.21	1,110.50	1,229.21	तालिका 54
आरओई	161.79	177.68	196.67	@16%
आयकर का कुल जोड़ (कर दर @ 20)	202.24	222.10	245.84	आरओई/(1- कर)
कर	40.45	44.42	49.17	

हालांकि, आयकर को एक्जुअल्स के आधार पर दू अप किया जाना चाहिए।



प्रपत्र 11 की स्पष्टीकरण टिप्पणी : निवेशों एवं अन्य गैर टैरिफ आय से आमदनी

निवेशों, सावधि और काल डिपॉजिटों और बैंक में जमा राशियों पर ब्याज

अल्पकालिक बेशी रकम का निवेश ऋण आधारित लिक्विड म्यूचुअल निधियों और सावधि जमाओं में किया जाता है। ये निवेश प्रमुख रूप से उन बेशी रकमों से किये गये हैं, जो कि माननीय आयोग के समुची नियामक आरओई के प्लाउ बैक को नामंजूर करने के चलते उत्पन्न हुए हैं, जिसे कि व्यवसाय में बनाये रखा जाता है। चूंकि यह बेशी रकम मुख्य रूप से अंशधारक की निधियां होती हैं इसलिए इस पर कोई ब्याज/लाभांश आय अंशधारकों की ही होती है; इसके फलस्वरूप इस प्रकार के ब्याज/लाभांश आय टैरिफ निर्धारण उद्देश्यों के लिए गैर टैरिफ आय का निर्माण नहीं करते और इस प्रकार से इस प्रपत्र 11 में गैर टैरिफ आय के रूप में प्रतिबिंबित नहीं किये गये हैं।

जिस हद तक आकस्मिक रिजर्व के बरअक्स हस्तगत निवेश पर ब्याज अर्जित किया गया है, जिसका वित्तपोषण माननीय आयोग द्वारा क्रमिक एआरआर'स में मुहैया कराया गया है, उस हद तक ब्याज को टैरिफ निर्धारण के लिए गैर टैरिफ आय के हिस्से के रूप में समझा जाता है। उपर्युक्त वर्णन माननीय आयोग द्वारा अपने टैरिफ आर्डर में स्वीकृत और क्रियान्वित सिद्धांतों के अनुरूप है।

आकस्मिक रिजर्व पर ब्याज का अभिकलन

चूंकि आकस्मिक रिजर्व का आगे का कोई भी भत्ता प्रक्षेपित नहीं है इसलिए ब्याज को मौजूदा स्तर पर बनाये रखा गया है क्योंकि निवेश पर निश्चित लाभ प्राप्त होता है।

फुटकर आय

उपभोक्ता वृद्धि को ध्यान में रखते हुए फुटकर आय में वृद्धि 7.5 प्रतिशत सालाना प्रक्षेपित की गयी है।

ई टैक्स के संकलन पर कमीशन

ई. टैक्स के संकलन पर कमीशन की गणना संकलित ई. टैक्स के 3 प्रतिशत पर की गयी है।

आस्तियों की सेवा निवृत्ति पर लाभ/हानि


आस्तियों की सेवानिवृत्ति पर हानि के व्यवहार पर माननीय आयोग का लंबित फैसला, उस पर किसी भी आय/हानि को गैर टैरिफ आय के रूप में लिया गया है।

चोरी संकलन

एआरआर के मद में चोरी संकलन को एटी एंड सी अभिकलन के लिए ऊर्जा संकलन के अंग के रूप में समझा जाता है; इसलिए इस पर यहां विचार नहीं किया गया।

विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएससी)

विलंबित भुगतान अधिभार को एआरआर के मद में एटी एंड सी अभिकलन के लिए ऊर्जा संकलन के अंग के रूप में समझा जाता है; इसलिए इस पर यहां विचार नहीं किया गया। यह स्पष्ट कर दिया गया है



कि चूंकि एलपीएससी की राशि निश्चित नहीं है; इसलिए उसकी वित्तपोषण लागत का दावा क्रमिक वर्ष के संतुलन में किया जाएगा।

प्रपत्र 11 ए के लिए स्पष्टीकरण टिप्पणी : उपभोक्ताओं से फुटकर अधिभारों से आय


सर्विस लाइन अधिभार

माननीय आयोग द्वारा सुझाए गए व्यवहार के अनुरूप सर्विस लाइन अधिभारों को विलंबित आय प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है और इसके लिए उन्हें तीन वर्षों तक परिशोधित किया जाता है। साल दर साल 10 वृद्धि का अनुमान है। इसके ब्योरे को नीचे दी गयी तालिका में चित्रित किया गया है।

विवरण	विव 12	विव 13	विव 14	विव 15
खातों में बुक की गयी राशि	37.34	40.14	43.15	46.38
आयोग के निर्देश के अनुसार गैर टैरिफ आय के रूप में समझी गयी राशि (हर साल का एक तिहाई)				
वित्तीय वर्ष 2009-10 का एक तिहाई	10.81			
वित्तीय वर्ष 2010-11 का एक तिहाई	9.12	9.12		
वित्तीय वर्ष 2011-12 का एक तिहाई	12.45	12.45	12.45	
वित्तीय वर्ष 2012-13 का एक तिहाई		13.38	13.38	13.38
वित्तीय वर्ष 2013-14 का एक तिहाई			14.38	14.38
वित्तीय वर्ष 2014-15 का एक तिहाई				15.46
कुल	32.38	34.95	40.21	43.22

एमसीडी रखरखाव अधिभार

माननीय आयोग ने 24.09.09 के अपने आदेश में एमसीडी रखरखाव अधिभारों को संशोधित करके 77 रुपये/यूनिट कर दिया था। इसके अलावा, माननीय आयोग ने सामग्री लागत के मद 26 रुपये/यूनिट की अनुमति प्रदान की थी। चूंकि 26 रुपये/यूनिट सामग्री खर्च के मद में था इसलिए उसे एआरआर के मद में नहीं लिया जाता। इसके अलावा, एमसीडी/पीडब्ल्यूडी अभी भी रखरखाव अधिभारों पर सेवा कर नहीं अदा कर रहे हैं; सेवा कर लेवी सरकार को दिया जाने वाला वैधानिक भुगतान है; लिहाजा भरपाई योग्य सेवा कर को रखरखाव अधिभारों में समायोजित किया जाएगा और शुद्ध राशि को एआरआर के लिए



ऑफर किया जाएगा। रखरखाव अधिभारों (सामग्री की शुद्ध लागत) के 5 प्रतिशत सालाना बढ़ने की अपेक्षा है।


बिजली की खरीद पर छूट

एमवाईटी विनियमों के अनुसार माननीय आयोग नियामक आधार पर कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अनुमति प्रदान करेगा। कार्यशील पूंजी की गणना करते समय माननीय आयोग बिजली की खरीद के बरअक्स एक माह के लिए जमा को समायोजित करके बाद कार्यशील पूंजी की अनुमति देता है; इस प्रकार से 1 प्रतिशत की छूट, जिसे कि एक माह की अवधि के बाद मांगा जा सकता है, एआरआर के लिए ऑफर की जाती है। 1 प्रतिशत से ऊपर अर्जित की गयी कोई भी छूट एआरआर में नहीं डाली जाएगी क्योंकि कार्यशील पूंजी की अनुमति नियामक आधार पर होती है।

उपभोक्ता प्रतिभूति जमा

जैसा कि माननीय आयोग इस तथ्य से वाकिफ है कि टीपीडीडीएल को हस्तांतरित उपभोक्ता प्रतिभूति जमा को खोलने का ब्योरा उपभोक्तावार नहीं मुहैया कराया गया और भूतपूर्व डीवीबी द्वारा प्राप्त वास्तविक धनराशि उसके मुकाबले बहुत अधिक थी जितनी कि टीपीडीडीएल/डिस्कॉम्स को भेजी गयी थी। 31.12.2010 को अंकेक्षित खातों के अनुसार कुल बकाया धनराशि 269.22 करोड़ रुपये है (उस धनराशि को छोड़कर जो कि डीवीबी द्वारा वास्तव में प्राप्त की गयी थी)।


इसके अलावा, प्राप्त हुई सुरक्षा जमा का प्रक्षेपण एमवीटी नियंत्रण अवधि में लोड में प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर किया गया है।



प्रपत्र 13 का स्पष्टीकरण : प्रपत्र सूचियां

पिछले साल सूचियां मुहैया कराई गयी हैं। सीपीआई/डब्ल्यूपीआई को प्रतिबिंबित करने वाले दस्तावेजों की संबंधित प्रतियां संलग्नक 11 के रूप में नत्थी हैं।

भावी सूचियों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन वे वर्तमान रुझान (अप्रैल-अक्टूबर 11) पर आधारित हैं, अर्थव्यवस्था में वृद्धि का वर्तमान रुझान, सूचियों में भावी वृद्धि को 9.15 प्रतिशत रखा गया है जो कि वास्तविक सूचियों के आधार पर संतुलन के अधीन है।




प्रपत्र 14 का स्पष्टीकरण : विनियमित दर आधार

पीआरबी का अभिकलन एमवाईटी विनियमों में दिए गए पद्धतिशास्त्र के अनुसार किया जाता है। जैसा कि प्रपत्र एफ2 के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है, संशोधित जीएफए और अवमूल्यन की गणना उस वर्ष में विचार में लाए गए पूंजीकरण के आधार पर की जाती है, जिसमें कि ईआई प्रमाणपत्रों के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया है (जिसे कि माननीय आयोग ने अपने एमवाईटी आदेश में विलंबित कर दिया था)।

इसके अलावा, माननीय आयोग ने पूंजीकृत आस्तियों के बरअक्स पूंजीकृत उपभोक्ता अंशदान की बजाय आरआरबी से कुल उपभोक्ता अंशदान को घटा दिया था। माननीय आयोग ने अपील नो डेटेड 52 के अपने जवाब में पीआरबी की संशोधित ओपनिंग प्रदान की है; लिहाजा उसी के अनुसार विचार किया गया है।

कार्यशील पूंजी के आंकड़ों को प्रपत्र एफ4 से विचार करने के वास्ते लिया गया है।



टैरिफ आवश्यकता

(ए) नियंत्रणीय की रिकवरी

माननीय आयोग के समक्ष यह बात रखी गयी है कि नयी एमवाईटी अवधि के लिए टीपीडीडीएल ने इसके अलावा एटी एंड सी हानि स्तर की अनुमानित वास्तविक उपलब्धि अर्थात् 13 प्रतिशत के आधार पर एटी एंड सी में हानि लक्ष्य को प्रस्तावित किया है। चूंकि वास्तविक उपलब्धि की हद तक कार्यकुशलता पहले ही सिस्टम में आ चुकी है, जिसे कि खर्चों के वर्तमान स्तर को अपने ऊपर लेकर हासिल किया गया है और कार्यकुशलता के उसी स्तर को न केवल बनाये रखना होता है बल्कि सख्त कार्यप्रदर्शन मानक के तहत आगे भी बेहतर बनाना होता है, जो कि केवल तभी संभव है जबकि पर्याप्त मात्रा में ओ एंड एम खर्चों की अनुमति प्रदान की जाये। लिहाजा, यह बात प्रस्तुत की गयी कि नयी एमवाईटी अवधि के लिए ओ एंड एम खर्चों की मंजूरी के लिए माननीय आयोग को वित्तीय वर्ष 11-12 के वास्तविक खर्चों पर नयी एमवाईटी अवधि के लिए बेस मूल्य के रूप में विचार करना चाहिए।

इसके अलावा यह बात प्रस्तुत की गयी है कि नये एमवाईटी विनियमन कारकों में वृद्धि में अनुमति प्राप्त ओ एंड एम खर्चों में वृद्धि का पद्धतिशास्त्र 5 वर्ष के औसत सीपीआई/डब्ल्यूपीआई पर आधारित है और उपभोक्ता आधार, वर्तमान मुद्रास्फीति, कैरियर वृद्धि, सामाजिक वचनबद्धता में वृद्धि आदि में वृद्धि के लिए आवश्यक वृद्धि हेतु कारक का काम नहीं करती, जिस पर कि इस याचिका के संबंधित ओ एंड एम खर्च अनुभाग में विस्तार से विचार किया गया है। लिहाजा, यह अनुरोध किया जाता है कि माननीय आयोग को मुद्रास्फीति से ऊपर इन कारकों के लिए भी आवश्यक वृद्धि पर विचार करना चाहिए।


आगे यह बात प्रस्तुत की गयी है कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति की तर्ज पर सीईआरसी विनियमन और एमवाईटी विनियमन, जिसके तहत इक्विटी पर कुछ रिटर्न सुरक्षित हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति के अधीन हैं, लिहाजा, विनम्रता से यह बात कही जाती है कि माननीय आयोग को वाजिब ओ एंड एम खर्चों की अनुमति देनी चाहिए और अंशधारकों के सुरक्षित आरओई को क्षरित नहीं करना चाहिए।

यह प्रस्तावित किया गया है कि दूसरी वित्तपोषण लागत के साथ-साथ ओ एंड एम खर्चों की रिकवरी के लिए माननीय आयोग वर्तमान फुटकर टैरिफ में उपयुक्त वृद्धि की अनुमति प्रदान करे।

(बी) तिमाही आधार पर समुची ऊर्जा खरीद की रिकवरी अपनी प्रकृति में नियंत्रणीय होती है

नियंत्रणीय लागत मुख्य रूप से ऊर्जा खरीद लागत के लिए यह प्रस्ताव रखा जाता है कि माननीय आयोग को त्रैमासिक/सावधिक ऑटोमेटिक ऊर्जा खरीद कीमत समायोजन फार्मूला (पीपीपीए) के क्रियान्वयन पर विचार करना चाहिए। पीपीपीए का क्रियान्वयन उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक होगा क्योंकि बिजली खरीद लागतों, कुल खर्च का वार्षिक संतुलन को थोपा जाता है जबकि त्रैमासिक/सावधिक अंतरीय बिजली खरीद लागत की रिकवरी पर कुल लागतों के लिए कोई प्रावधान नहीं है और यही कारण है कि इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बचत प्राप्त होती है। यहां तक कि बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण ने 11 नवंबर 2011 के अपने आदेश में, 2011 के ओपी नंबर 1 में कहा है - "टैरिफ रिवीजन (ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त पत्र पर स्वयं विवेक से कार्रवाई)" ने निर्देश दिया है कि बिजली खरीद लागत समायोजन के लिए तंत्र कायम किया जाना चाहिए।

हालांकि निवेदक ने पिछले साल भी इस प्रकार के तंत्र के लिए अनुरोध किया था, माननीय आयोग ने 26.08.2011 के अपने आदेश में केवल त्रैमासिक ईंधन कीमत समायोजन फार्मूले (एफपीए) को मंजूरी प्रदान की थी, लेकिन इस बात की तारीफ की जा सकती है कि एफपीए केवल दीर्घकालिक अनुबंधों (तापीय संयंत्रों) की चर लागत के लिए ही प्रयोज्य है और यह अल्कालिक द्विपीक्षीय खरीद एवं बिक्री



और स्पाॅट परचेजिंग पर प्रयोज्य नहीं है, इसका कारण इसकी प्रकृति का अनियंत्रणीय होना है, लिहाजा इन लागतों को उपयुक्त तंत्र के जरिये संतुलित होने की जरूरत होती है। स्पाॅट बाजारों और द्विपक्षीय व्यवस्थापनों के जरिये अल्पकालिक खरीदियों के साथ-साथ यूआई/द्विपक्षीय बिक्री के बीच अंतर का प्रभाव, जिसका आकलन माननीय आयोग ने वास्तविक बिक्री दर के बरअक्स किया था, भी उल्लेखनीय रूप से बिजली खरीद लागत और उसके साल के अंत के संतुलन पर असर डालता है, विशेषकर उस समय जबकि धनराशि बहुत अधिक हो जाती है, यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं है क्योंकि उन्हें तब अपने खुद के या दूसरों के पिछली अवधि के उपभोग के लिए भुगतान करने को बाध्य होना होता है और इस प्रकार से अनुचित रूप से उनके ऊपर पिछली अवधि के खर्चों का बोझ अनुचित रूप से डाला जाता है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति भी इस प्रकार के भुगतानों को 5.3(एच)(4) पैरा में हतोत्साहित करती है।

दिल्ली बिजली नियामक आयोग का विनियम 5.4 (व्हीलिंग और रिटेल आपूर्ति टैरिफ विनियम, 2011 के निर्धारण के लिए नियम व शर्तें) भी निम्नलिखित प्रकार से अपेक्षा करता है :

" वितरण लाइसेंस को आयोग द्वारा मंजूर स्रोतों, अर्थात अंतः-राज्य एवं अंतर-राज्य ट्रेडिंग लाइसेंसेस, द्विपक्षीय खरीदियां, बल्क सप्लायर्स, स्टेट जेनरेटर्स, स्वतंत्र बिजली उत्पादक, सेंट्रल जेनरेटिंग स्टेशन, गैर परंपरागत ऊर्जा जेनरेटर, वितरण लाइसेंसी व अन्य का जेनरेशन व्यवसाय, से वह जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसकी शुद्ध लागत को रिकवर करने की अनुमति दी जानी चाहिए, रिटेल सप्लाय बिजनेस के उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए बिलों की प्रस्तुति पर साख पत्र के जरिये बिलों के भुगतान के लिए हरेक स्रोत से उपलब्ध अधिकतम नियामक छूट को मानकर चला गया है।"

लिहाजा, यह समझदारी भरा काम होगा अगर आयोग बिजली खरीद कीमत समायोजन (पीपीसीए) तंत्र को मंजूरी प्रदान करता है, ताकि साल के आखिर में उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़े और वे उन्हें दी जा रही बिजली की वास्तविक प्रचलित लागत के सही और समय पर आर्थिक सिग्नलों को भेजें। कहना जरूरी नहीं कि इस प्रकार का समायोजन टीपीडीडीएल की भी मदद करेगा जिससे कि वह अपने नकदी के बहाव को बेहतर ढंग से मैनेज करे और लंबी अवधि में ऋण की लागत में कमी लाने में मदद करेगा। इसके अलावा यह भविष्य में टैरिफ में बड़ी वृद्धियों का निराकरण भी करेगा।

इसलिए टीपीडीडीएल समूचे बिजली खरीद लागतों में तिमाही अंतराल पर फेरबदल के लिए तंत्र की अनुमति देने का आग्रह करता है। यह बताना प्रासंगिक है कि इसी प्रकार का बिजली खरीद मूल्य समायोजन तंत्र महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और गुजरात सहित अन्य राज्यों में पहले से ही ठीक ढंग से काम कर रहा है।

पीपीपीएसीएन (रु प्रति यूनिट) = (पीपीपीएन x 10) / बिल की गई यूनिट (एमयू)


जहां

पीपीपीएसीएन = बिजली खरीद मूल्य समायोजन अधिभार (रु प्रति यूनिट) पिछली तिमाही के दौरान लाइसेंसयुक्त क्षेत्र में उपभोक्ताओं से पीपीपीएन की वसूली के लिए मौजूदा तिमाही में शुल्क वसूला जाना,

पीपीपीएन = टैरिफ आदेश में वर्ष के लिए अनुमोदित वास्तविक यानी औसत बिजली खरीद दर में बदलाव के लिए मौजूदा तिमाही में जरूरी बिजली खरीद मूल्य समायोजन की कुल राशि (रु. करोड़)।

पीपीपीएन = सीएन + एएन (रु. करोड़)

जहां



सीएन = पिछली तिमाही में बिजली खरीद दर यानी टैरिफ आदेश में वर्ष के लिए अनुमोदित औसत बिजली खरीद दर में फेरबदल के कारण बिजली खरीद की परिवर्तित कीमत (रु.करोड़)।

सीएन = क्यूएन-1 x (एएपीपी एन-1 - लागू एपीपी) / 10

जहां

क्यूएन-1 = पिछली तिमाही के दौरान टीपीडीडीएल लाइसेंस क्षेत्र (यानी केंद्र/ राज्य आवंटन, द्विपक्षीय, विनिमय, यूआई सहित बिजली खरीद और वितरण हानि घटाकर तथा लाइसेंस क्षेत्र से बाहर बिजली की बिक्री) की जरूरतों को पूरा करने के लिए टीपीडीडीएल परिधि में प्राप्त बिजली की मात्रा।

एएपी एन-1 = पिछली तिमाही के लिए वास्तविक औसत बिजली खरीद दर (रु. प्रति यूनिट)

एपीपी अप्रूव्ड = टैरिफ आदेश में मंजूर औसत बिजली खरीद दर (रु. प्रति यूनिट)

एएन= अधिक वसूली/कम वसूली के लिए समायोजन कारक यानी पीपीपीएसी के जरिये वसूली गई वास्तविक राशि और वसूली योग्य राशि के बीच का अन्तर।

एएन = पीपीपीए (वसूली गई)एन- पीपीपीएएन-1

पीपीपीए (वसूली गई)एन = पिछली तिमाही के लिए मौजूदा तिमाही में वसूली गई पीपीपीए

(सी) पिछले राजस्व घाटे की वसूली के लिए अधिभार

माननीय आयोग अपने दिनांक 26.06.2011 के आदेश का पैरा 6.15 देखे जिसमें पहले से ही वित्तीय वर्ष 2009-10 और वित्तीय वर्ष 2011-12 का वित्तीय घाटा क्रमशः 1112.64 करोड़ रु. और 397.94 करोड़ रुपए माना गया है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक राजस्व घाटा तकरीबन 1500 करोड़ रुपये अनुमानित है जो पूर्णतः लागत प्रदर्शित टैरिफ की अनुपलब्धता और पिछले साल जेनकास और ट्रांसको को किए गए एरियर भुगतान की वजह से हुआ। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 1250 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का आकलन टीपीडीडीएल द्वारा किया गया। वर्तमान स्थिति में मौजूदा वृहद राजस्व घाटे को देखते हुए, जो कि उपभोक्ताओं के हित में नहीं है क्योंकि यह कीमत उन्हें ही चुकानी होगी और मौजूदा उपभोक्ताओं का भार भी भावी उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ेगा, यह प्रस्तावित किया जाता है कि माननीय आयोग समूचे राजस्व घाटे की वसूली होने के समय तक के लिए विद्युत बिलों में अलग लाइन आइटम नजर आने वाला राजस्व घाटा अधिभार लगा सकता है। माननीय आयोग इस तरह का अधिभार किसी भी साल लागू मौजूदा शुल्क के प्रतिशत के तौर पर लगा सकता है।



टैरिफ युक्तिकरण



आरंभ में टीपीडीडीएल यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि टैरिफ युक्तिकरण तरीकों का प्रस्ताव करते समय इस प्रक्रिया में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने की मंशा नहीं है बल्कि इसके स्वरूप को आसान, संतुलित, उपभोक्ताओं के अनुकूल और ज्यादा वास्तविक बनाना है।

इसलिए, टीपीडीडीएल माननीय आयोग से आग्रह करता है कि टैरिफ के स्वरूप को इस तरीके से निर्धारित करे ताकि कुल राजस्व आवश्यकता पर प्रभाव युक्तिकरण के लिए केवल 'शून्य' हो, और लाइसेंसधारी के अनुमानित व्यय को पूरा करने वाले राजस्व की अनुमति दे।

"टैरिफ युक्तिकरण" संबंधी टीपीडीडीएल का प्रस्ताव इस प्रकार है:

1. अत्यधिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं पर विश्वसनीय अधिभार लगाया जाए:

डिस्काम ने मौजूदा नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए विशाल पूंजी व्यय किया है ताकि उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जा सके और मूल मांग पूरी करने के लिए लंबी अवधि की कई व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि ग्रिड स्थिरता के प्रबंधन और अपने सभी उपभोक्ताओं को बाधारहित बिजली उपलब्ध कराने के क्रम में उच्च मांग का प्रबंधन बहुत मुश्किल है।

इसलिए, उच्च मांग को पूरा करने के लिए, डिस्काम के लिए यह जरूरी है कि वह बिजली की सुनिश्चित करने के बाबत अतिरिक्त/ महंगी बिजली की व्यवस्था करे।

डिस्काम ने अब बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता उस स्तर तक बढ़ाने की व्यवस्था की है उपभोक्ताओं द्वारा वैकल्पिक बिजली आपूर्ति व्यवस्था जैसे डीजल जेनसेट के जरिये व्यवस्था के प्रबंध की जरूरत काफी कम हो गई है।

इसलिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि माननीय आयोग को टैरिफ के अलग घटक के रूप में 'विश्वसनीयता अधिभार' शुरू करना चाहिए जो बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं से वसूला जाए। ये अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता निजी डीजी सेट आदि के उपयोग व उसकी व्यवस्था द्वारा लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 10-12 रु. प्रति यूनिट खर्च कर रहे हैं और डिस्काम ने बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करके ऐसे उपभोक्ताओं की मदद की है जो अब डीजी सेट का उपयोग नहीं करते, इसलिए इसके प्रबंधन के लिए उनका होने वाला खर्च उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है।

यह शुल्क लगाने की मंशा उस राशि के एवज में हो सकती है जो इस श्रेणी के उपभोक्ता बिजली स्रोतों की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबंधन या संचालन नहीं करके बचा रहे हैं। इसके अलावा कम खपत वाले उन उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो सकती है जिससे उनपर उच्च शुल्क दर के रूप में भार नहीं पड़े जो विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इतनी ज्यादा राशि खर्च नहीं कर रहे थे।

इसी प्रकार, यह प्रस्तावित किया गया है कि बाधारहित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों पर "विश्वसनीयता अधिभार" इस तरह से लगाया जा सकता है:

घरेलू उपभोक्ता

यद्यपि, हम घरेलू श्रेणी के पहले दो स्लैब के लिए मौजूदा व्यवस्था रख सकते हैं, यह प्रस्तावित किया जाता है कि तीसरे स्लैब की सीमा 401 यूनिट से 600 यूनिट प्रतिमाह हो और ज्यादा खपत वाले



उपभोक्ताओं के लिए एक नया स्लैब बने जो 600 यूनिट से ज्यादा प्रतिमाह उपभोग करते हों जिसमें समुचित टैरिफ सहित अलग से "विश्वसनीयता अधिभार" लगे। हम क्षेत्र में विश्वसनीयता अधिभार एक रुपए प्रस्तावित करते हैं।

व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ता

इसी प्रकार, यह प्रस्तावित किया जाता है कि विश्वसनीयता अधिभार के रूप में एक रुपया जैसा वर्णित है प्रतिमाह 600 यूनिट से ज्यादा खपत वाले व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता निजी डीजी सेट आदि के उपयोग व उसकी व्यवस्था द्वारा लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 10-12 रु. प्रति यूनिट खर्च कर रहे हैं और डिस्काम ने बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करके ऐसे उपभोक्ताओं की मदद की है जो अब डीजी सेट का उपयोग नहीं करते, इसलिए इसके प्रबंधन में उनका होने वाला खर्च उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 600 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं पर अधिक टैरिफ का भार नहीं पड़े।


- 2 (i) एनडीएचटी, एनडीएलटी उपभोक्ता श्रेणियों का विलय करना
- (ii) एसआईपी और एलआईपी उपभोक्ता श्रेणियों का विलय करना:

हालिया टैरिफ आदेश में बदलाव, जिसमें एनडीएलटी- II और एमएलएचटी का विलय किया गया है, एक स्वागतयोग्य कदम है, चूंकि माननीय आयोग टैरिफ युक्तिकरण में एक कदम आगे बढ़े हैं इसलिए एक बार फिर यह प्रस्तावित किया जाता है कि उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर, हमें गैर घरेलू (एनडीएलटी, एनडीएचटी उपभोक्ता श्रेणियां) के लिए एक अधिभार रखना चाहिए, क्योंकि ये उपभोक्ता बिजली का उपयोग उसी उद्देश्य यानी "व्यावसायिक गतिविधि" के लिए करते हैं अतः इन श्रेणियों का विलय कर देना चाहिए। इसी तरह, औद्योगिक उपभोक्ताओं (एसआईपी, एलआईपी उपभोक्ता श्रेणियां) के लिए एक टैरिफ होना चाहिए, क्योंकि वे बिजली का इस्तेमाल केवल "औद्योगिक गतिविधि" के उद्देश्य से करते हैं।

यह श्रेणियों की संख्या घटाने और टैरिफ के स्वरूप को आसान बनाने के साथ कदाचार पर अंकुश लगाने में भी मददगार होगा।

3. एचटी मीटर लगाना

- a. माननीय आयोग 11 केवी और उससे ऊपर के उपभोक्ताओं (100 किलोवाट से ज्यादा भार सहित) के लिए एचटी मीटर लगाना अनिवार्य कर सकते हैं।



- b. आगे यह प्रस्तावित है कि एचवीडी शेविंग एक समर्पित ट्रांसफार्मर पर उपभोक्ताओं को एचटी मीटरिंग और मौजूदा टैरिफ के ऊपर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा सकती है क्योंकि एचवीडीएस लाइन लॉस, ट्रांसफार्मर लोडिंग वितरण, रख रखाव की समस्या कम करने और वोल्टेज प्रोफाइल सुधारने में मदद करता है, और इस तरह यह आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करता है और बिजली चोरी की आशंका कम करता है।

माननीय आयोग इस बात की प्रशंसा कर सकता है कि एचटी मीटरिंग एटी एंड सी हानियों को भी काफी हद तक कम करने में मदद करता है।

4. 5.0 किलोवाट तक एकीकृत स्थायी शुल्क:

पहले के टैरिफ आदेशों में स्थायी शुल्क पर माननीय आयोग की टिप्पणियां, तैयार संदर्भ के लिए, यहां पुनः दी गई हैं।

"आयोग इस बात से सहमत है कि टैरिफ के मौजूदा स्वरूप में स्थायी शुल्कों से वसूली लाइसेंसधारी के स्थायी लागत की तुलना में बहुत कम है।"

"आयोग की राय है कि उपभोक्ताओं पर बिलिंग प्रभाव कम करने के लिए स्थायी शुल्क से वसूली धीरे-धीरे बढ़ानी होगी।"


इस समय 5 किलोवाट के तहत स्थायी शुल्क के दो स्लैब हैं, ज्यादातर घरेलू उपभोक्ताओं को 2.0 किलोवाट से कम भार अनुमोदित है, यद्यपि उनके कनेक्शन का भार 2.0 किलोवाट से कहीं ज्यादा है। यह उन उपभोक्ताओं को बेवजह पूर्वाग्रहित करता है जिन्होंने वास्तविक कनेक्शन भार से ज्यादा अपने भार नहीं बढ़ाए हैं, जबकि अन्य बिल भार वाले उपभोक्ता स्थायी शुल्क दे रहे हैं।

लाइसेंसधारी का स्थायी शुल्क व्यय प्रति उपभोक्ता प्रति माह मौजूदा शुल्क से बहुत अधिक होता है, जिससे 5.0 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत भार वाले उपभोक्ता और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता 5.0 किलोवाट से कम स्वीकृत भार वाले उपभोक्ता को मिली छूट को पार कर जाते हैं।

टैरिफ की इस असंगति से बचने के लिए आयोग घरेलू श्रेणी के लिए स्थायी शुल्क पुनः निर्धारित कर सकता है ताकि एकीकृत स्थायी शुल्क 5.0 किलोवाट तक लगाया जाए।

5. 10-100 किलोवाट के बीच स्वीकृत भार और 100 किलोवाट से ज्यादा एमडीआई वाले औद्योगिक एवं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिल बनाना

इस बात का उल्लेख करना समीचीन होगा कि ईमानदार उपभोक्ताओं ने 100 केडब्ल्यू से अधिक का सैंक्शन करते हैं और एमडीआई बराबर से कम होती है और इस प्रकार से ज्यादा उच्च टैरिफ का बोझ उन पर पड़ता है जबकि बेईमान उपभोक्ता जिन्हें कि 100 के डब्ल्यू से कम की मंजूरी मिली होती है और जिनकी एमडीआई 100 केडब्ल्यू से अधिक होती है, आखिर में कमतर शुल्क अदा करते हैं और ऐसा लोड उल्लंघन के लिए 30 प्रतिशत अधिभार के बाद होता है, जो कि इस प्रकार के ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए उचित नहीं है।



एक उदाहरण के तौर पर, मान लेते हैं कि एलटी पर एक बेइमान औद्योगिक उपभोक्ता जिसका स्वीकृत भार 80 केवीए और एमडीआई 120 केवीए है जबकि एलटी पर एक अन्य ईमानदार औद्योगिक उपभोक्ता जिसका स्वीकृत भार और एमडीआई दोनों 120 केवीए रहे हैं।

ब्योरा	उपभोक्ता A	उपभोक्ता B
स्वीकृत भार (केवीए में)	80	120
एमडीआई (केवीए में)	120	120
यूनिटें (केवीएच में)	15000	15000
लागू होने योग्य स्थायी शुल्क	70	150
लागू होने योग्य बिजली शुल्क(रु./केवीएच)	5.5	6.5
भुगतान योग्य स्थायी शुल्क (30% भार अतिक्रमण शुल्क शामिल) (रु. में)	9240	18000
भुगतान योग्य बिजली शुल्क (रु. में)	82500	97500
भुगतान योग्य कुल शुल्क (रु. में)	91740	115500

ऊपर के उदाहरण से देखा जा सकता है कि बेइमान उपभोक्ता A अंततः ईमानदार उपभोक्ता B से कम भुगतान कर रहा है जबकि उससे भार अतिक्रमण शुल्क भी वसूला गया है। तदनु रूप, उल्लिखित तर्क को ध्यान में रखते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि ऐसे मामलों के लिए, जहां औद्योगिक एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एमडीआई 100 किलोवाट को पार कर जाता है जबकि स्वीकृत भार 100 किलोवाट से कम है, लाइसेंसधारी को अगली श्रेणी में पुनः श्रेणीबद्ध करने का पात्र माना जाना चाहिए और 100 किलोवाट से ज्यादा भार वाले औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए एलटी पर लागू होने योग्य टैरिफ वसूला जाना चाहिए।

